

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के सपूंर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 58^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके विन्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विजन

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

1	प्रेषण पत्र	i-ii
2	निदेशक मंडल	iii
3	संगठन तालिका	iv
4	निगम की संपर्क सूत्र	٧
5	निगम के प्रमुख अधिकारी	vi
6	संक्षेपाक्षर	vii
7	विशेषताएं	iii-xi
8	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-6
9	प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	'-18
10	निदेशकों की रिपोर्ट1)-29
11	परिशिष्ट सारणियां3)-58
12	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट5)-61
13	तुलन पत्र और लेखे	2-77



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/136/01.01.016/2020-21

30 जून, 2020

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव संचिव विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई - 400 001

महोदय,

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है:

- 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट। i.
- ii.
- 2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
- 3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय.

यम वामाया

(एम रामय्या) सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंजील, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008.



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/ 135/01.01.016/2020-21

30 जून, 2020

सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग जीवनदीप भवन संसद मार्ग नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

- i. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- ii. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

- 2. ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) की सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धित संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।
- 3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

द्रमः गमन्या

(एम रामय्या) सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंजील, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008.



अध्यक्ष

श्री बी. पी. कानुनगो उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. एम. डी. पात्र उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

निदेशक

श्रीमती मालविका सिन्हा कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री पम्मि विजय कुमार कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. शशांक सक्सेना परामर्शदाता वित्त मंत्रालय आर्थिक मामले विभाग भारत सरकार

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

श्री गोविंद राजुलु चिंतला अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (08.12.2017 से 31मार्च 2020)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (31मार्च 2020 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (05.06.2018 से 28.02.2020)


निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (05.03.2020 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (12.06.2008 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (08.03.2019 से 17.06.2020)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (13.07.2020 से)

संगठन तालिका





निगम के संपर्क सूत्र

फ़ैक्स सं. 022 - 2301 5662 022 - 2301 8165

टेलीफोन

022-2308 4121 सामान्य
022-2306 2161 प्रीमियम
022-2302 1624 दावे
022-2306 2162 आरएमसी
022-2301 1991 आरटीआई
022-2301 9570 ग्राहक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक भवन

2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई -400 008.

भारत

(i) कार्यपालक निदेशक	pvijaykumar@rbi.org.in	022-2261 1080
(ii) मुख्य महाप्रबंधक	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(iii) निदेशक	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(iv) उप महाप्रबंधक	dknalband@rbi.org.in	022-2302 8205
(v) उप महाप्रबंधक	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204
(vi) उप महाप्रबंधक	shoda@rbi.org.in	022-2302 8201
(vii) उप महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 1146

ईमेल: dicgc@rbi.org वेबसाइट: www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी *

कार्यपालक निदेशक श्री पम्मि विजय कुमार

मुख्य महाप्रबंधक श्री वी. जी. वी. चलपती

सचिव और निदेशक श्री एम. रामय्या

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी श्री एम. रामय्या

> उप महाप्रबन्धक श्री डी. के. नालबंद श्री दीपक नारंग श्री शारिक होदा श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि

बैंकर भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखा परीक्षक वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 2-सी, कोर्ट चेम्बर्स , 35, न्यू मरीन लाइंस , मुंबई 400 020, भारत

संक्षेपाक्षर

लेखांकन मानक एएस

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति बीसीबीएस

बीओई बैंक ऑफ़ इंग्लैंड

बैंक वसूली और समाधान निदेश बीआरआरडी

सीए सनदी लेखाकार

सीडीआईसी कनाडा जमा बीमा निगम

सीईएसटीएटी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर

अपीलीय प्राधिकरण

मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ

सीजीसीआई क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड

ऋण गारंटी निधि सीजीएफ

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीजीटीएमएसई

गारंटी निधि न्यास

ऋण गारंटी योजना सीजीएस

सीपी मुल सिद्धांत

सीपीपीवाई पिछले वर्ष की समान अवधि

डीएफ़ए डोड-फ्रैंक अधिनियम जमा बीमा एजेंसी डीआईए जमा बीमा निगम डीआईसी

डीआईसीजीसी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

डीआईएफ जमा बीमा निधि

ईसीजीपी आपातकालीन ऋण गारंटी कार्यक्रम

ईडी कार्यपालक निदेशक

ईयू युरोपीय संघ

एफडीआईसी संघीय जमा बीमा निगम

एफआईएमएमडीए : निश्चित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न

संघ

वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएबी वित्तीय सेवा आयोग एफएससी वित्तीय स्थिरता संस्थान एफएसआई

सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत जीएएपी

जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जीएफ सामान्य निधि

जीएफसी वैश्विक वित्तीय संकट

जीओआई भारत सरकार जीएसटी वस्तु और सेवा कर

आईएडीआई अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ

एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर समाधान आईएएसएस भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान आईसीएआई

आईएफआर निवेश उतार चढाव रिजर्व

आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य विशेषताएं केए

केडीआईसी कोरिया जमा बीमा निगम केओडीआईटी कोरिया ऋण गारंटी निधि स्थानीय क्षेत्र के बैंक एलएबी सूक्ष्म वित्त निगम एमएफ़आई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एनएबीएआरडी

एनबीएफ़सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एनसीजीटीसी आर्थिक सहयोग और विकास के लिए ओईसीडी

संगठन

परचेज एंड एसम्पशन पीएंडए

भुगतान बैंक पीबी

भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई

सहकारी समितियों के पंजीयक आरसीएस

आरओ क्षेत्रीय कार्यालय आरक्षित अनुपात आरआर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस

आरटीआई सूचना का अधिकार एसएफबी लघु वित्त बैंक

मानक ऋण गारंटी कार्यक्रम एससीजीपी लघु ऋण गारंटी योजना एसएलजीएस

लघु और मध्यम (सूक्ष्म) उद्यम एसएमई

एकल समाधान बोर्ड एसआरबी

सहकारी शहरी बैंकों का कार्य दल टीएएफसीयूबी

केंद्र शासित प्रदेश यूटी

विशेषताएं - । निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के	अंत में ^s	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1	पूँजी*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2	निक्षेप बीमा									
(i)	निक्षेप बीमा निधि **	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	701.5	814.3	937.5	1,103.8
(ii)	बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	276	476	1683	1931	2,547	2125	2,109	2098	2,067
(iii)	निर्धारणीय जमाराशियाँ [@]	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,03,531	1,12,020	1,20,051	1,34,889
(iv)	बीमाकृत जमाराशियाँ [@]	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	30,509	32,753	33,700	36,961 (68,715)
(v)	खातों की संख्या कुल (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	649.5	1,884.8	1,940.9	2,174	2,350
(iv)	पूर्णत: संरक्षित खातों कि संख्या (मिलियन में)	6	32.8	158.1	339.5	619.5	1,737.2	1,775	2,000	2,161 (2,310)
(vii)	योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	-	0.01	0.03	1.8	14.9	50.3	50.8	51.2	52.0

- नगम की सामान्य निधि के तहत है।
- ** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शमिल हैं।
- @ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं।
- \$ 1992-93 के बाद से मार्च के अंत के अनुसार।
- # कोष्ठक में दिए आंकडे ₹ 5 लाख जमा बीमा से संबंधित हैं जिसका अनुमान ₹ 68.7 ट्रिलियन पर लगाया गया है।


विशेषताएं - ॥ निक्षेप बीमा

(₹ बिलियन में)


विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
राजस्व विवरण							
प्रीमियम आय	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29	73.12
निवेश आय	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32	33.90
निवल दावे	0.54^	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)	(0.93)
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	154.86	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89	91.52
करोत्तर राजस्व अधिशेष	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96	60.72
तुलन पत्र							
निधि शेष (बीमांकिक)	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07	50.68
निधि अधिशेष	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46	355.49
दावे संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	शून्य	0.04	2.22	2.52	3.14	3.92
निष्पादन मैट्रिक्स							
1. डीआईसीजीसी में दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	11	11	12	23	28	25	15
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	508	1,425	2,075*	634	269	4,856	678
3. कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24	0.22
(इसमें से: कुल प्रीमियम आय की तूलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12	0.12

- @ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृत की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।
- ^ इसमें से ₹ 0.37 बिलियन दावों का निपटान है और ₹ 1.89 बिलियन प्रावधानों के प्रत्यावर्तन के कारण है।
- * 2003 में एक बैंक के विपंजीकरण के करण तीव्र बढ़ोत्तरी, इसके दावे का 2017 में निपटान हुआ है।
- \$ दिनों की गणना के लिए अपीलीय प्रधिकारी (वित्त मंत्रालय) और न्यायालय के आदेश को आधार माना गया है। दावों की प्रप्ति में विलंब मुख्यत: वित्त मंत्रालय के समक्ष अपील/विधिक मामले हैं।

विशेषताएं - ॥




विशेषताएं - IV



विशेषताएं - V

चार्ट III: बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार (31 मार्च 2020)



नोटः 1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेंट के अनुसार है।

2. ₹5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आवड़े ₹68.7 ट्रिलियन अनुमानित है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961" के प्रावधानों के जिरए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत "पात्र सहकारी बैंकों" [पैरा 3 (ii) देखें] का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलत छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे: निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961'का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

- (i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्य बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निक्षेप, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
- (ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंकों को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनःनिर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

- (ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।
- (iii) डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13 (ए) के अंतगर्त प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाईसेंस के लिए किए गए आवेदन से 3 महीनों के अंदर निगम को उसका पंजीकरण करना होगा।
- (iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्त्त की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलतः ₹1500 तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है:

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
4 फरवरी 2020	₹5,00,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 जनवरी 1962	₹1,500/-

₹5 लाख तक बढ़ा हुआ कवर उन बैंकों पर लागू होता है जिनका 4 फरवरी 2020 से लाइसेंस रद्द हुआ हो/जो विपंजीकृत किए गए हों।

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक(छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष(छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2020	0.12
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमित न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अनुसार निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

- (ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।
- (iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धित में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

- (iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थित हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)] से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।
- (v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।
- (vi) सामान्यतः निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितिरत करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतिरती/बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ पिरसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में पिरसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

(11) निपटाएगएदावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।


(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) जमा बीमा निधि (डीआइएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमित प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यतः निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है।

निगम 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही निगम 1 अक्तूबर 2011 से प्रीमयम पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से वसतु एवं सेवाकर देने के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया



- 1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
- 2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
- डीआईसीजीसी एक बीमित बैंक के रूप में बैंक के पंजीकरण को रद्द करता है और कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर दावे प्रस्तुत करने के लिए परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।
- 4. डीआईसीजीसी दावा सूची के सत्यापन और केवाईसी और परिसमाप्त बैंक के खातों की बहियों और केवाईसी के अनुपालन के लिए एक सनदी लेखाकार नियुक्त करता है। डीआईसीजीसी बैंक की दावा सूची और रिकॉर्ड की पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए सीए के लिए एक परिचय सत्र आयोजित करता है।
- 5. पिरसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग -क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित) और भाग —ख (अन्ट्रेसेबल/केवाईसी गैर-अनुपालन) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म (आईएएसएस के तहत) में डीआईसीजीसी को सूची प्रस्तुत करता है।
- 6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
- 7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस िकया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं को दावों का भुगतान िकए के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग-ख सूची के संबंध में, जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन िकया जाता है पिरसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
- 8. लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए परिसमापक के खाते के नाम पर नामित बैंक खाते में जारी की जाती है।
- 9. नामित बैंक एनईएफटी/डीडी के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

बैंकों का समाधान

परिचय

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद, असफल होने के लिए बहुत बड़े आपस में संबंधित सार्वजिनक रूप से वित्त पोषित वित्तीय संस्थानों के सर्वांगी जोखिम का बेलआउट के माध्यम से समाधान ने समर्पित और सशक्त समाधान प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता पर नीतिगत ध्यान आकर्षित किया। इस पृष्ठभूमि में, प्रणालीगत संस्थानों (बैंकों) के समाधान के दो उपकरण जो भारत में उपलब्ध हैं अर्थात जमा बीमा व बैंक समाधान और ऋण गारंटी योजनाओं को "प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण" के लिए विषय के रूप में चुना गया है।

- जमा बीमा और बैंक समाधान के लिए वैश्विक मानकों/सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास
- 2 जमा बीमा का सार्वजनिक नीति उद्देश्य जमाकर्ताओं की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, जनता के विश्वास को बढ़ावा देना है। बैंक की विफलता से जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई का नुकसान होता है; बचाव / समाधान में बातचीत और अनिश्चितता शामिल होती है जिसमें पर्याप्त लागत और देरी लगती है। यह इस संदर्भ में है कि डीआईए (डीआईए) एक मूक लेकिन नाटकीय परिवर्तन से गुजरे हैं। कई देशों ने बैंक रन को रोकने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जमा बीमा कवर का दायरा और सीमा बढ़ाने जैसे सरकार से गारंटी/उधार और हितधारकों द्वारा एक्स-पोस्ट वित्तपोषण द्वारा समर्थित उपायों के साथ-साथ जमा बीमा एजेंसियों को सशक्त बनाने

के लिए कानून में संशोधन किया है। देश विशिष्ट पहलों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के साथ मिलकर 2009 में जमा बीमा प्रणालियों के लिए मूल सिद्धांत विकसित किए जो नवंबर 2014 में अद्यतन किए गए।

- 3 बैंक समाधान के लिए जमा बीमा निधि का प्रयोग (सुरक्षा उपायों के अधीन) पूर्व परिसमापन चरण जब बैंक जर्जर तरलता के साथ कमजोर होता है, के पुनरुद्धार / पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है और न केवल परिसमापन में जमाकर्ताओं का भुगतान करने के लिए (आईएमएफ 2018)³। वित्तीय स्थिरता के संरक्षण और जमा रनों के जोखिम को कम करने में जमा बीमा और समाधान की घनिष्ठ रूप से संयोजित भूमिकाएँ यह संकेत करती हैं कि बैंक परिसमापनों में जमा बीमा का भुगतान करने के लिए एकत्रित धनराशि बैंक समाधान के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए, जो परिसमापन की आवश्यकता को कम करता है।
- 4 2011 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्तीय संस्थानों के प्रभावी समाधान के लिए एफएसबी प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में नए वैश्विक मानकों को जी-20 के निर्देशन में स्थापित किया गया है, 2014 में इनका संशोधन किया गया।
- 5 आईएडीआई मूल सिद्धांत 9 (अनिवार्य मानदंड 8) के अनुसार, एक डीआईए पेआउट के विकल्प के रूप में सदस्य संस्थानों
- 1 अवलोकन के लिए डीआईसीजीसी वार्षिक रिपोर्ट (2017-18), 'चुनिंदा देशों में समाधान उपकरण' देखें।
- 2 कनाडा जमा बीमा निगम, केंद्रीय जमा बीमा निगम (चीनी ताइपै), संघीय जमा बिमा निगम (यूएस), कोरिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और मलेशियाई डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
- 3 ओएना क्रोटरु, मार्क डोबलर और जॉन मोलिन (2018), समाधान फंडिंग: वित्तीय संस्थानों के विफल होने पर कौन भुगतान करता है? तकनीकी नोट्स और मैनुअल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जुन।
- 4 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2014), वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था हेतु प्रमुख विशेषताएं, अक्टूबर।

के समाधान या परिसमापन के लिए अपने धन का उपयोग कर सकता है, बशर्ते इसके लिए शासन, जवाबदेही और अत्यधिक हास से डीआईए संसाधनों का संरक्षण के उद्देश्य की विभिन्न शर्ते पूरी होती हों। योगदान डीआईए की उस लागत तक सीमित होना चाहिए जो अन्यथा विफल बैंक के परिसमापन में पेआउट में आती, संभाव्य निवल वसूलियाँ "कम से कम लागत" का विकल्प चुना जाना चाहिए। एफएसबी प्रमुख विशेषताएं (केए 6) भी डीआईए को समाधान के लिए धन के संभावित स्रोत मानती है (अनुलग्नक 1)।

समाधान ढ़ांचे पर देशों की पद्धतियाँ

6 इन पहलों के अनुरूप, कई देशों ने या तो एक समर्पित समाधान प्राधिकरण का गठन किया या मौजूदा समाधान प्राधिकरणों/जमा बीमा एजेंसियों की शक्तियों को मजबूत किया। कई क्षेत्राधिकारों में समाधान उपकरणों का एक अलग स्थान है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

7 वित्तीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जवाबदेही व पारदर्शिता में सुधार करने के लिए 2010 में डोड - फ्रैंक अधिनियम अधिनियमित किया गया । इसने तनावग्रस्त संस्थाओं, विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (एसआईएफआई) को इस तरह से समाधान प्रदान करने, जो की कम से कम विघटनकारी और नुकसान को कम करने वाला हो, के लिए संघीय जमा बीमा निगम (एफडीआईसी) को और मजबूत किया। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफडीआई) अधिनियम के तहत सभी विफल बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थानों (बैंकों और बचत और थ्रिफट संस्थानों सिहत) को समाधान प्रदान किया जाता है। व्यवस्थित परिसमापन प्राधिकरण (ओएलए) जिसे डीएफए के शीर्षक II के रूप में भी जाना जाता है, प्राधिकरणों को उन अधिकांश वित्तीय संस्थानों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है

जिसमें गंभीर व्यवस्थागत व्यवधान पैदा करने की संभावना होती है या जिनकी विफलता ै से कर दाताओं को नुकसान हो सकता है। कानूनी ढांचा प्रणालीगत वित्तीय कंपनियों के लिए लागू समाधान व्यवस्था के दायरे और उन परिस्थितियों जिनमे यह डीएफए के शीर्षक II के तहत लाग् होगी को परिभाषित करता है। यह बैंक होल्डिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों और दलालों और डीलरों सहित वित्तीय कंपनियों पर लागू होता है, लेकिन बीमित डिपॉजिटरी संस्थानों पर नहीं, जिन्हें एफडीआई अधिनियम के तहत समाधान प्रदान किया जाना जारी है। शीर्षक II एक बड़ी, जटिल वित्तीय कंपनी जो विफल होने के करीब है को जल्दी और कुशलता से तरल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यह दिवालियापन के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जिसमें एफडीआईसी एक रिसीवर के रूप में परिसमापन और कंपनी बंद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। रिसीवर के रूप में एफडीआईसी को कुछ शक्तियां और तीन से पांच साल की समय सीमा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त करने के लिए दी जाती हैं। समाधान प्रक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य जमाकर्ताओं को उनकी बीमित राशि तक समय पर पहुँच प्रदान करना और कम से कम खर्चीले तरीके से विभिन्न उपकरणों के साथ विफल हो रही संस्था को समाधान प्रदान करना है। विफल वित्तीय संस्थानों को समाधान प्रदान करने के लिए दो बुनियादी तरीके हैं - 'परचेज एंड एस्म्प्शन (पी एंड ए⁷) और 'डिपाजिट पेऑफ़⁸।

कनाडा

8 कनाडा जमा बीमा निगम (सीडीआईसी) कनाडा की संघीय जमा बीमाकर्ता और अपने सदस्य संस्थानों के लिए समाधान प्राधिकरण है। सीडीआईसीके पास कई समाधान उपकरण हैं अर्थात 'परचेज एंड एस्म्प्शन; बलपूर्वक बिक्री; ब्रिज बैंक; बेल-इन और परिसमापन जिसका उपयोग सदस्य संस्था के संभावित विफलता के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक भी शामिल है।

- 5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2015), यूनाइटेड स्टेट्स का वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा - तकनीकी नोट, जुलाई।
- 6 संघीय जमा बीमा निगम (2014), समाधान हैंडबुक, दिसंबर।
- 7 पीएंडए के तहत, एक स्वस्थ संस्था विफल संस्था की कुछ या सभी परिसंपत्तियों को खरीदती है और सभी बीमित जमाओं सहित कुछ देनदारियों को ले लेती है।
- 8 एफडीआईसी विफल वित्तीय संस्थानों के बीमित जमाकर्ताओं के सभी भुगतान करता है।

यूनाइटेड किंगडम

9 बैंकिंग अधिनियम, 2009 के माध्यम से समाधान प्राधिकरण को बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (बीओई) के भीतर स्थापित किया गया था। समाधान प्रावधान बैंकों, बिल्डिंग सोसाइटियों और कुछ निवेश फर्मों और यूनाइटेड किंगडम में निगमित उनकी वित्तीय होल्डिंग्स पर लागू हैं जबिक बीमा कंपनियों को इसे बाहर रखा गया है। इसका दायरा 2014 में सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीज (सीसीपी) को इससे कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। समाधान के दायरे को 2015 में यूरोपीय संघ के बैंक वसूली और समाधान निदेशकों के कार्यान्वयन के माध्यम से सुदृढ़ किया गया जो अब एफएसबी के केए के साथ संगत है। यह उन तरीकों की पहचान करता है, जिसमें बीओई (समाधान प्राधिकरण के रूप में), सूक्ष्म विवेकपूर्ण नियामकों [प्रूडेंशियल नियमन प्राधिकरण (पीआरए), वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए)], हर मेजेस्टी ट्रेजरी (एचएमटी) और अन्य हितधारक [जैसे वित्तीय सेवा मुआवजा योजना (एफएससीएस) और विदेशी समाधान प्राधिकरण] एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं°।

10 समाधान प्राधिकरण (आरए) बैंक को समाधान के अंतर्गत रखे जाने से पहले दो शर्ते पूरी किया जाना निर्धारित करता है। सबसे पहले, बैंक को विफल माना जाना चाहिए या इसके बैंक द्वारा पूर्ण की जाने वाली दहलीज शर्तों को पूरा करने में विफल होने की संभावना हो: लागू पूंजी और तरलता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन; जोखिम को मापने, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त संसाधन और फिट एंड प्रापर प्रबंधन (विनियामक मानदंड के अनुसार) जो विवेकपूर्ण तरीके से व्यवसाय का संचालन करते हैं। दूसरी शर्त यह है कि यथोचित रूप से यह संभावना नहीं होनी चाहिए कि समाधान के दायरे से बाहर की गई कार्रवाई से बैंक विफल न हो जाए या विफल होने की सम्भावना न हो। मुख्य

समाधान उपकरण साधन: बेल-इन, निजी खरीदार को हस्तांतरण, ब्रिज बैंक को हस्तांतरण और एक परिसंपत्ति प्रबंधन वाहन को हस्तांतरण हैं।

यूरोपीय संघ

यूरो क्षेत्र के भीतर, पूरी तरह से सामंजस्यी कानूनों, विनियमों और प्रथाओं के एक सेट के तहत बैंकों के केंद्रीकृत निरीक्षण और समाधान के दायित्वों के साथ एक नया बैंकिंग संघ बनाया गया। बैंक वसूली और निदेश (बीआरआरडी) 2014 को सभी यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों में बैंक समाधान के एक कॉमन ढांचे के रूप में विकसित किया गया। बीआरआरडी के प्रमुख तत्व हैं: वसूली और समाधान योजना के माध्यम से समाधान की तैयारी और रोकथाम; पर्यवेक्षक द्वारा शुरुआती हस्तक्षेप उपायों का बढ़ाया गया सेट; समाधान उपकरण और शक्तियों का मजबूत सेट; और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच सहयोग और समन्वय। बैंक समाधान एकल समाधान बोर्ड (एसआरबी) द्वारा प्रबंधित होता है जो समाधान उपकरण लागू करने और एकल समाधान निधि जो बैंकिंग उद्योग द्वारा वित्तपोषित और एसआरबी के स्वामित्व में होता है, के उपयोग का निर्णय लेता है। एकल समाधान तंत्र (एसआएम) विनियम बीआरआरडी का पूरक है, न कि प्रतिस्थापन या स्थानापन्न। बीआरआरडी के तहत प्रदान किए जाने वाले पाँच समाधान उपकरण हैं: बेल-इन, व्यापार की बिक्री, आस्तियां पृथक्करण, ब्रिज संस्था और अंतिम उपाय के रूप में सरकार स्थिरीकरण 10

दक्षिण कोरिया

12 वित्तीय संस्थानों के समाधान के लिए कानूनी ढांचे दो विधानों में स्थापित है: वित्तीय उद्योग का संरचनात्मक सुधार अधिनियम (एएसआईएफआई) 1991 और 1995 में अधिनियमित जमाकर्ता

⁹ बैंक ऑफ इंग्लैंड (2017), बैंक ऑफ इंग्लैंड के समाधान के लिए दृष्टिकोण, अक्टूबर और बीओई (2018), बैंक ऑफ इंग्लैंड की समाधान व्यवस्थाओं का मूल्यांकन-बैंक, बिल्डिंग सोसायटी और प्रमुख निवेश फर्म, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, जून।

¹⁰ विश्व बैंक (2017), यूरोपीय संघ में बैंक वसूली और समाधान समझना : बीआरआरडी के लिए एक गाइडबुक, अप्रैल

संरक्षण अधिनियम । इन दो अधिनियमों के अधीन कोरिया में समाधान के लिए जिम्मेदारी के साथ दो प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान की गई हैं: वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) और कोरिया जमा बीमा निगम (केडीआईसी) । एक साथ, दोनों अधिनियम साधारण दिवालिया व्यवस्था से अलग वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के लिए एक प्रशासनिक समाधान व्यवस्था बनाते हैं। एफएससी प्रमुख समाधान प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इस हैसियत से वह यह निर्धारित करने के लिए कि क्या समाधान शुरू करने के लिए शर्तों को पूरा किया गया है और समाधान रणनीति तय करने के लिए उत्तरदायी है। एफएससी पर्यवेक्षी नीतियों और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें सुधारात्मक उपाय लागू करना शामिल है। केडीआईसी कोरिया का एकीकृत जमा बीमाकर्ता है और एफएससी द्वारा निर्धारित समाधान कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एफएससी वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। केडीआईसी किसी विफल वित्तीय संस्थान या किसी तीसरे पक्ष के अधिग्रहणकर्ता या ब्रिज संस्थान को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। प्राधिकरणों द्वारा चुने गए समाधान उपकरण के अनुसार धन प्रदान किया जा सकता है। वित्तपोषण का प्रावधान डीपीए के तहत स्थापित न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुपालन के अधीन है।

भारत

13 भारत में वित्तीय क्षेत्र संस्थाओं का समाधान कई नियामकों द्वारा किया जाता है। एफएसबी के केए के अनुसार वित्तीय संस्थानों के समाधान ढांचे में अंतरालों को भरने और सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र को दायरे में लेने के लिए एक पूर्ण विकसित समाधान प्राधिकरण की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। दिवालिये ढांचे की प्रधानता, जमा बीमा की बढ़ी हुई भूमिका, बैंकों के लिए न्यूनतम लागत का समाधान और वित्तीय क्षेत्र के समाधान ढांचे के रोडमैप को मान्यता दी जा रही है¹²। जमा बीमा के अलावा, समाधान उपकरण, परिसमापन शक्तियां और निरीक्षण कार्यों में बढ़ोतरी और समाधान योजना मोटे तौर पर एफएसबी के केए और सीपी जो वित्तीय स्थिरता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, के अनुरूप हैं। जबिक डीआईसीजीसी एक 'पे बॉक्स' की भूमिका निभाता है, डीआईसीजीसी अधिनियम 1961, एक सीमित आदेश के साथ, भारत में नियामकों द्वारा अनुमोदित योजनाओं में एक सीमित भागीदारी की अनुमित देता है।

14 डीआईसीजीसी अधिनियम में नियामक द्वारा विलय योजना को मंजूरी मिलने के बाद कमजोर बैंक को मजबूत बैंक के साथ विलय के मामले में वित्तीय सहायता के लिहाज से सीमित समाधान कार्य का प्रावधान है। डीआईसीजीसी ने स्थापना के बाद से 36 बैंकों (25 वाणिज्यिक बैंक: ₹294 करोड़ और 11 सहकारी बैंकों: ₹74 करोड़) के संबंध में ऐसे विलय में वित्तीय सहायता प्रदान की जो ₹368 करोड़ की राशि है। इस तरह की पहली योजना 1963 में आई थी जिसमें बैंक ऑफ अलगापुरी लिमिटेड का इंडियन बैंक में विलय हुआ था। वित्तीय संस्थाओं को समाधान प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत में एक मजबूत समाधान प्राधिकरण की आवश्यकता है और डीआईसीजीसी अधिनियम को संशोधन द्वारा मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।

- 11 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2017), कोरिया की सहकर्मी समीक्षा, दिसंबर।
- 12 डी सुब्बा राव (2011), संकल्प फ्रेमवर्क में जमा बीमा की भूमिका वित्तीय संकट से सबक, नवंबर।
- 13 जमा बीमा एजेंसियों के आदेश को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स" जमा बीमाकर्ता केवल बीमित जमाओं की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है; (ii) "पे बॉक्स एलस" जमा बीमाकर्ता के पास कुछ समाधान कार्यों (जैसे, वित्तीय सहायता) जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं; (iii) "हानि कम करने वाला" बीमाकर्ता सक्रिय रूप से कम लागत वाली समाधान रणनीतियों के चयन में संलग्न है; और (iv) "जोखिम कम करने वाला" बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन/प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों का एक पूर्ण सूट और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निरीक्षण जिम्मेदारियां शामिल हैं।
- 14 छत्तीस विलय/समामेलन को डीआईसीजीसी ने अपने निधियों में से समर्थन दिया था।

जमा बीमाकर्ताओं के समाधान उपाय

2016 आईएडीआई सर्वेक्षण के अनुसार, जिसके लिए 41 सदस्यों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं, 15 क्षेत्राधिकारों में 17 जमा बीमाकर्ताओं ने पीएंडए का उपयोग करके एक या अधिक असफल संस्थानों का समाधान किया था। जबकि एफडीआईसी एक बैंक को समाधान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, सीडीआईसी और डीआईसीजे जैसे अन्य बीमाकर्ता बड़ी संस्थाओं सहित बैंकों को समाधान प्रदान करने में सरकार की ओर से कार्य करते हैं। जमा बीमाकर्ता द्वारा समर्थित एक अम्ब्रेला तंत्र के माध्यम से सहकारी समितियों सहित छोटे बैंकों के लिए एक अलग समाधान तंत्र कनाडा और यूरोप जैसे देशों में उपलब्ध है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर 2015 के अंत तक कुल 10,856 विफल वित्तीय संस्थानों में से 38.8 प्रतिशत का समाधान पीएंडए लेनदेन के माध्यम से किया गया था। पीएंडए विधि के लिए अधिमान अमेरिका में विशेष रूप से मजबूत है: एफडीआईसी ने पीएंडए द्वारा विफल 4,089 (46.7 प्रतिशत) में से 1,911 को संभाला; राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन प्रशासन (एनसीयूए) के लिए संगत आंकड़ा कुल 3,615 में से 1,837 (50.8 प्रतिशत) है।

16 समग्र पीएंडए के उपयोग के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और पोलैंड द्वारा किया गया है। पीएंडए विधि जो डीआई के लिए एक नुकसान कम करने वाला उपकरण है, के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित होने के लिए कई कारकों के सेट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यथा, समाधान की कम लागत, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे कम व्यवधान; समाधान विकल्पों के चयन में लचीलापन; बीमित जमाओं का त्वरित हस्तांतरण; और जमाकर्ता सेवाओं की निरंतरता। हालांकि, पीएंडए लेनदेन को पूरा करने की भी अपनी सीमाएं हैं जैसे: परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में कठिनाई और कमजोर बाजार स्थितियों के कारण

एक सीमित समय सीमा में परिसंपत्तियों के लिए संभावित खरीदारों की पहचान करना; इच्छुक खरीदारों की कमी; ब्रिज बैंक उपकरण के उपयोग के साथ जुड़ी बढ़ी हुई लागत; और कम लागत अनुमानों के साथ कठिनाइयां ¹⁵।

एफएसआई और आईएडीआई द्वारा सर्वेक्षण की गई 32 जमा बीमा एजेंसियों में से जो जमाकर्ताओं को पे आउट के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करती हैं, उनमें से अधिकांश पीएंडए लेनदेन के माध्यम से ऋण चुका देने में सक्षम बैंक में गतिविधियों के हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए धन का प्रावधान करती हैं। छब्बीस जमा बीमा एजेंसियां पीएंडए लेन-देन के किसी प्रकार का समर्थन करते हैं. जिसमें कम से कम जमाओं के हस्तांतरण शामिल हैं। सोलह जमा बीमा एजेंसियां सदस्यों को पूंजी भी प्रदान करते हैं. या तो दिवालियेपन को रोकने के उपाय के रूप में या समाधान के भीतर या दोनों। केडीआईसी ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक समूह का समाधान किया जिन्हें बाद में शेयरों की खरीद सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से निजी संस्थाओं के रूप में अलग कर दिया गया। 16 जमा बीमा एजेंसियां जो पूंजी का योगदान कर सकती हैं. पांच सदस्य बैंकों को दिवालियेपन से पहले और समाधान में पूंजी सहायता प्रदान करते हैं, और तरलता (कुछ परिस्थितियों में) भी प्रदान कर सकते हैं। छह अन्य जमा बीमा एजेंसियां उन बैंकों को पूंजी प्रदान करती हैं जो अभी तक दिवालिया नहीं हैं, और पांच केवल समाधान में बैंकों को पूंजी प्रदान करते हैं। बीस जमा बीमा एजेंसियां तरलता सहायता प्रदान कर सकते हैं, या तो दिवालियेपन को रोकने के उपाय के रूप में या समाधान के भीतर या दोनों। 20 जमा बीमा एजेंसियां जो सदस्य बैंकों को तरलता प्रदान कर सकते हैं, पांच दिवालियेपन और समाधान से पहले ऐसा कर सकते हैं, और उनमें से प्रत्येक कम से कम कुछ परिस्थितियों में पूंजी सहायता प्रदान कर सकता है। पांच जमा बीमा एजेंसियां दिवालिया बैंकों को

¹⁵ आईएडीआई (2019), परचेज एंड एसम्पशन, शोध पत्र, नवंबर।

¹⁶ पेट्रीज़िया बॉडिनो, रयान डिफाल्टर, जोस मारिया फर्नांडीज रियल, कुमुदिनी हाजरा और रूथ वाल्टर्स (2019), बैंक विफलता प्रबंधन - जमा बीमा की भूमिका, नीति कार्यान्वयन संख्या पर एफएसआई इनसाइट्स सं 17, अगस्त

नकदी प्रदान कर सकते हैं। चार जमा बीमा एजेंसियां समाधान में पूंजी सहायता प्रदान कर सकते हैं, जबिक अन्य तरलता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, तरलता सहायता जो उपकरणों या उपायों में से एक है, प्रदान करने में सक्षम सभी जमा बीमा एजेंसियों ने वास्तव में ऐसा नहीं किया है, या नियमित रूप से ऐसा करते हैं।

II ऋण गारंटी योजनाएं

18 ऋण गारंटी योजनाएं (सीजीएस) मुख्य रूप से सरकार द्वारा दुनिया भर में लघु और मध्यम (सूक्ष्म) उद्यमों (एसएमई), छोटे उधारकर्ताओं और छोटे किसानों के सामने आने वाली वित्तपोषण बाधाओं को कम करने के लिए एक नीतिगत हस्तक्षेप है। विभिन्न देशों में ऋण की निजी गारंटी भी मौजूद है। इन सीजीएस का बैंकों के कारोबारी जोखिम पर स्मूदनिंग इफेक्ट होता है और ऋण वितरण में इजाफा होता है। जब तरलता विंडो के साथ समर्थित होता है, तो वे उधारकर्ताओं को ब्याज लागत को भी कम करते हैं। ये योजनाएं उन समूहों को गारंटी प्रदान करती हैं जिनके पास ऋण के चूक जोखिम के हिस्से को कवर करके ऋण तक पहुंच नहीं है। चूक के मामले में, ऋणदाता गारंटी के मूल्य को वसूल करता है। गारंटी एक मार्जिन के अधीन आंशिक रूप से/पूरी तरह से ऋण को कवर कर सकती है। सीजीएस भी एसएमई को सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रति चक्रीय भूमिका निभाती हैं।

वैश्विक सिद्धांत और मानदंड

19 वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि सीजीएस काफी हद तक सरकार, वित्तीय संस्थानों और सदस्य व्यापार फर्मों से योगदान से समर्थन के माध्यम से संचालित कर रहे है और उनके कार्य जमा बीमा एजेंसियों या समाधान प्राधिकरणों के बाहर हैं। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक ऋण गारंटी योजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यबल ने एसएमई (अनुलग्नक 1) का समर्थन करने वाले सार्वजनिक सीजीएस के लिए सिद्धांत निर्धारित किए। एक उपयुक्त

कानूनी और विनियामक संरचना पर जोर देते हुए इसने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि सीजीएस के गारंटी वितरण दृष्टिकोण को देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए आउटरीच, अतिरिक्तता और वित्तीय स्थिरता के बीच ट्रेड ऑफ़ को उचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। सिद्धांतों में सीजीएस की सफलता के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले चार प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है: (i) कानूनी और नियामक ढांचे; (ii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन; (iii) परिचालन ढांचा; और (iv) मूल्यांकन की निगरानी। सीजीएस द्वारा जारी की गई गारंटी आंशिक होनी चाहिए, जो एसएमई उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के लिए सही प्रोत्साहन प्रदान करती हो और उधारदाताओं के लिए प्रासंगिक विवेकपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन गई हो। ऐसे ऋणों का मूल्य निर्धारण जोखिम आधारित होना चाहिए और ऐसी योजनाओं की गारंटी देने वाली इकाई उद्यम-व्यापी जोखिम आकलन और उचित शासी मानकों के अधीन होनी चाहिए।

एसएमई, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सामने आने वाली वित्तपोषण संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए ऐसे सीजीएसएस के लिए पहल की गई है। जी-20/ओईसीडी ने सितंबर 2015 में एसएमई वित्तपोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत विकसित किए हैं: (i) एसएमई वित्तपोषण की जरूरतों और अंतरालों की पहचान करें और सबूतों के आधार में सुधार करें; (ii) पारंपरिक बैंक वित्तपोषण तक एसएमई की पहुंच को मजबूत बनाना; (iii) एसएमई को विविध गैर-पारंपरिक बैंक वित्तपोषण साधनों और चैनलों तक पहुंच सक्षम बनाना; (iv) अनौपचारिक फर्मों सहित एसएमई के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना; (v) वित्तीय स्थिरता और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करते हुए डिजाइन विनियमन जो एसएमई के लिए वित्तपोषण उपकरणों की एक श्रृंखला का समर्थन करता है; (vi) एसएमई वित्त बाजारों में पारदर्शिता में सुधार; (vii) एसएमई वित्तीय कौशल और रणनीतिक दृष्टि को बढ़ाएं; (viii) सार्वजनिक रूप से समर्थित एसएमई वित्त साधनों के लिए जोखिम साझा करने के सिद्धांतों को अपनाएं ; (ix) वाणिज्यिक लेनदेन और सार्वजिनक खरीद में समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करें ; (x) एसएमई वित्त के लिए सार्वजिनक कार्यक्रमों को डिजाइन करें जो अतिरिक्तता, लागत प्रभावशीलता और उपयोगकर्ता-मित्रता सुनिश्चित करते हैं; और (xi) एसएमई वित्त को बढ़ाने के लिए सार्वजिनक कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।

देश प्रथाएं

कोरिया में कोरिया क्रेडिट गारंटी फंड अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1 जून 1976 को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित कोरिया ऋण गारंटी निधि (केओडीआईटी), एसएमई के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण संस्था है। निधि के स्रोत मुख्य रूप से सरकार और बैंक हैं। केओडीआईटी का उद्देश्य होनहार एसएमई और उद्यमों, जिसमें ठोस जमानत की कमी है; की देनदारियों के लिए ऋण गारंटी का विस्तार करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का नेतृत्व करना, और कुशल प्रबंधन व ऋण जानकारी के उपयोग के माध्यम से मजबूत ऋण लेनदेन का उद्दीपन है। सीजीएस कोरिया में एसएमई फाइनेंसिंग में सबसे प्रभावी और बाजार के अनुकूल सरकारी हस्तक्षेप है । सियोल गारंटी इंश्योरेंस कंपनी (एसजीआई) का स्वामित्व अन्य बीमाकर्ताओं के अलावा कोरियन डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (93.85 प्रतिशत) के पास है। यह एक व्यापक क्रेडिट गारंटी प्रदाता है और वाणिज्यिक और वित्तीय ऋण गारंटी को अंडरराइट करता है। केडीआईसी के पास कोरिया में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए काफी उन्नत समाधान तंत्र है। 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत की उत्कृष्ट गारंटी के साथ सीजीएस अच्छी तरह से स्थापित है।

22 जापान में, क्रेडिट गारंटी निगम की स्थापना 1937 में की गई थी। एसएमई के लिए एक क्रेडिट बीमा प्रणाली को 1950 में लागू किया गया था। 2006 में जोखिम से संबंधित गारंटी-शुल्क योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत फीस के लिए दरें कर्जदारों की वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती थीं। वित्तीय संस्थानों के पास अच्छे उधारकर्ताओं के लिए स्क्रीन करने, उधारकर्ताओं की निगरानी करने और परेशान उधारकर्ताओं को अपने व्यावसायिक योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं थे। जब गारंटी किए गए उधारकर्ता वापस भुगतान करने में विफल हो जाएं तब भी उन्हें कोई नुकसान उठाना भी नहीं होगा क्योंकि सभी नुकसान क्रेडिट गारंटी निगमों द्वारा अवशोषित किया गया।कमियों को दूर करने के लिए 2007 में जिम्मेदारी बांटने की व्यवस्था शुरू की गई थी। जिम्मेदारी साझा प्रणाली के लिए ऋण के मूल्य के 0.45 प्रतिशत से 1.90 प्रतिशत तक नौ अलग-अलग गारंटी शुल्क दरें हैं और गैर-उत्तरदायित्व-साझाकरण प्रणाली के लिए 0.50 प्रतिशत से 2.20 प्रतिशत तक हैं। नई प्रणाली के तहत, वित्तीय संस्थान नुकसान का कुछ हिस्सा साझा करते हैं जब उधारकर्ता चूक करते हैं। वित्तीय संकट के जवाब में जापानी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए। आपातकालीन ऋण गारंटी कार्यक्रम (ईसीजीपी) जापानी सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ओईसीडी देशों के बीच सबसे बड़े एकल क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। मानक ऋण गारंटी प्रोग्राम (एससीजीपी) की तुलना में, ईसीजीपी में नई विशेषताएं हैं, (i) सीजीसी सभी जोखिमों (यानी 100 प्रतिशत गारंटी) को लेते हैं; और ईसीजी ऋण देने वाले बैंक ऋण जोखिम सहन नहीं करते; (ii) ईसीजी ऋण की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है, जबिक एक मानक ऋण गारंटीकृत ऋण की सात वर्ष है; और (iii) एससीजीपी के तहत प्रीमियम 0.45 प्रतिशत से 1.90 प्रतिशत तक होता है जबकि ईसीजीपी ऋणों के लिए प्रीमियम एक निश्चित प्रतिशत (0.75 प्रतिशत - 0.80 प्रतिशत) 17 है। हालांकि, ईसीजीपी उस सुधार नीति के साथ असंगत है जिसका जापान सरकार ने दो रूपों में संकट से पहले पालन किया था : ईसीजीपी बैंकों को 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करता है.

17 नोबुयोशी यामोरी (2015), जापानी एसएमई और क्रेडिट गारंटी सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, कोजेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 3।

और यह फर्मों को निश्चित शुल्क दरों पर प्रभारित करता है जो फर्मों के जोखिम पर निर्भर नहीं हैं।

पश्चिमी यूरोप में एसएमई और मिड-कैप्स के लिए प्रमुख 23 बहुराष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी प्रदाता यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड (ईआईएफ) है। इसके अलावा, यूरोपीय निवेश बैंक तेजी से नए "जोखिम साझा करने वाले " उत्पादों की तैनाती कर रहा है। देश स्तर की क्रेडिट गारंटी एसएमई की वित्त तक पहुंच का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीजीएस विशेष रूप से इटली और पुर्तगाल में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जहां एसएमई क्रेडिट गारंटी की बकाया मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग दो प्रतिशत है। हालांकि सीजीएस के राष्ट्रीय ढांचे देश दर देश विषमता दिखाते हैं, अधिकांश देशों में सीजीएस सार्वजनिक स्वामित्व में हैं और केवल अपने गृह देश में सक्रिय हैं। दुनिया भर में ऋण गारंटी योजनाओं के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि विकासशील देशों में अधिकांश ऋण गारंटी योजनाएं सार्वजनिक योजनाएं हैं, जबिक विकसित देशों में अधिकांश ऋण गारंटी योजनाएं लघु व्यवसाय फर्मों के सदस्यों द्वारा गठित पारस्परिक गारंटी संघ (एमजीए) हैं। आंशिक ऋण गारंटी योजनाओं में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादातर वित्तपोषण और प्रबंधन तक सीमित है और ऋण जोखिम आकलन और वसूली में बहुत कम है।

24 52 देशों में तीन-चौथाई से अधिक सर्वेक्षण किए गए सीजीएस ने बताया कि वित्त मंत्रालय स्वामित्व इकाई का सबसे आम रूप है, जो 31 प्रतिशत है, इसके बाद अर्थव्यवस्था मंत्रालय 18 प्रतिशत के साथ है। स्वामित्व संस्थाओं में केंद्रीय बैंक, विभिन्न सरकारी एजेंसियां और विकास वित्त संस्थान²⁰ शामिल हैं। सीजीएस एक तेजी से महत्वपूर्ण नीति उपकरण बन गया है जिसके माध्यम से दुनिया भर की सरकारें एसएमई की ऋण तक सीमित पहुंच के मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों या निर्देशित ऋण व्यवस्थाओं जैसे अन्य प्रकार के हस्तक्षेपों के विपरीत, सीजीएसएस आमतौर पर बाजार आधारित ऋण आवंटन तंत्र के साथ सब्सिडी तत्व को जोड़ते हैं। इसिलए, वे ऋण बाजार में कम विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं और बेहतर ऋण आवंटन परिणामों का कारण बन सकते हैं। सीजीएस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आउटरीच, अतिरिक्तता और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करें।

भारत में ऋण गारंटी योजनाएं

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना और 1971 में तीन और योजनाएं शुरू की थीं अर्थात लघु ऋण गारंटी योजना (1971) (छोटे उधारकर्ता); (ii) लघु ऋण गारंटी योजना (राज्य वित्त निगमों द्वारा गारंटीकृत ऋण); और (iii) सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 (ऋण सुविधाओं का अनुदान)। आरबीआई को बैंकों और अन्य ऋण संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों, छोटे किसानों और उधारकर्ताओं को छोटे ऋणों को अग्रिम की गारंटी देने के लिए योजना का प्रशासन सौंपा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत जरूरतमंद उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1971 में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) को बढ़ावा दिया। सीजीसीआई के ऋण गारंटी कार्यों और जमा बीमा कार्यों को एकीकृत किया गया था और डीआईसीजीसी की स्थापना जुलाई 1978 में की गई थी और भारत सरकार की योजनाओं को इसके तहत समाहित किया गया था। इसके बाद डीआईसीजीसी ने भारत सरकार की 3 योजनाओं को बंद करने के बाद 1981 में नई योजनाएं बनाई अर्थात (i) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना अप्रैल 1981; (ii) लघु ऋण

¹⁸ मुस्तफा चैटज़ौज, एरन गेरेबेन फ्रैंक लांग और वॉटर टोरफ्स (2017), पश्चिमी यूरोप में एसएमई लेंडिंग के लिए ऋण गारंटी योजनाएं, यूरोपीय निवेश कोष और यूरोपीय निवेश बैंक, वर्किंग पेपर नंबर 42।

¹⁹ थोस्टस्टन बेक, लियोरा एफ क्लैपर और जुआन कार्लोस मेंडोजा (2008), दुनिया भर में आंशिक ऋण गारंटी निधि की टाइपोलॉजी, विश्व बैंक, पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर, 4771

²⁰ पिएत्रो कैलिस (2016), एसएमई के लिए सार्वजनिक ऋण गारंटी के लिए सिद्धांतों के कार्यान्वयन का आकलन: एक वैश्विक सर्वेक्षण, नीति अनुसंधान कार्य पत्र संख्या 7753

(सहकारी ऋण समिति गारंटी योजना 1982; और (iii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, जुलाई 1984। लघु उद्योगों को शामिल करने वाली योजनाएं अधिक लोकप्रिय थीं। हालांकि, बैंकों ने धीरे-धीरे 1990²¹ के दशक के अंत में डीआईसीजीसी की योजनाओं से बाहर होने का विकल्प चुना।

26 तदनुसार, भारत सरकार ने अगस्त 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी योजनाओं को बढ़ावा दिया, जून 2012 में शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास देने के लिए और मार्च 2014 में शैक्षिक ऋण, कौशल विकास, आढ़ती, स्टैंड अप इंडिया योजना और सूक्ष्म इकाइयों के प्रावधान के लिए।

27 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट: सीजीटीएमएसई के न्यासी बोर्ड ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) उधारकर्ताओं को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा विस्तारित ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना तैयार की । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद न्यास को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास का नाम दिया गया। सीजीटीएमएसई में सदस्य ऋण देने वाली संस्था (संस्थाओं) द्वारा एमएसई क्षेत्र में एक पात्र उधारकर्ता को विस्तारित ऋण सुविधाओं (निधि आधारित और/या गैर निधि आधारित) को शामिल किया गया है, जो (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/वित्तीय संस्थानों के मामले में ₹50 लाख से अधिक नहीं है; (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के मामले में ₹200 लाख; (iii) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के मामले में मियादी ऋण और/अथवा कार्यकारी पूंजी सुविधाओं के रूप में ₹50 लाख अथवा ट्रस्ट के साथ समझौता करने के बाद, बिना किसी जमानत सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी या ऐसी राशि के रूप में जिसका निर्णय समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। एमएसएमई को मिलने वाली धनराशि का योगदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया जाता है।

28 निम्न आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास: यह योजना आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वाले आवास के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ₹5 लाख तक के जमानत मुक्त/तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त आवास ऋण को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। नेशनल हाउसिंग बैंक को इंस योजना के तहत निधि न्यास का प्रबंधन करना अनिवार्य किया गया है।

28 मार्च, 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में बहु ऋण गारंटी निधि के लिए एक उभयनिष्ठ ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करता है। ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के ऋण जोखिम को साझा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और बदले में, संभावित उधारकर्ताओं के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। एनसीजीटीसी के सामान्य वास्तु को सरकार के एक बड़े वित्तीय समावेशन के भाग के रूप में परिचालन कुशलता और पैमाने की मितव्ययताओं को प्राप्त करने की दृष्टि से एक अम्ब्रेला संगठन के तहत कई गारंटी कार्यक्रमों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रॉस-सेक्शन और सेगमेंट शामिल हैं जैसे छात्र, सूक्ष्म उद्यमी, महिला उद्यमी, एसएमई, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरतें आदि। वर्तमान में, एनसीजीटीसी के प्रबंधन के तहत पांच समर्पित

21 राय सिमिति (1995) के आधार पर ऋण गारंटी योजनाओं के नियम और शर्तों में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों ने निगम के साथ दावों को तरजीह देने के लिए मानदंडों को और अधिक कठोर बना दिया था। निगम वर्तमान में किसी भी ऋण गारंटी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और न ही कोई देनदारियों का भुगतान किया जाना है (अभी भी मैन्डेट है) और जमा बीमा अप्रैल 2003 से निगम का प्राथमिक कार्य बना हुआ है। ऋण गारंटी न्यास हैं, और उनकी योजनाओं की विशेषताएं हैं:

- (i) भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के सदस्य बैंकों द्वारा शैक्षिक ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफई) को बिना जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के ₹7.5 लाख तक बढ़ाया गया;
- (ii) कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसडी) जो बिना जमानत या तृतीय-पक्ष गारंटी के ₹5,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक है;
- (iii) आढ़त के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एफ़) एमएसएमई की प्राप्ति के घरेलू आढ़त तक सीमित है। बिना रिकोर्स के आढ़त की के अंतिम लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार क्रेता के लिए जोखिम सीमा ऋण गारंटी कॉर्पस निधि के कॉर्पस के 10 प्रतिशत तक है [एएए रेटेड खरीदारों के मामले में 20 प्रतिशत तक की छूट];
- (iv) सूक्ष्म इकाइयों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों / एनबीएफ़सी / एमएफ़आई / अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा निर्दिष्ट निर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में 10 लाख) तक के ऋण के लिए सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि(सीजीएफ़एमयू)। इसके अलावा, प्रधान मंत्री जन धन योजना खातों के तहत ₹5,000/- की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी इस योजना के तहत कवर करने के लिए पात्र है; तथा
- (v) स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पात्र ऋण संस्थानों द्वारा ₹10 लाख से ₹100 लाख तक की ऋण सुविधाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया ऋण क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफ़एसआई)।
- 30 आत्म निर्भर भारत के तहत उपाय: आत्म निर्भर भारत उद्दीपक उपायों के के हिस्से के रूप में अपनी प्रस्तुति में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 13-17 मई, 2020 के दौरान कई ऋण गारंटी उपायों की घोषणा की अर्थात, (i) एमएसएमई सहित व्यवसायों को ₹3 लाख करोड़ का जमानत मुक्त स्वचालित ऋण- बैंकों और एनबीएफसी को मूलधन और ब्याज पर 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवर; (ii) तनावग्रस्त

एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ गौण ऋण — सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना(सीजीटीएमएसई) बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी सहायता प्रदान करेगी। 17 मई, 2020 को एनबीएफसी/एमएफआइ की देनदारियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की गई। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) अपने पूरे ₹50 करोड़ तक के बकाया ऋण का 20 प्रतिशत जो 29 फरवरी, 2020 तक ₹10 करोड़ तक है, तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी टर्म ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करती है, बशर्ते खाता उस तारीख को 60 दिनों से कम या उसके बराबर के लिए देय हो। कोविड 19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए छोटे और मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआइ) को पूल किए गए ऋणों को आंशिक रूप से गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है।

निष्कर्ष

दुनिया भर में ऋण गारंटी योजनाएं बड़े संभावित विकास और रोजगार वाले अल्पसेवित छोटे और मध्यम उद्यमों तक वित्त पहुंच में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण बन गई हैं। डिजाइन, कार्यान्वयन में शामिल जोखिमों को देखते हुए विश्व बैंक और जी-20 और ओईसीडी ने इन योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आउटरीच, वित्तीय और आर्थिक अतिरिक्तता और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सिद्धांत विकसित किए हैं। सीजीएस ने जापान और दक्षिण कोरिया में एसएमई के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में, क्रेडिट गारंटी कार्य भारत में कई एजेंसियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत के हिस्से के रूप में एसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आंशिक ऋण गारंटी उपायों की भी घोषणा की। आगे बढ़ते हुए, पैमाने और कार्यक्षेत्र की मितव्ययताओं में सुधार करने और निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ऋण गारंटी कार्य को एक इकाई के तहत लाना उपयुक्त हो सकता है।

अनुलग्नक 1: वित्तीय संस्थानों और जमा बीमा के समाधान के लिए वैश्विक सिद्धांत और मानदंड

वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं के केए ने प्रभावी समाधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मुल तत्वों को निर्धारित किया है। उनके कार्यान्वयन से प्राधिकरणों को अपने महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखते हुए, शोधन क्षमता समर्थन से करदाता को हानि जोखिम के बिना एक व्यवस्थित तरीके से वित्तीय संस्थानों को समाधान प्रदान होना चाहिए। एफएसबी के केएएस के अनुसार, एक प्रभावी समाधान व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए: (i) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं की निरंतरता और भुगतान, समाशोधन और निपटान कार्य सुनिश्चित करना चाहिए; (ii) जहां लाग् हो और संबंधित बीमा योजनाओं और व्यवस्थाओं के साथ समन्वय में ऐसी जमाकर्ताओं, बीमा पॉलिसी धारकों और निवेशकों के साथ समन्वय किया जाए, जो ऐसी योजनाओं और व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, और अलग-अलग ग्राहक परिसंपत्तियों की तेजी से वापसी सुनिश्चित करते हैं का संरक्षण; (iii) फर्म मालिकों (शेयरधारकों) और असुरक्षित और अबीमाकृत लेनदारों को इस तरीके से नुकसान आवंटित करें जो दावों के पदानुक्रम का सम्मान करता है; (iv) सार्वजनिक शोधन क्षमता समर्थन पर भरोसा न करें और यह अपेक्षा पैदा न करें कि ऐसा समर्थन उपलब्ध होगा; (v) मृत्य के अनावश्यक विनाश से बचें, और इसलिए घर और मेजबान क्षेत्राधिकारों में समाधान की समग्र लागत को कम करने की कोशिश करते हैं और जहां अन्य उद्देश्यों के अनुरूप, लेनदारों के लिए नुकसान; (vi) व्यवस्थित समाधान के लिए कानुनी और प्रक्रियात्मक स्पष्टता और उन्नत योजना के माध्यम से गति और पारदर्शिता और यथासंभव पूर्वानुमेयता प्रदान करें; (vii) समाधान से पहले और दौरान घरेलू और प्रासंगिक विदेशी समाधान प्राधिकरणों के साथ सहयोग, सूचना आदान-प्रदान और समन्वय के लिए कानून में अधिदेश प्रदान करें; (viii) यह सुनिश्चित करें कि गैर-व्यवहार्य फर्में व्यवस्थित तरीके से बाजार से बाहर निकल सकें; और (ix) विश्वसनीय बनें, और इस तरह बाजार अनुशासन में वृद्धि और बाजार आधारित समाधान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें।

2 समाधान व्यवस्था में ये शामिल होना चाहिए: (i) स्थिरीकरण विकल्प जो फर्म में शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता प्राप्त करते हैं या फर्म के सभी या कुछ हिस्सों को किसी तीसरे पक्ष को, या तो सीधे या एक पुल संस्था के माध्यम से, और/या एक आधिकारिक रूप से अनिवार्य लेनदार-वित्त पोषित इकाई का पुनर्पूजीकरण जो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रावधान करते रहते हैं; तथा (ii) परिसमापन विकल्प जो

22 प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई कोर सिद्धांत नवंबर 2014

फर्म के व्यवसाय के सभी या कुछ हिस्सों को इस तरीके से व्यवस्थित रूप से बंद करने और वाइंड डाउन करने का प्रावधान करते हैं जो बीमित जमाकर्ताओं, बीमा पॉलिसी धारकों और अन्य खुदरा ग्राहकों की रक्षा करते हैं। कई देशों में सक्रिय फर्मों के समन्वित समाधान को सुगम बनाने के लिए, क्षेत्राधिकारों को अपनी राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में इन प्रमुख विशेषताओं में निर्धारित उपकरणों और शक्तियों को शामिल करने के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों के माध्यम से अपनी समाधान व्यवस्थाओं के अभिसरण की तलाश करनी चाहिए।

- 3 केएएस ने बारह आवश्यक विशेषताएं निर्धारित की हैं जो समाधान व्यवस्थाओं का हिस्सा होनी चाहिए: (i) क्षेत्र; (ii) समाधान प्राधिकरण; (iii) समाधान शक्तियां; (iv) सेट-ऑफ, नेट्टिंग, ता, क्लाइंट आस्तियों का पृथक्करण; (v) सुरक्षा उपाय; (vi) समाधान में फर्मों का वित्तपोषण; (vii) सीमा पार सहयोग के लिए कानूनी ढांचागत स्थितियां; (viii) संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी); (ix) संस्था-विशिष्ट सीमा पार सहयोग समझौते; (x) समाधान आकलन; (xi) वसूली और समाधान योजना; और (xii) सूचना तक पहुंच और सूचना साझा करना।
- अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने जून 2009 में प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए कोर सिद्धांत जारी किए, जिन्हें नवंबर 2014 में संशोधित किया गया। कोर सिद्धांतों के लिए एक अनुपालन मृल्यांकन पद्धति दिसंबर 2010 में पूरी की गई थी। प्रभावी डीआईएस के लिए सीपी के अनुपालन के आकलन के लिए एक पुस्तिका मार्च 2016 में आईएडीआई द्वारा जारी की गई थी। मूल सिद्धांतों और उनके अनुपालन मूल्यांकन पद्धति का उपयोग क्षेत्राधिकारों द्वारा उनकी जमा बीमा प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन करने और उनकी जमा बीमा प्रथाओं और उनके समाधान के उपायों में अंतराल की पहचान करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। मुख्य सिद्धांतों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के संदर्भ में भी किया जाता है, ताकि क्षेत्राधिकारों की जमा बीमा प्रणालियों और प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। सीपी प्रभावी जमा बीमा प्रथाओं का समर्थन करने वाले ढांचे के रूप में हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण अनुपूरक उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वे अपने क्षेत्राधिकारों में प्रभावी जमा बीमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे।

अनुलग्नक 2 : लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक ऋण गारंटी योजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के सिद्धांत²³

सिद्धांत 1: सीजीएस के संचालन के प्रभावी कार्यान्वयन और इसके नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति का समर्थन करने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट रूप से परिभाषित कानूनी और नियामक ढांचे के आधार पर एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में इसे स्थापित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2: सीजीएस के पास अपने नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, और स्पष्ट और अंतर्निहित आर्थिक सहायता पर किसी भी निर्भरता सहित वित्तपोषण के स्रोतों को पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिए।

सिद्धांत 3: कानूनी और नियामक ढांचे को सीजीएस के मिश्रित स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक शेयरधारकों से समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके।

सिद्धांत 4: सीजीएस का उत्पादों और सेवाओं द्वारा पहुंचाए गए जोखिम-आनुपातिक नियमन के आधार पर स्वतंत्र रूप से और प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 5: सीजीएस में नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप रणनीतियों और परिचालन लक्ष्यों द्वारा समर्थित स्पष्ट रूप से परिभाषित आदेश होना चाहिए।

सिद्धांत 6: सीजीएस में स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के अनुसार नियुक्त निदेशकों के एक स्वतंत्र और सक्षम बोर्ड के साथ एक ध्वनि कॉर्पोरेट शासन संरचना होनी चाहिए।

सिद्धांत 7: सीजीएस के पास अपने शासन और संचालन की अखंडता और दक्षता की रक्षा के लिए एक ठोस आंतरिक नियंत्रण ढांचा होना चाहिए।

सिद्धांत 8: सीजीएस में एक प्रभावी और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा होना चाहिए जो सीजीएस संचालन से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करता है।

सिद्धांत 9: सीजीएस को एसएमई, उधारदाताओं और क्रेडिट उपकरणों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित और पारदर्शी पात्रता और योग्यता मानदंड अपनाना चाहिए। सिद्धांत 10: सीजीएस के गारंटी वितरण दृष्टिकोण को देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए आउटरीच, अतिरिक्तता और वित्तीय स्थिरता के बीच ट्रेड ऑफ़ को उचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

सिद्धांत 11: सीजीएस द्वारा जारी की गई गारंटी आंशिक होनी चाहिए, इस प्रकार एसएमई उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के लिए सही प्रोत्साहन प्रदान करे, और उधारदाताओं के लिए प्रासंगिक विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं के साथ।

सिद्धांत 12: यह सुनिश्चित करने के लिए कि गारंटी कार्यक्रम एसएमई और उधारदाताओं दोनों के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ और आकर्षक है सीजीएस को एक पारदर्शी और लगातार जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण नीति अपनानी चाहिए।

सिद्धांत 13: दावा प्रबंधन प्रक्रिया कुशल, स्पष्ट रूप से प्रलेखित, और पारदर्शी होना चाहिए, ऋण हानि वसूली के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाला, और देश के कानूनी और नियामक ढांचे के साथ संरेखित करना चाहिए।

सिद्धांत 14: सीजीएस कठोर वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन होना चाहिए और इसके वित्तीय विवरणों की बाहरी रूप से लेखापरीक्षा होनी चाहिए।

सिद्धांत 15: सीजीएस को समय-समय पर और सार्वजनिक रूप से अपने संचालन से संबंधित गैर-वित्तीय जानकारी का खुलासा करना चाहिए।

सिद्धांत 16: सीजीएस का प्रदर्शन-विशेष रूप से इसकी पहुंच, अतिरिक्तता और वित्तीय संवहनीयता -व्यवस्थित और समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन से निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से बताना।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

जमा बीमा वित्तीय सुरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जो सार्वजनिक हित के रूप में वित्तीय स्थिरता की रक्षा करता है। जमा बीमा एजेंसियों ने वैश्विक संकट के बाद जमाकर्ताओं की सुरक्षा में अपनी उचित भूमिका निभाई है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) जमा बीमा के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय स्थिरता और जनता के विश्वास में योगदान देता है। जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एक ऐतिहासिक कदम में, निगम ने भारत सरकार की मंजूरी से फरवरी 2020 में जमा बीमा कवर को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया। जमा बीमा कवर में बढोतरी के साथ, ₹1 लाख बीमा कवर के तहत 30 प्रतिशत की तुलना में, 51 प्रतिशत निक्षेप बीमा सुरक्षा के तहत आए। निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) पर बीमा कवर में बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए फ्लैट दर प्रीमियम को भी बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2020 से कर निर्धारण योग्य जमा राशि के 10 पैसे प्रति ₹100 के पहले के स्तर से बढ़ाकर 12 पैसे प्रति ₹100 कर दिया गया। जोखिम प्रोफाइल के बावजूद फ्लैट दर प्रीमियम में निहित नैतिक खतरे की समस्या को दूर करने के लिए, निगम जोखिम आधारित प्रीमियम पर एक आंतरिक समिति की सिफारिशों की जांच कर रहा है। वित्तीय खातों के सार के साथ-साथ निगम के कामकाज के प्रमुख परिचालन मापदंडों को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 31 मार्च, 2020 तक 2,067 थी जिसमें 144 वाणिज्यिक बैंक [6 भुगतान बैंक (पीबी), 10 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 3 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 1,923 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में जमा बीमा योजना की शुरुआत के बाद से, वर्ष 2000-01 में पंजीकृत बैंकों की संख्या 2,728 के शिखर पर पहुंच गई, जिसमें माधवपुरा मर्केटाइल बैंक की विफलता (सहकारी बैंकों की विफलता

और वाणिज्यिक बैंकों का विलय/समामेलन) के बाद गिरावट आई, 2015-20 की अवधि के दौरान मोडरेशन से पहले यह 2,100 से कुछ ऊपर थी (परिशिष्ट सारिणी 1)। सभी में प्रमुख श्रेणी सहकारी बैंकों की थी (परिशिष्ट सारिणी 2)। वर्ष 2019-20 के दौरान एक वाणिज्यिक बैंक और पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया जबिक 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 18 सहकारी बैंकों और 8 वाणिज्यिक बैंकों को विपंजीकृत किया गया (परिशिष्ट सारिणी 3)।

I.1 निक्षेप बीमा योजना – मुख्य तथ्य

वर्तमान में निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सिहत) और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों (यूटी) में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ


मार्च 2020 तक, ₹1 लाख बीमा कवर के तहत कुल खातों की संख्या का 90 प्रतिशत से अधिक बीमा सुरक्षित था जो फरवरी 2020 से ₹5 लाख के बीमा कवरेज के तहत 98 प्रतिशत से अधिक हो गया। बीमित जमा की राशि 30 प्रतिशत (₹1 लाख के तहत) के करीब थी, जो ₹5 लाख बीमा कवर के तहत 50 प्रतिशत से अधिक है (सारणी 1)।

जमा बीमा कवर में वृद्धि के साथ, 2019-20 में कवरेज की प्रभावी सुरक्षा में तेजी से वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारिणी 4, परिशिष्ट सारिणी 5 और चार्ट 1)। ₹ 5 लाख तक के बीमा कवर के बीमाकृत जमा सितंबर 2019 के अंत तक जमा बीमा रिटर्न के आधार पर एक अनुमान है।

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ

		निम्न तिथियों के	5 अनुसार स्थिति
	विवरण	31 मार्च 2020 ¹	31 मार्च 2019 ^¹
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	2,349.7	2174.0
2	पूर्णतया संरक्षित खाते ² (मिलियन में)	2,161.1 (2,310.0) ³	2000.0
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	92.0 (98.3)	92.0
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	1,34,889	1,20,051
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	36,961 (68,715) ³	33,700
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	27.4 (50.9)	28.1

- 1 सितंबर 2019 और सितंबर 2018 के जमा आधार अर्थात संदर्भ तारीख से छह महीने पूर्व के आधार पर।
- 2 जमा बीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है।
- 3 ₹ 1 लाख तक के जमाबीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है। कोष्ठक में आंवड़े ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित हैं जो ₹68.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है।



I.1.2 निक्षेप बीमा प्रीमियम

निगम द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम में अधिकांश योगदान वाणिज्यिक बैंकों ने दिया है (सारिणी 2)।

(₹बिलियन में)

वर्ष	एलएबी और आरआरबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2019-20	123.1	9.2	132.3
2018-19	111.9	8.5	120.4

I.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस


राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनिधक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। वर्ष 2019-20 के दौरान, ब्याज की दंडात्मक दर को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक दर में संशोधन के साथ छह बार संशोधित किया गया था (सारिणी 3)।

सारिणी 3: बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति (प्रतिशत)

		बैंक	दंड	चूककर्ता
से	तक	दर	स्वरूप ब्याज दर	बैंकों द्वारा देय ब्याज दर
01.04.2019	03.04.2019	6.50	8.00	14.50
04.04.2019	05.06.2019	6.25	8.00	14.25
06.06.2019	06.08.2019	6.00	8.00	14.00
07.08.2019	03.10.2019	5.65	8.00	13.65
04.10.2019	26.03.2020	5.40	8.00	13.40
27.03.2020	31.03.2020	4.65	8.00	12.65


I.2 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय है। इसके साथ ही इसमें परिसमापकों / प्रशासकों / अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी राशियों का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2020 को यह निधि ₹1,103.8 बिलियन थी, जबिक 31 मार्च, 2019 को यह ₹937.5 मिलियन थी। इसका आरक्षित अनुपात (डीआईएफ से बीमित जमाओं का अनुपात) 1.61 प्रतिशत था (चार्ट 2)।



I.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने 8 सहकारी बैंकों जैसा कि **परिशिष्ट सारिणी 6** में दर्शाया गया है से संबंधित ₹708.5 मिलियन के कुल दावों का निपटान किया। शीघ्र निपटान नीति के तहत दो बैंकों के संबंध में ₹98 मिलियन निपटाए गए। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था। दावा की गई राशि प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बैंकों के लिए थी (चार्ट 3)।



दावों के शीघ्र निपटान के लिए निगम ने दावों के संबंध में लंबित मुद्दों को संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के साथ उठाना जारी रखा है। इसके अलावा, निगम इस श्रेणी में भविष्य के किसी भी दावों के लिए, अप्राप्य जमाकर्ताओं के लिए परिसमापक द्वारा वापस की गई राशि के लिए ₹734.2 मिलियन का प्रावधान रख रहा है। इसके अलावा, अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹578.7 मिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे 12 बैंक थे जहां आकस्मिक देयता बनाई गई थी लेकिन दावों को अभी तक क्रिस्टलीकृत नहीं किया गया था (परिशिष्ट सारिणी 7)।

परिसमापक से प्राप्त होने के बाद डीआईसीजीसी द्वारा मुख्य दावे के निपटान की औसत अवधि 11^5 दिन रही जो वर्ष 2018-19 के समान है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में निर्धारित 2 महीनों की अवधि के भीतर रही है।


I.4 निपटाएगएदावे/प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

31 मार्च, 2020 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी। वाणिज्यिक बैंकों के परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से प्राप्त संचयी वसूलियाँ ₹1,512 मिलियन थी।


357 सहकारी बैंकों के संबंध में भुगतान / प्रदान किए गए दावों की संचयी राशि ₹49,030 मिलियन रही। इसमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹708.5 मिलियन और शीघ्र निपटान नीति के तहत निपटाए गए ₹98 मिलियन है शामिल हैं (चार्ट 4 और परिशिष्ट सारिणी 8)। सहकारी बैंकों के मामले में, परिसमापक /

⁴ तुलन पत्र के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए दो बैंकों के संबंध में शीघ्र निपटान नीति के तहत स्वीकृत दावों के कारण र98 मिलियन के लिए समायोजित किया गया जबकि परिशिष्ट सारिणी 6 में प्रदान किए गए आंकड़े वर्ष के दौरान समायोजन के बिना स्वीकृत किए गए कुल दावों का उल्लेख करते हैं। 5 दो बैंकों के संबंध में दावे शीघ्र दावा निपटान नीति के तहत निपटाए गए और इन्हें मुख्य दावा निपटान के लिए दिनों की संख्या की गणना से बाहर रखा गया है।

अंतरिती बैंकों से संचयी वसूलियां, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹1,068.5 मिलियन सहित कुल मिलाकर ₹28,666 मिलियन हैं।




मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में 31 सहकारी बैंकों के विफल और परिसमाप्त होने के कारण 2009-10 में परिसमाप्त बैंकों और निपटाए गए दावों दोनों की संख्या शीर्ष पर थी (चार्ट 5)।



I.5 कोर्ट-मामले

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गितविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों तथा अन्य न्यायाधिकरणों (मंचों) में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की संख्या एक वर्ष पहले के अनुसार 32 से बढ़कर 44 हो गई (चार्ट 6)। वर्ष के दौरान 5 मामले समाप्त किए गए जबकि 17 नए मामले दायर किए गए। 44 लंबित

मामलों में से 5 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 39 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं।



I.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.24 मिलियन की तुलना में ₹0.07 मिलियन की वसूली प्राप्त हुई। एसएलजीएस, 1981 के अंतर्गत पिछले वर्ष की ₹0.01 मिलियन वसूली के मुकाबले इस वर्ष शून्य वसूली हुई। दोनों योजनाओं से और अधिक वसूली नगण्य हो गई है और इन पुराने ऋण खातों से वसूली की संभावना पूरी तरह से क्षीण हो गई है। 31 मार्च, 2020 तक ऋण गारंटी गतिविधि से संबंधित लंबित न्यायालयी मामलों की संख्या शून्य रही।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण प्रयास / प्रगति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकृत एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर समाधान (आईएएसएस) मॉड्यूल के तहत दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर परिसमापकों, बैंक अधिकारियों, आरसीएस

6 तरल निधि समायोजन के तहत रिपोर्ट किए गए ₹210 मिलियन सहित। दावों को निपटाने के लिए प्रयुक्त परिसमापकों के पास परिसंपत्तियों की प्राप्ति से उपलब्ध धन राशि को इस हद तक डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान माना जाता है अधिकारियों और कुछ विपंजीकृत बैंकों के सीए के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिसमापकों के लिए आयोजित आईएएसएस मॉड्यूल कार्यशालाओं के लिए संकाय सहायता प्रदान की । परिसमापित बैंकों के लिए आईएएसएस दिशानिर्देश जारी किए गए। निगम ने दावों के विलंबित निपटान से जुड़े सात बैंकों के परिसमापकों के संबंध में भारत सरकार के साथ लंबित अपीलों का मामला उठाया। 31 मार्च, 2020 को यह स्थिति घटकर दो रह गई।

II.1 वसूली प्रबंधन पर परिसमापकों के साथ कार्यशालाएं और बैठकें

आरसीएस अधिकारियों/ परिसमापकों के बीच सूचना और जागरूकता साझा करने के अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित का आयोजन किया गया:

- वर्ष के दौरान, भा.िर.बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने टीएएफ़सीयूबी की उप-सिमिति की 17 बैठकें कीं, जिनमें से 6 बैठकों में डीआईसीजीसी के अधिकारियों ने भाग लिया।
- निगम के बकाया चुकाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और आईएएसएस पोर्टल पर उन्हें हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के सभी परिसमापकों और आरसीएस अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं 9 अप्रैल, 2019 और 31 अगस्त, 2019 को, गुजरात में 7 जून, 2019 को और आरसीएस बेंगलुरु के कार्यालय में 30 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई।
- आईएएसएस पोर्टल पर हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के सभी परिसमापकों को प्रदान किया गया।

कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के अतिरिक्त मुख्य दावों को प्रस्तुत नहीं किए जाने और पुनर्भुगतान से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक ने 09 जुलाई 2019 और 30 जनवरी 2020 को आरसीएस, महाराष्ट्र के कार्यालय का दौरा

किया। वसूली को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपक्रम भी किए गए थे:

- जून 2019 से परिसमापक द्वारा त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए आईएएसएस के कार्यान्वयन के संबंध में सभी आरसीएस को 23 अक्टूबर, 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया था।
- पिरसमापन के तहत 3 बैंकों के लिए मूल्य मुक्त हस्तांतरण के माध्यम से ₹247 मिलियन की राशि के लिए सरकारी प्रतिभृतियों की खरीद पूरी की गई।
- दिसंबर 2019 में परिसमाप्त बैंकों के लिए वसूली नीति पर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले(प्रत्यासन का अधिकार) में समर्थित, दावों के निपटारे पर निगम के वसूली अधिकारों को मजबूत करने के लिए बोर्ड की सहमित से धारा 21 और विनियम 22 में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया।

II.2 जमा बीमा कवर

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, बैंकों में जमाकर्ताओं को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निगम ने भारत सरकार की मंजूरी से 4 फरवरी, 2020 से बीमित बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है।

II.2.1 जमा बीमा प्रीमियम

बैंकों की विफलता की स्थिति में जमा बीमा कवर में वृद्धि के बाद दावों के निपटारे के लिए निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (i) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमित से बीमित बैंकों के लिए, जमा बीमा प्रीमियम निर्धारणीय जमा के प्रति ₹100 के लिए 10 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया। संशोधित प्रीमियम 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले छमाही से प्रभावी होगा।

II.2.2 आंतरिक जोखिम आधारित प्रीमियम

बैंकों के लिए जोखिम मूल्यांकन का एक मॉडल और जोखिम आधारित प्रीमियम के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए श्री वी.जी.वी. चलपती, मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया जिसमें निगम, पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और क्रिसिल (पूर्व में क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया) के अधिकारी शामिल थे। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

भाग III : लेखा-विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण, अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित प्रपत्र में, तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में निगम के मामलों की लेखा परीक्षा की गई है और अनुमोदन के लिए अलग से बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

III.1 बीमा देयताएं

- (क) 2019-20 के दौरान, बीमा दावों के निपटान हेतु ₹708.5
 मिलियन (₹369.9 मिलियन)⁷ की राशि का भुगतान किया
 गया।
- (ख) वर्ष के अंत में निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए अनुमानित बीमांकिक देयता ₹120,873 मिलियन (₹57,556 मिलियन) रही । इसमें पिछले वर्ष की समान अवधिकी तुलना में 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- (ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

- (क) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) में अधिशेष ₹154,863.1 मिलियन (₹191,468.4 मिलियन) था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹36,605.4 मिलियन (19.1प्रतिशत) की गिरावट दर्शाता है। राजस्व अधिशेष में कमी मुख्य रूप से निवल दावों (₹2,059.3 मिलियन) में वृद्धि और बीमांकिक देयता (₹63,317 मिलियन) में वृद्धि के कारण हुई जो अंशतः प्रीमियम आय (₹11,904.3 मिलियन) और निवेश पर आय (₹12,868.5 मिलियन) में वृद्धि द्वारा ऑफसेट हुई।
- (ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹409.5 मिलियन (एक वर्ष पूर्व ₹373.89 मिलियन) रहा। अधिक राजस्व अधिशेष का श्रेय निवेश से हुई आय में ₹35.63 मिलियन की वृद्धि को जाता है।
- (ग) निवेश पर आय में ₹12.9 मिलियन की कमी (अधिशेष निधि के अविनियोजन में कमी के कारण) और किराए, अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) लेनदेन प्रभार के कारण, व्यय में ₹13.2 मिलियन की वृद्धि के कारण सामान्य निधि (जीएफ) में अधिशेष ₹61.9 मिलियन (₹98.1 मिलियन) रहा।

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष /रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹983.0 बिलियन (₹879.9 बिलियन), ₹5.1 बिलियन (₹4.8 बिलियन) और ₹5.5 बिलियन (₹5.5 बिलियन) था।

III.4 निवेश

2019-20 के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा

⁷ प्रतिशत में दर्शाए गए आँकड़ों को छोड़कर कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की समरूप स्थिति के आँकड़े दर्शाते हैं।

निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमशः ₹1,112.2 बिलियन (₹959.3 बिलियन), ₹5.3 बिलियन (₹5.0 बिलियन) और ₹6.1 बिलियन (₹6 बिलियन) रहा है। वर्ष के अंत में सभी निधियों में अभिमूल्यन हुआ और तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेश का बाज़ार मूल्य क्रमशः ₹1,194.0 बिलियन, ₹5.8 बिलियन और ₹6.6 बिलियनरहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च, 2020 की स्थित के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष क्रमश: ₹186.7 बिलियन (₹ 131.4 बिलियन), ₹384.5 मिलियन (₹272.3 मिलियन) और ₹148.9 मिलियन (₹105.9 मिलियन) है। निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹169.7 बिलियन (₹130.8 बिलियन), ₹352.3 मिलियन (₹249.2 मिलियन) और₹149.3 मिलियन (₹134.1 मिलियन) रहा।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹21.8 बिलियन रूपए का भुगतान किया गया।

भाग IV: खजाना परिचालन

IV.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2020 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹1,123.6 बिलियन रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक है। पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य ₹1,206.3 बिलियन रहा जो 31 मार्च, 2019 को ₹984.5 बिलियन की तुलना में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और 31 मार्च, 2019 के बही मूल्य के 1.01 गुना की तुलना में 1.07 गुना है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न 14.6% था, जबिक 2018-2019 में यह 8.9 प्रतिशत था।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्यों के आधार पर किया जाता है। निवेश पर लेखांकन नीति के संदर्भ में, शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, तो मान्य होता है। शुद्ध अभिमूल्यन, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। 31 मार्च 2020 के अनुसार सभी निधियों में शुद्ध अभिमूल्यन हुआ। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व निधि (आईएफआर) का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 2019 को ₹45.4 बिलियन के स्थान पर 31 मार्च, 2020 के अनुसार, मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा परिकलित, ₹58.3 बिलियन की निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) निधि अनुरक्षित थी।

IV.3 वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड में काफी हद तक गिरावट आई थी (10 वर्ष बेंच मार्क यील्ड 31 मार्च, 2019° को 7.35% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 6.14% थी)। मंदी को कम करने और वर्ष के अंत में कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के

⁸ टीडबल्यू आर की गणना डायटज विधि का उपयोग करके की जाती है, जैसे टीडबल्यू आर = [एमवीवी-एमवीबी + आई-सी] / [एमवीबी + (0.5 X सी)], जहां एमवीई/बी = अंत/ शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = नए प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

⁹ वर्ष के दौरान 10 साल की बेंचमार्क सुरक्षा 7.26 जीएस 2029 से बदलकर 6.45 जीएस 2029 हो गई।

लिए विस्तारित विकास की प्रतिक्रिया में वर्ष के दौरान मौद्रिक और तरलता की सहजता की स्थिति पर नज़र रखना।

भाग V: संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है। निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गई।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अधीन नियुक्त श्रीमती मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्त होने पर 28 फरवरी 2020 के प्रभाव से निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं हैं। श्री पिम विजय कुमार को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अधीन 5 मार्च 2020 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(2)(ii) के साथ पठित धारा 6(1)(डी) के अधीन 27 मई 2020 की प्रभावी तारीख से 17 जून 2020, तक के लिए डॉ. हर्ष कुमार भानवाला को निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2020 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1. डॉ हर्ष कुमार भानवाला

अध्यक्ष

- 2. डॉ.शशांकसक्सेना भारतसरकारद्वारानामिती निदेशक
- 3. श्री पम्मि विजय कुमार

निदेशक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई।

V.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी स्वीकरण एवं विकास हेतु निगम को दिशा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2011 में एक समिति का गठन किया गया था। सौंपा गया कार्य अर्थात आईएएसएस की लांचिग की निगरानी का कार्य, पूरा होने के कारण 24 अप्रैल 2019 को सम्पन्न सूचना प्रौद्योगिकी समिति की अंतिम बैठक में इसे भंग करने का निर्णय लिया

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए तरलता लागत, विप्रो (आईएएसएस मॉड्यूल) की परियोजना लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली

प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बजट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

मेसर्स एम.एम. चितले और कंपनी को वर्ष 2018-19 से 3 वर्ष के लिए निगम के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया और समीक्षाधीन चालू वर्ष के दौरान कोई बड़ी टिप्पणियां नहीं की गईं।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी वे ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान आरबीआई ने अक्टूबर 2019 में निगम की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की । रिपोर्ट में मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम टिप्पणियां दी गई है। सभी पैरा के लिए अनुपालन प्रस्तुत करने के बाद निगम सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है और अंतिम अनुपालन शीघ्र पूरा किया जाएगा।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने स्टाफ को अद्यतन रखने हेतु निगम उनको विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन कार्यक्रमों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत और विदेश में विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2019-20 के दौरान 45 अधिकारी, 20 श्रेणी III के स्टाफ और 2 श्रेणी IV के स्टाफ सहित कुल 67 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) तथा अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 7 नामांकन किए गए।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ, मुख्य वित्तीय अधिकारी (जिन्हे संविदा आधार पर भर्ती किया गया था), को छोड़कर भा.रि.बैं. से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च, 2020 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या 56 है। (सारिणी 4)

सारिणी 4: 31 मार्च 2020 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जि	समें	प्रतिशत (%)		
		अजा अजजा		अजा	अजजा	
1	2	3	4	5	6	
श्रेणी I	37*	4	1	11	3	
श्रेणी III	15	2	0	13	0	
श्रेणी IV	4	0	0	0	0	
कुल	56	6	1	11	2	

अजा-अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

कुल स्टाफ में से श्रेणी I में 66 प्रतिशत, श्रेणी III में 27 प्रतिशत और शेष 07 प्रतिशत श्रेणी IV में थे। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में से 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है।

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान निगम द्वारा कुल 80 सूचना का

^{*} कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को छोड़कर

अधिकार संबंधी अनुरोध तथा 1 अपील संबोधित की गई। प्रश्न, जमाकर्ताओं की रक्षा करने में निगम की भूमिका, विफल बैंकों की जमा राशि पर दी गई गारंटी, विफल बैंकों की जानकारी और वितरित राशि, प्राप्त प्रीमियम और निपटाए गए दावों की जानकारी, डाकघर बचत जमा/ लोक भविष्यनिधि/ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की गारंटी, भिन्न अधिकार और भिन्न क्षमता के तहत जमा के लिए पात्र बीमा कवर आदि से संबंधित थे।

V.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2019-20 में निगम का हिन्दी पत्राचार 97.7 प्रतिशत रहा। निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन सितंबर, 2019 किया गया।

V.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम के खिलाफ जनता के सदस्यों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष का संचालन किया जाता है। ग्राहक सेवा कक्ष दावा निपटान के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में है। परिसमापकों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और पर्यवेक्षण विभाग विनियमन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के साथ समन्वय स्थापित करके शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। यदि उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए विशिष्ट मामले थे तो टीएएफ़सीयूबी की उप समिति में भी विचार-विमर्श किया गया।

V.9 जनजागरूकता

निगम जनता को बीमाकृत बैंकों, वेबसाइट, जमा बीमा पर

ब्रोशर और पुस्तिकाओं के माध्यम से जमा बीमा के बारे जानकारी प्रदान करता है। निगम जमा बीमा पर मुद्रित सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में बीमित बैंकों के बीच परिचालित करने के लिए, अग्रेषित करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी सलाह दी जाती है कि जब भी राज्य में कोई साक्षरता शिविर आयोजित किया जाता है तो उसे जनता को वितरित किया जाए। प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के मूल सिद्धांतों के सिद्धांत 10 यानी जन जागरूकता के अनुपालन के रूप में, निगम उन जमाकर्ताओं को पत्र भेजता है जिनके दावों का निपटारा किया गया था। वर्ष के दौरान, जमा बीमा कवर की उपलब्धता के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों को स्टिकर भेजे गए थे।

डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर जनता की जानकारी के लिए निपटाए गए दावों की जानकारी, परिसमापकों की नियुक्ति, दावा निपटान प्रक्रिया पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, बीमित बैंकों की सूची नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।

V.10 अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) में भूमिका

निगम ने 20-24 मई, 2019 से बासेल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) की 58 वीं कार्यकारी परिषद (एक्सको) बैठक के दौरान सदस्य संबंध परिषद समिति और तकनीकी सहायता समिति मे भारत को शामिल किए जाने के संबंध में सचिवीय सहायता प्रदान की। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 23-24 मई, 2019 के दौरान बासेल में आयोजित 5वें आईएडीआई द्विवार्षिक अनुसंधान सम्मेलन में भाग लिया। निगम ने एक्सको द्वारा पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के लिए निर्धारित रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भविष्य के शुल्क संरचना विकल्पों के बारे में आईएडीआई के नए वित्तपोषण विकल्पों पर कार्य समूह के लिए इनपुट प्रदान किया। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में 25-28 जून 2019 के दौरान आयोजित 17 वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति की वार्षिक बैठक में कार्यपालक निदेशक और निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया।

निगम के दो अधिकारियों ने 10-11 अक्टूबर 2019 के दौरान इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित आईएडीआई 2019 वार्षिक सम्मेलन "सुधारों को साकार करना: संकट के बाद से जमा बीमा प्रणालियों में क्या बदल गया है?" में भाग लिया। आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2019 के हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के आधार पर डीआईसीजीसी के कामकाज के प्रमुख मापदंडों की जानकारी प्रदान की गई थी। निगम ने आईएडीआई के तत्वावधान में अन्य जमा बीमा एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में भी भाग लिया।

V.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की

धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स वी. शंकर अय्यर एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वर्ष 2019-20 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम मुंबई

(डॉ. एम. डी. पात्र)

दिनांक: 29 जून 2020

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक – स्थापना के बाद से प्रगति

		अवधि के	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक,			अवधि के
	अवधि के	दौरान		जहाँ निगम की देय	ाता	अंत में
वर्ष/अवधि	प्रारंभ में	पंजीकृत	विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	(2+3-6)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

^{*} पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

परिशिष्ट सारिणी 2-ए: बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या					बीमाकृत बैंकों की संख्या				
(मार्च माह की समाप्ति पर)	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल					
2019-20	96	45	3	1,923	2,067					
2018-19	103	51	3	1,941	2,098					
2017-18	101	56	3	1,949	2,109					
2016-17	100	56	3	1,966	2,125					


आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी:

बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार (मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	21	46	68
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	22	4	27
5.	छत्तीसगढ <u>़</u>	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	6	7
7.	गुजरात	1	18	218	237
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमांचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	262	284
12.	केरल	1	1	60	62
13.	मध्य प्रदेश	1	38	49	88
14.	महाराष्ट्र	1	31	494	526
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोर म	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	35	65
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	129	154
24.	तेलंगाना	1	1	51	53
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	62	113
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	43	61
		संघशासित ह	क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	जम्मू और कश्मीर एनसीटी दिल्ली	1	3	4	8
4.	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
5.	पुडुचेरी	1	0	1	2
	कुल	33	352	1,538	1,923



परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक क. पंजीकृत (6)

बैंक का प्रकार	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (1)	1.	बैंक ऑफ चाइना लि.
	1.	तमिलनाडु ग्राम बैंक
	2.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (5)	3.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
	4.	आर्यावर्त बैंक
	5.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक

ख. विपंजीकृत (37)

बैंक का प्रकार	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
	विदेशी बैंक	1.	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
	पेमेंट बैंक	1.	आदित्य बिड़ला पेमेंट बैंक लि.
		1.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
			(पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय)
वाणिज्यिक बैंक (8)		2.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
वागिष्यक बक (ठ)	। राष्ट्रीयकृत बैंक		(पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय)
	राष्ट्रायकृत वक	3.	सिंडीकेट बैंक (केनरा बैंक के साथ विलय)
		4.	आंध्रा बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय)
		5.	कॉर्पोरेशन बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय)
		6.	इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक के साथ विलय)
		1.	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	मध्य प्रदेश	2.	केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		1.	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (आर्यवर्त बैंक से संबद्ध)
		2.	ग्रामीण बैंक आर्यावर्त (आर्यावर्त बैंक के साथ समामेलित)
	उत्तर प्रदेश	3.	प्रथमा बैंक (प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		4.	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक (प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (11)		1.	वनांचल ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	झारखंड	2.	झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		1.	पांडियन ग्रामीण बैंक (तमिलनाडु ग्राम बैंक के साथ समामेलित)
	तमिलनाडू	2.	पल्लवन ग्रामीण बैंक (तमिलनाडु ग्राम बैंक के साथ समामेलित)
	असाम	1.	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक (असम ग्रामीण विकास बैंक के साथ समामेलित)

बैंक का प्रकार	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
	गुजरात	1.	सिद्धि को-ऑप बैंक लिमिटेड
	3000		(कलुपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		1.	जनता कमर्शियल को-ऑप बैंक लि.
	महाराष्ट्र		(चिखली अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
सहकारी बैंक (यूसीबी) (5)	16/4/2	2.	आर. एस. को-ऑप बैंक
(2011) (3)			(मेहसाणा अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	आंध्र प्रदेश	1.	भीमावरम सहकारी बैंक लि.
	आध्र प्रदरा		(गायत्री को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	कर्नाटक	1.	तुमकुर पट्टना सहकारी बैंक नियमित
	4711047		(तुमकुर पट्टाना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में परिवर्तित)
		1.	तिरुवनंतपुरम जिला सहकारी बैंक लि.
		2.	कोल्लम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
		3.	पठनमथिट्टा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
		4.	अलप्पुझा जिला सहकारी बैंक लि.
		5.	कोट्टायम जिला सहकारी बैंक लि.
		6.	इडुक्की जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
सहकारी बैंक		7.	एर्नाकुलम जिला को-ऑपरेटिव बैंक लि.
(डीसीसीबी)	केरल	8.	त्रिशूर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
(13)		9.	पलक्कड़ जिला सहकारी बैंक लि.
		10.	कोझिकोड जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
		11.	वायनाड जिला सहकारी बैंक लि.
		12.	कन्नूर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
		13.	कासरगोड जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
			टिप्पणी: केंद्रीय बैंक, केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय के कारण उक्त 13
			डीसीसीबी का विपंजीकरण होना है।

परिशिष्ट सारिणी 4: जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में)*	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (बिलियन र)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (कुल बिलियन ₹)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	2,161 (2,310)	2,350	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	2,000	2,174	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	1,775	1,941	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	1,737	1,885	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	1,553	1,681	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6		78.5	4	17	23.1

खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000: 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधिक नहीं थीं। कोष्ठक में आंकड़े ₹5,00,000 बीमित जमा के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि सितंबर 2019 से संबंधित जमा बीमा रिटर्न आंकड़ों में ₹3,00,000 से ऊपर के जमाओं की जानकारी नहीं है।



परिशिष्ट सारिणी 5: बैंकवार श्रेणी : बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन र में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2019-20*	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) सरकारी क्षेत्र	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) विदेशी बैंक	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) निजी बैंक	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) भुगतान बैंक	6	16 (16)	16	100.0 (100.0)
	vi) लघु वित्तीय बैंक	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. सहकारी बैंक	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	कुल (I+II+III)	2,067	36,961 (68,715)	134,889	27.4 (50.9)
2018-19	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)				
2010-13	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	8130	25074	32.4
	ii) सरकारी क्षेत्र	18	14114	46937	30.1
	iii) विदेशी बैंक	46	166	5586	3.0
	iv) निजी बैंक	21	5209	29888	17.4
	v) भुगतान बैंक	7	9	9	100.0
	vi) लघु वित्तीय बैंक	10	42	275	15.2
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4	7	57.1
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51	2251	3783	59.5
	बैंकों की श्रेणी	1941	3775	8492	44.5
	III. सहकारी बैंक				
	कुल (I+II+III)	2,098	33,700	120,051	28.1
2017-18	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	1	7,267	23,140	31.4
	i) भारतीय स्टेट बैंक	20	14,792	46,987	31.4
	ii) सरकारी क्षेत्र				
	iii) विदेशी बैंक	45	146	4,661	3.1
	iv) निजी बैंक	35	4,686	25,806	18.1
	v) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	3	6	50.0
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56	2,112	3,440	61.4
	III. सहकारी बैंक	1,949	3,747	7,980	46.9
	कुल (I+II+III)	2,109	32,753	112,020	29.2

नोट: कोष्ठक में आंकड़े ₹5 लाख बीमित जमा के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि जमा बीमा कवर में वृद्धि 4 फरवरी, 2020 से प्रभावी है।

परिशिष्ट सारिणी 6: 2019-20 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों की राशि (हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र (1)			
1	श्री शिवाजी एसबीएल	अनुपूरक(1)	18	120.3
	कुल (महाराष्ट्र)	अनुपूरक(1)	18	120.3
	पश्चिम बंगाल (2)			
1	बारानगर को-ऑप बैंक लि	अनुपूरक (3)	5	118.2
2	कसुंदिया को-ऑप बैंक लि	अनुपूरक(1)	664	20,949.6
	कुल (पश्चिम बंगाल)	अनुपूरक(4)	669	21,067.8
	उत्तर प्रदेश (3)			
1	यूसीसी बैंक लि (मुख्य दावा)	मुख्य	24,684	247,534.6
2	मर्केंटाइल सीबीएल मेरठ	मुख्य	19,087	27,434.8
3	महामेधा यूसीबीएल	मुख्य	33,004	301,398.8
	कुल (उत्तर प्रदेश)	मुख्य (3)	76,775	576,368.2
	राजस्थान (1)			
1	अलवर यूसीबीएल	मुख्य	4216	101,184.5
	कुल (राजस्थान)	मुख्य (1)	4,216	101,184.5
	गुजरात (1)			
1	गुजरात इंडस्ट्रियल सीबीएल	अनुपूरक(1)	409	9,798.8
	कुल (गुजरात)	अनुपूरक(1)	409	9,798.8
	तेलंगाना (1)			
1	गोकुल यूसीबीएल *	मुख्य		13,579.0
	कुल (तेलंगाना)			13,579.0
	मध्य प्रदेश (1)			
1	भोपाल नगरिक एसबीएल *	मुख्य		84,394.7
	कुल (मध्य प्रदेश)			84,394.7
	कुल (सभी राज्य)	मुख्य (६), अनुपूरक(६)	82,087	806,513.2

^{*} शीघ्र दावा निपटान नीति के अंतर्गत निपटाए गए दावे।

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान (31 मार्च 2020 के अनुसार)

豖.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि
सं.	विषयापर्यं या साराख	जजा जा नाम	(₹ मिलियन में)
क	> 10 वर्ष पुराने		
1	16 अगस्त 2000	फेडरल सीबीएल	13.7
2	3 मई 2002	मधेपुरा अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक	0.5
3	10 अप्रैल 2007	राहुता यूनियन सीबीएल	145.7
	कुल (क)	(3 बैंक)	159.9
ख	5 से 10 वर्ष के मध्य के पुराने		•
1	15 नवंबर 2012	गाज़ियाबाद यूसीबीएल	198.2
2	17 जून 2010	रामकृष्णापुर सीबीएल	750.2
3	9 फरवरी 2012	पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक	3,591.4
	कुल (ख)	(3 बैंक)	4,539.9
ग	1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने	•	•
1	28 दिसंबर 2016	श्री साई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक	20.9
2	16 अक्तूबर 2014	बारीपाड़ा यूसीबीएल	471.7
3	30 अगस्त 2017	हरदोई यूसीबीएल	67.8
4	4 अक्तूबर 2018	नवोदन अर्बन सीबीएल	531.0
5	23 अगस्त 2018	भीलवाड़ा महिला अर्बन सीबीएल	409.7
6	3 जुलाई 2018	ब्रह्मावर्त वाणिज्यिक सीबीएल	334.6
	कुल (ग)	(6 बैंक)	1,835.6
	कुल योग (क+ख+ग)	(12 बैंक)	6,535.4

परिशिष्ट सारिणी 8: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ 31 मार्च 2020) तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

					(साश हजार 🕈 म)
क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	वाणिज्यिक बैंक				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)				
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		704.06	704.06	-
	3 लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरिलंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	
	6 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		14,659.08	14,659.08	_
	7 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)		370,000.00	370,000.00	_
	कुल 'क'		391,139.79	391,139.79	-
	ंi) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी ग	 ई (ख)			
	8 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई 1963)*		253.35	137.79	-
				(115.58)	
	9 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07	-
				(9.53)	
	10 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*		108.08	31.32	-
				(76.76)	
	11 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55	-
	12 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	(438.53) 372.93	
	12 सपन वक लि., कालकाता (1904)		734.20	(361.35)	-
	13 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00	_
	((((((((((((((((((((1,120.11	(47.40)	
	14 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12	_
				(11.13)	
	15 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55	-
				(3.74)	
	16 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65	-
				(2,829.71)	
	17 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
			000 0 10 00	(317,519.13)	
	कुल 'ख'		380,018.32	58,605.49	-
				(321,412.86)	

					(राशि हजार ₹ में)
क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
T	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)				
	18 नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि.,दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	19 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर *		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	20 बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	21 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23 बैंक ऑफ तंजावुर लि.,तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	कुल 'ग'		2,187,371.62	1,062,725.62	1,124,646.00
	कुल (क+ख+ग)		2,958,529.74	1,512,470.90	1,124,646.00
				(321,412.86)	
II	कोऑपरेटिव बैंक				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)				
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8 सोलापूर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	9 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'घ'		47,835.02	47,835.02	_
	9		,555.52	,555.52	

					(राशि हजार ₹ में)
क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल	न दी गई (ड.)			
	10 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1977)		276.50	-	-
				(276.50)	
	11 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई (1978)		60.31	-	-
				(60.31)	
	12 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी,		4,642.36	1,256.95	-
	महाराष्ट्र (1978)*			(3,385.41)	
	13 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	-	-
				(26.10)	
	14 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64	-
				(180.80)	
	15 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18	-
				(1,565.53)	
	कुल 'ड.'		7,828.42	2,333.76	-
				(5,494.65)	-
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)				
	16 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई ,		1,156.70	604.14	552.56
	महाराष्ट्र (1979)*				
	17 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई ,		701.51	412.14	289.37
	महाराष्ट्र (1979)*				
	18 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई ,		1,317.25	335.53	981.72
	महाराष्ट्र (1979)*				
	19 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर,		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	कर्नाटक (1982)*				
	20 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि.,		1,395.93	707.86	688.08
	कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)				
	21 आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि.,		274.30	65.50	208.80
	मैसूर, कर्नाटक (1985)		10.1.00	400.04	
	22 कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		484.89	400.91	83.99
	महाराष्ट्र (1986)*		0.005.04	404405	0.40.00
	23 गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		2,285.04	1,341.05	943.99
	कर्नाटक (1986)		004.05	007.00	704.05
	24 मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		961.85	227.60	734.25
	कर्नाटक (1987)		4.005.00		4 005 00
	25 हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		1,095.23	-	1,095.23
	लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)				

क्र.सं		बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1		2	3	4	5	6
	26 येल्लम	मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		436.10	51.62	384.48
		प्रदेश (1990)				
	27 वसावी	कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		388.82	48.56	340.26
	गुर्ज्ञाल	ा, आंध्र प्रदेश (1991)				
	28 कुंदरा	कोऑपरेटिव बैंक लि.,		1,736.62	963.02	773.59
	केरला	(1991)				
	29 मनोली	। श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक)लि.,		1,744.13	1,139.44	604.69
	कर्नाटव	क (1991)				
	30 सरदार	नागरिक सहकारी बैंक लि.,		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	बड़ोदा	, गुजरात (1991)				
	31 बेलगा	म मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि.,		3,710.54	273.78	3,436.76
	कर्नाटव	ক (1992)*				
	32 भिलोव	ा नागरिक सहकारी बैंक लि.,		1,983.68	103.04	1,880.64
	गुजरा	त (1994)				
	33 सिटिज़े	नस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	इंदौर, ग	मध्य प्रदेश (1994)				
	34 चेतना	कोऑपरेटिव बैंक लि.,		87,548.52	758.00	86,790.52
	मुंबई ,	महाराष्ट्र (1995)				
	35 बीजापु	र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		2,413.42	1,474.44	938.99
	हुबली	, कर्नाटक (1996)				
	36 पीपुल्स	ग कोऑपरेटिव बैंक लि.,		36,545.52	-	36,545.52
	इचलव	तरंजी, महाराष्ट्र (1996)				
	37 स्वस्ति	क जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	मुंबई ,	महाराष्ट्र (1998)				
	38 कोल्हा	पूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,		80,117.45	-	80,117.45
	मुंबई, ग	महाराष्ट्र (1998)				
	39 धारवा	ड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		915.79	915.79	0.00
	हुबली,	, कर्नाटक (1998)^				
	40 दादर ज	ननता सहकारी बैंक लि.,		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	मुंबई ,	महाराष्ट्र (1999)				
	41 विंकार	सहकारी बैंक लि.,मुंबई ,		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	महाराष	ट्र (1999)				
	42 त्रिमूर्ति	सहकारी बैंक लि.,पुणे,		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	महाराष	ट्र (1999)				
	43 आवाम	गी मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई,		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	महाराष	ᆽ (2000)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	44 रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई ,		62,293.89	260.58	62,033.31
	महाराष्ट्र (2000)				
	45 गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		6,736.99	964.46	5,772.53
	आंध्र प्रदेश (2000)				
	46 अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		2,447.07	137.15	2,309.92
	आंध्र प्रदेश (2000)				
	47 इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई ,		157,012.94	59,783.98	97,228.95
	महाराष्ट्र (2000)				
	48 नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		2,242.01	-	2,242.01
	महाराष्ट्र (2000)				
	49 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव,		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	महाराष्ट्र (2000)				
	50 शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड,		27,494.76	16,100.00	11,394.76
	महाराष्ट्र (2000)				
	51 दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि.,		2,017.30	-	2,017.30
	गुजरात (2000)				
	52 अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी,		1,696.09	0.24	1,695.85
	कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)				
	53 नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	मध्य प्रदेश (2001)				
	54 इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद,		21,862.77	465.72	21,397.05
	महाराष्ट्र (2001)				
	55 नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित,		26,135.83	15,704.50	10,431.33
	बिलासपुर, मध्य प्रदेश (2001)				
	56 इचालकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि.,		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	महाराष्ट्र (2001)				
	57 परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि,		3,946.61	3,797.83	148.78
	नई दिल्ली (2001)				
	58 माधवपुर मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	(0.00)
	अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#)				
	59 कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद,		232,429.22	73,116.30	159,312.92
	आंध्र प्रदेश (2001)				
	60 सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद,		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	गुजरात (2002)				
	61 जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि.,		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	(विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)				

क्र.सं	वैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	(साश हजार र म)
1	2	3	4	5	6
	62 श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि.,		140,667.57	39,446.41	101,221.16
	अहमदाबाद, गुजरात (2002)				
	63 मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	,	37,959.73	0.01	37,959.73
	मुंबई , महाराष्ट्र (2002)				
	64 लातूर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		3,048.95	302.00	2,746.95
	(विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)				
	65 श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ,		7,821.24	5,538.62	2,282.62
	(विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)				
	66 फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई ,		48,456.66	147.03	48,309.63
	महाराष्ट्र (2002)				
	67 भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंज	ीकृत,	9,697.12	9,363.62	333.50
	आंध्र प्रदेश (2002)				
	68 अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजी	कृत),	7,032.61	3.32	7,029.29
	उड़ीसा (2002)				
	69 दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि.,	(विपंजीकृत),	26,553.64	23,896.41	2,657.23
	गुजरात (2002)				
	70 श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक	(विपंजीकृत),	25,866.18	8,400.00	17,466.18
	गुजरात (2002)				
	71 श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि.,		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	आंध्र प्रदेश (2002)				
	72 मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात	l l	14,779.44	427.30	14,352.14
	73 मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (वि	मपंजीकृत),	22,448.41	4.16	22,444.25
	महाराष्ट्र (2003)				
	74 श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई,		47,507.25	342.72	47,164.53
	महाराष्ट्र (2003)				
	75 खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	महाराष्ट्र (2003)				
	76 जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास, मध्य प्रव	झेश (2003)	71,741.71	68,141.14	3,600.57
	77 निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि.,		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	78 दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	79 कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.,		47,432.57	46,556.10	876.46
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	80 यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	हरियाणा (2003)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	81 प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	82 चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		1,432,344.30	941,695.05	490,649.26
	आंध्र प्रदेश (2003)#				
	83 राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि.,		16,345.12	7,760.00	8,585.12
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	84 श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि.		34,033.48	29,200.33	4,833.14
	गुजरात (2003)				
	85 आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		46,781.03	43,649.54	3,131.50
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	86 दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	87 कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
	88 अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,		33,329.35	29,185.35	4,144.00
	गुजरात (2003)				
	89 थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	29,206.98	3,970.96
	90 दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		141,139.81	140,798.15	341.65
	मध्य प्रदेश (2003)				
	91 मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक .,		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	92 धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		23,855.34	-	23,855.34
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	93 अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		37,343.88	23,594.30	13,749.58
	गुजरात (2003)				
	94 दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		2,626.79	-	2,626.79
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	95 दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद,		41,281.62	35,874.52	5,407.10
	गुजरात (2003)				
	96 मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	97 भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि.,		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	गुजरात (2003)				
	98 नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	99 पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		7,697.97	7,697.97	(0.00)
	आंध्र प्रदेश (2003)				
	100 श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि.,		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	महाराष्ट्र (2003)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	101 संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि.,		115,872.42	23,818.21	92,054.22
	गुजरात (2003)				
	102 पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	103 नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		25,531.20	-	25,531.20
	गुजरात (2004)				
	104 जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		715,200.69	425,756.90	289,443.79
	गुजरात (2004)				
	105 वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि.,		44,086.21	82.94	44,003.27
	मुंबई , महाराष्ट्र (2004)				
	106 चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
	107 प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि.,		34,192.33	24,748.87	9,443.46
	जलगांव, महाराष्ट्र (2004)				
	108 विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,		3,846,162.46	739,836.93	3,106,325.53
	गुजरात (2004)				
	109 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		1,794.45	164.60	1,629.85
	आंध्र प्रदेश (2004)				
	110 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		9,799.51	-	9,799.51
	उड़ीसा (2004)				
	111 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		25,441.21	3,018.11	22,423.10
	कर्नाटक (2005)				
	115 विजया कोऑपरेटि वअर्बन बैंक लि.,		12,224.74	11,904.01	320.73
	आंध्र प्रदेश (2005)				
	116 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		4,787.55	4,787.55	-
	राजस्थान (2005)^				
	118 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		3,741.01	4.74	3,736.27
	हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)				
	119 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		41,999.65	394.91	41,604.74
	हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)				
	120 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	अकोला, महाराष्ट्र (2005)				
	121 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		15,836.61	519.61	15,317.00
	महाराष्ट्र (2005)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	122 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक ,		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	महाराष्ट्र (2005)				
	123 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		584,048.60	384,291.83	199,756.77
	गुजरात (2005)				
	124 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि.,		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	गुजरात (2005)				
	125 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि.,		86,530.52	59,727.40	26,803.13
	गुजरात (2005)				
	126 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि.,		5,725.86	4,774.86	951.00
	गुजरात (2005)		040.005.04	005 450 00	00 707 04
	127 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि.,		318,925.24	225,158.00	93,767.24
	गुजरात (2005) 128 मातु नागरिक सहकारी बैंक लि.,		20 902 44	20 207 40	404.03
	गुजरात (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93
	नुपरात (2003) 129 डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि.,		606,403.31	606,403.31	_
	सूरत, गुजरात (2005)^		000,403.31	000,403.31	_
	130 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		74,035.72	62,370.29	11,665.43
	गुजरात (2005)		,	02,010.20	11,000.10
	131 नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		299,340.86	43,387.32	255,953.54
	गुजरात (2005)		,	,	,
	132 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि.,		223,150.28	61,781.19	161,369.08
	गुजरात (2005)				
	133 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	गुजरात (2005)				
	134 प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि.,		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	गुजरात (2005)				
	135 उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि.,		15,706.37	15,349.33	357.03
	गुजरात (2005)				
	136 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि.,		17,573.42	729.55	16,843.88
	गुजरात (2005)				
	137 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,		3,031.51	0.24	3,031.27
	जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)				
	138 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		8,501.09	3.72	8,497.37
	दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		40.000.04	40,000,04	(00.47)
	139 दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	19,022.31	(22.47)
	ાષદાર (2003)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	140 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	आंध्र प्रदेश (2005)			·	,
	141 श्री विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	गुजरात (2005)				
	142 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि.,		579,896.95	40,363.69	539,533.26
	गुजरात (2005)				
	143 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि.,		10,898.73	190.09	10,708.63
	गुजरात (2005)				
	144 पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि.,		24,741.48	24,088.97	652.51
	गुजरात (2005)				
	145 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई ,		120,659.85	103.13	120,556.72
	महाराष्ट्र (2005)				
	146 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	महाराष्ट्र (2005)				
	147 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.तेहरी,		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	उत्तरांचल (2005)				
	148 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	गुजरात (2005)				
	149 दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि.,		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	सूरत, गुजरात (2006)				
	150 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,		81,637.44	27,645.01	153,992.43
	रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)				
	151 मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		65,053.51	0.38	65,053.14
	बिहार (2006)				
	152 नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		301,592.15	183,879.62	117,712.53
	गुजरात (2006)				
	153 सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव		266,452.45	178,598.17	87,854.29
	बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)				
	154 महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,		304,703.46	287,369.36	17,334.10
	मध्य प्रदेश (2006) 155 मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,		445.004.54	70 455 07	00 000 44
	155 मित्र मण्डल सहकारा बकाल., इन्दार, मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	79,455.37	66,206.14
	मध्य प्रदर्श (2006) 156 छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		00 500 00	2.00	00 500 70
	156 छपरा ।डास्ट्रक्ट सट्टल काआपराटव बका ल., बिहार (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	ाषहार (2006) 157 श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि.,		02.000.27	1 704 90	04 407 50
			92,989.37	1,791.86	91,197.50
	सूरत, गुजरात (2006)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	158 श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि.,		434,251.94	315,493.29	118,758.66
	वड़ोदरा , गुजरात (2006)				
	159 जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	नाड़ियाद, गुजरात (2006)				
	160 नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि.,		552,716.70	165,459.84	387,256.86
	नाड़ियाद, गुजरात (2006)				
	161 मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि.,		120,686.51	4,299.11	116,387.40
	सूरत, गुजरात (2006)				
	162 दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	सूरत,गुजरात (2006)				
	163 जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई ,		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	महाराष्ट्र (2006)				
	164 मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		257,956.99	257,956.99	-
	तमिलनाडु (2006)^				
	165 कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त,		29,757.64	5,982.56	23,775.09
	बैंगलोर, कर्नाटक (2006)				
	166 आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		371,586.77	128,086.25	243,500.52
	गुजरात (2006)				
	167 कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		25,021.00	12,796.46	12,224.54
	तमिलनाडु (2006)				
	168 दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		11,614.90	3,767.09	7,847.81
	अहमदाबाद, गुजरात (2006)				
	169 कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक .,		4,846.70	5.79	4,840.91
	बैंगलोर, कर्नाटक (2006)				
	170 बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		12,825.48	9,598.01	3,227.47
	गुजरात (2006) 171 दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि.,		405 000 00	04.000.04	04 040 04
	गुजरात (2006)		165,896.38	84,683.34	81,213.04
	गुजरात (2006) 172 धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		E0 700 44	E7 611 01	1 106 64
	गुजरात (2006)		58,798.44	57,611.81	1,186.64
	गुजरात (2000) 173 समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि.,		116 051 50	26 444 24	89,607.27
	महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	26,444.24	03,007.27
	नवारान्द्र (2000) 174 प्रुडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		755,959.06	755,959.06	
	सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		1 55,555.00	100,000.00	-
	175 लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		6,606.11	1,702.99	4,903.12
	जयपुर, राजस्थान (2007)		0,000.11	1,102.00	7,000.12
ш	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I			

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	176 नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,		20,393.50	21.68	20,371.83
	रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)				
	177 सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	अहमदाबाद, गुजरात (2007)				
	178 श्रीराम सहकारी बैंक लि.,		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	नासिक, महाराष्ट्र (2007)				
	179 परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,		367,807.52	223,393.79	144,413.73
	महाराष्ट्र (2007)				
	180 पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित,		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	महाराष्ट्र (2007)				
	181 यशवंत सहकारी बैंक लि.,		5,938.96	5,937.81	1.15
	मुंबई , महाराष्ट्र (2007)				
	182 दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल,		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)				
	183 महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,		4,305.77	447.10	3,858.67
	खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)				
	184 करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,		124,758.68	118,047.66	6,711.02
	आनंद, गुजरात (2007)				
	185 भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		31,232.28	4,165.30	27,066.99
	हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2007)				
	186 लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,		27,287.76	579.65	26,708.11
	सांगली, महाराष्ट्र (2007)				
	187 वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,		2,304.21	5.61	2,298.60
	वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)				
	188 बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि.,		5,937.89	2.88	5,935.01
	बिहार (2007)				
	189 दतिया नागरिक सहकारी बैंक ., मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
	190 आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,		12,974.81	3,446.71	9,528.11
	मेहसाणा, गुजरात (2007)				
	191 उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,		22,078.93	2,162.98	19,915.95
	गुजरात (2007)				
	192 सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि.,		160,286.13	33,549.79	126,736.34
	वीसनगर, गुजरात (2007)				
	193 श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
	194 ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,				
	चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	195 दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि.,		10,262.36	1,877.84	8,384.52
	अहमदाबाद, गुजरात (2007)				
	196 श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,		11,238.00	6,097.16	5,140.84
	गुजरात (2007)				
	197 आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
	गुजरात (2008)				
	198 राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	गुजरात (2008)				
	199 सेवालाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	678	666.32	-	666.32
	माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)				
	200 नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	असम (2008)				
	201 सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)				
	202 चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	परभणी, महाराष्ट्र (2008)^				
	203 बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	बसागंज, कर्नाटक (2008)				
	204 इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि.,	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)				
	205 तलोद जनता सहकारी बैंक लि.,	5,718	24,522.91	2,059.37	22,463.53
	गुजरात (2008)				
	206 चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	कर्नाटक (2008)				
	207 डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	गुजरात (2008)				
	208 जिला सहकारी बैंक लि.,	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.91
	गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)				
	209 मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि.,	30,483	185,521.69	151,403.83	34,117.86
	हुबली, कर्नाटक (2008)				
	210 श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,	8,841	47,517.84	15,120.87	32,396.97
	राधानपुर, गुजरात (2008)				
	211 परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
	मुंबई , महाराष्ट्र (2008)				
	212 इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि.,	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
	रायपुर , छत्तीसगढ़ (2008)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	213 इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि.,	2,602	24,167.12	23,449.87	717.26
	महाराष्ट्र (2008)				
	214 किट्टूर रानी च्न्नम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
	215 भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	49,722.95	49,945.78
	216 रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	38,581.19	130,644.59
	217 श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	229,271.10	38,982.92
	218 जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	219 हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	220 वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी ,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	5,395.14	19,846.88
	221 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	12,933.28	55,313.28	57,620.00
	222 श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	75,537.70	3,470.57
	223 श्री कमलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	15,201.67	10,086.82
	224 दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	24,852.69	42,807.76
	225 प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	30,294.08	35,498.75
	226 श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
	227 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद,उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	228 फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
	229 सिद्धपुरा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	230 नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	128,916.02	55,376.93	73,539.09
	• 17 9 1 (1117)				

क्र.सं	वैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	231 भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	35,466	374,582.84	291,003.72	83,579.12
	गुजरात (2009)				
	232 संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि.,	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)				
	233 श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)				
	234 श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,	3,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	भावनगर , गुजरात (2009)				
	235 ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	परभणी, महाराष्ट्र (2009)				
	236 अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	4,641	53,127.98	30,359.23	22,768.76
	महाराष्ट्र (2009)				
	237 रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे,	38,913	370,674.45	55,841.14	314,833.31
	महाराष्ट्र (2009)				
	238 साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	56,817	359,787.81	82,683.99	277,103.82
	मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*				
	239 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.,	26,368	238,318.86	184,821.36	53,497.50
	गुजरात (2009)				
	240 अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि.,	26,286	292,978.03	125,836.14	167,141.88
	पुणे, महाराष्ट्र (2009)				
	241 श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि.,	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	महाराष्ट्र (2009)^				
	242 हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	16,539	137,345.44	17,030.61	120,314.83
	कर्नाटक (2009)				
	243 श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि.,	67,791	566,073.61	35,756.03	530,317.58
	नांदुरबार , महाराष्ट्र (2009)				
	244 चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	21,503	300,915.66	287,228.98	13,686.68
	जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	45.450	07.544.55	07.000.40	00.445.00
	245 दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
		0.000	40.504.04	44.500.45	4 000 40
	246 सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	्रियमणा, महाराष्ट्र (2009) 247 वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि.,	144 047	1 670 050 00	4 547 040 00	155 044 00
	247 वसतदादा शतकारा सहकारा बक्राल., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	1,517,018.90	155,041.00
	सागला , महाराष्ट्र (2009) 248 दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	0.004	40.075.05	40.200.40	2.042.02
	248 दो होलयल अवन काआपराटव बक 1ल., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.08
	प्राचादक (४००५)				

क्र.सं	वैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	(साश हजार र म) शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	249 मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	420,307.60	329,698.93	90,608.67
	250 फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.44
	251 डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252 इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	91,584.87	33,853.39
	253 दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	144,067.26	73,944.96	70,122.30
	254 गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2010)	43,934	436,184.64	104,422.59	331,762.05
	255 अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण , कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
	256 यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.27
	257 प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
	258 सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.13	287,336.37
	259 बेल्लाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260 श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261 साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,386	15,629.02	5,040.87	10,588.15
	262 प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	263 श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर , गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264 सिटिजन कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर , मध्य प्रदेश (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	(0.00)
	265 यशवंत सहकारी बैंक लि., मिराज , महाराष्ट्र , (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
	266 अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ė		36,652	448,117.96	322,477.62	125,640.34
	गुजरात, (2010)	30,032	440,117.50	022, 4 11.02	120,040.04
	268 सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
	गुजरात, (2010)	44,000	200,370.00	102,147.10	130,223.70
	्रुअस्स, (2010) 269 काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	39,912	146,202.60	46,086.60	100,116.00
	कर्नाटक, (2010)	39,912	140,202.00	40,000.00	100,110.00
	वनाटक, (2010) 270 श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि.,	35,219	403,741.10	318,859.76	84,881.34
	महाराष्ट्र , (2010)	33,219	403,741.10	310,039.70	04,001.54
	नशरान्द्र, (2010) 271 नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	महाराष्ट्र , (2010)	34,030	470,000.19	309,031.40	107,374.71
	नशराष्ट्र , (2010) 272 राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि.,	3,424	25 945 70	15,063.13	10 702 66
	महाराष्ट्र , (2010)	3,424	25,845.79	15,065.15	10,782.66
	नशराष्ट्र , (2010) 273 बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	4 966	49,312.44	0.552.04	20.760.20
	गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.39
	नुपरात, (2010) 274 श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ,	2.470	40.252.46	760.25	40 E02 21
	274 त्रा संपाण सिद्धश्वर अधेन फाजापराटव बेफ , कर्नाटक , (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	कताटक , (2010) 275 विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,	6,980	74 400 60	60.050.22	10 500 46
	अर्थ प्रदेश (2010)	0,900	71,482.68	60,959.22	10,523.46
	आव्र प्रदेश (2010) 276 अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	F 200	22 220 26	4 277 44	10 462 72
	276 अपय सहकारा चक्र ारा., उत्तर प्रदर्श, (2010) 277 अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
		6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
	महाराष्ट्र , (2010) 278 कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	40.040	44.4.05.44	110 110 57	2 000 07
	•	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
	महाराष्ट्र , (2010)	40.000	407.040.07	404 400 04	0.500.00
	279 राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
	महाराष्ट्र , (2010) 280 रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	4.504	44.700.00		44.700.00
	280 राववाग अवन काञापराट्य वक ाल., कर्नाटक , (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	कनाटक , (2010) 281चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	44.044	445 500 00	422.005.00	44 704 00
		14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	महाराष्ट्र , (2011) 282 श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित ,	0.000	04.044.00	00 000 00	44 700 70
	· ·	9,208	84,041.98	69,338.26	14,703.72
	महाराष्ट्र , (2011) 283 रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	00.400	400,000,00	70 700 00	04 400 00
	9	26,422	133,960.02	72,799.93	61,160.09
	महाराष्ट्र , (2011) २८४ भी नामपुर को ऑफोरिक जैंक जि	4	470.0-		470.0-
	284 श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि.,	174	179.27	-	179.27
	कर्नाटक, (2011)	74.000	504 554 5	0044545	007 (00 (=
	285 अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, 2011	71,262	591,664.24	284,181.07	307,483.17

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	286 केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	गुजरात, (2011)				
	287 रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	10,462	67,393.38	44,388.02	23,005.36
	कर्नाटक (2011)				
	288 श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि.,	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	कर्नाटक (2011)				
	289 श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	कर्नाटक (2011)				
	290 दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि.,	54,925	403,178.78	189,358.37	213,820.41
	महाराष्ट्र (2011)				
	291 समता सहकारी बैंक लि.,	33,500	422,834.49	44,267.79	378,566.70
	महाराष्ट्र (2011)				
	292 हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि.,	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	महाराष्ट्र (2011)	0.007	05.070.00	0.477.40	00 405 00
	293 श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.,	2,337	35,973.20	6,477.40	29,495.80
	महाराष्ट्र (2011)	16,324	400 044 50	F4 000 70	447 477 00
	294 दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि.,	10,324	199,311.58	51,833.76	147,477.83
	महाराष्ट्र (2011) 295 विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	11,322	160,023.77	59,571.28	100,452.49
	महाराष्ट्र (2011)	11,022	100,023.77	59,57 1.26	100,452.49
	निरारिष्ट्र (2011) 296 इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	43,822	557,696.70	433,022.01	124,674.69
	महाराष्ट्र (2011)	10,022	007,000.70	400,022.01	124,014.00
	297 सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	मध्य प्रदेश (2011)	,	12,207.00	11,110.20	012.71
	298 आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	पश्चिम बंगाल (2011)	·	,	,	,
	299 श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि.,	7,596	22,002.44	2,045.78	19,956.66
	महाराष्ट्र (2012)				
	300 रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि.,	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	कर्नाटक (2012)				
	301 चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.57
	महाराष्ट्र (2012)				
	302 दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि.,	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	गुजरात (2012)				
	303 श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,	927	9,476.72	9,476.72	-
	महाराष्ट्र (2012)^				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	(साश हजार र म) शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2		4		6
1	2016	3	4	5	6
	304 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.,	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
	महाराष्ट्र (2012)	F 400	45 404 44	40,000,70	0.000.44
	305 बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	गुजरात (2012)	05.000	007.500.40	007.500.40	
	306 मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	महाराष्ट्र (2012)*	0.040	4047.70	700 70	0.554.00
	307 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि.,	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	आंध्र प्रदेश (2012)	40.550	540.007.00	000 407 57	04074005
	308 भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि.,	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	महाराष्ट्र (2012)	5 000			
	309 भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
	महाराष्ट्र (2012)	0.050			
	310 इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि.,	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57
	महाराष्ट्र (2012)				
	311 श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंक लि.,	6,599	45,780.63	28,485.15	17,295.48
	गुजरात (2012)				
	312 ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	उड़ीसा 2012)				
	313 भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि.,	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	महाराष्ट्र (2012)				
	314 भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,	12,203	101,677.80	77,052.13	24,625.67
	महाराष्ट्र (2012)				
	315 सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि.,	64,689	459,890.08	249,890.08	210,000.00
	महाराष्ट्र (2012)				
	316 वासो कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	19,989.70	52,229.68
	317 कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि.,	1,213	16,993.25	16,993.25	0.00
	महाराष्ट्र (2013)				
	318 अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
	319 अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320 स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
	321 अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	28,301.30	33,353.31
	322 विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
	323 वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	(0.00)
	324 सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325 गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि.	130,638	2,877,206.83	388,944.75	2,488,262.08
	(2014)				

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	326 दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	327 श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	0.00
	328 दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)	28,759	301,759.34	301,759.34	(0.00)
	329 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
	330 म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	156,382.66	156,382.66	(0.00)
	331 वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
	332 श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2016)	14,177	77,392.30	38,211.72	39,180.58
	333 बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2015)	19,136	152,029.28	55,857.87	96,171.41
	334 तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2011)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
	335 मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00
	336 अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014) \$		318,602.37	318,602.37	0.00
	337 धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड	3,639	20,783.40	15,279.94	5,503.46
	338 राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड	4,014	12,879.52	7,710.41	5,169.11
	339 श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6,592	21,888.06	12,569.05	9,319.01
	340 विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
	341 महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7,398	109,302.97	4,747.14	104,555.84
	342 कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	21,045	239,385.07	167,801.58	71,583.49
	343 लमका अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	317	261.65	-	261.65

परिशिष्ट सारिणी 8 (समाप्त)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	344 छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	2,327	10,385.18	8,537.44	1,847.74
	345 गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
	346 जामखेड़ मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)	6,119	52,055.23	31,800.00	20,255.23
	347 राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा) \$		2,946.90	-	2,946.90
	348 श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)\$		27,601.00	-	27,601.00
	349 मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (मुख्य दावा)&	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
	350 दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) &	6,446	151,659.37	151,659.37	0.00
	351 पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
	352 गोकुल यूसीबीएल आंध्रा प्रदेश/ तेलंगाना (2017)\$		13,579.00	-	-
	353 भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2018)\$		84,394.67	-	-
	354 यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	247,534.55	150,172.24	97,362.31
	355 मर्केंटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2017)	19,087	27,434.83	7,956.74	19,478.09
	356 अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2018)	4,216	101,184.47	20,038.00	81,146.47
	357 महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2017)	33,004	301,398.79	20,375.49	281,023.29
	कुल 'च'		48,974,170.03	27,103,642.08	21,772,554.28
	कुल (घ +ड.+च)		49,029,833.47		21,772,554.28
				(5,494.65)	
	कुल (क+ख+ग+घ+ड.+च)		51,988,363.21		22,897,200.28
				(326,907.51)	

^{*} समामेलन और पुनर्गठन की योजना। # पुनर्निर्माण की योजना।

७ परिसमापित बैंक के निपटाए गए दावे
 १ शीघ्र निपटान योजना के अंतर्गत निपटाए गए दावे।

[&]amp; तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

[^] अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

नोट :1. मुल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।

^{2.} चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े 31 मार्च 2020 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है। 3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है। 4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

^{5.} जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

V. Sankar Aiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS 2-C, Court Chambers 35, New Marine Lines Mumbai - 400 020

Tel. : 2200 4465, 2206 7440 Fax : 91- 22-2200 0649 E-mail : mumbai@vsa.co.in Website : www.vsa.co.in

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का निदेशक मण्डल

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उपरोक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2020 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धित के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तविक रूप से वित्तीय विवरणों के और लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तविक रूप से गलत बयानी प्रतीत होती हैं।



पृष्ठ 1

Delhi Office: 202-301, Satyam Cinema Complex, Ranjit Nagar Community Centre, New Delhi - 110 008 • Tel.: 2570 5233 / 2570 5232 • E-mail: newdelhi@vsa.co.in Chennai Office: 41, Circular Road, United India Colony, Kodambakkam, Chennai - 600 024 • Tel.: 044-2372 5720 & 044-2372 5730 • E-mail: chennai@vsa.co.in

V. Sankar Aiyar & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai - 400 020

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों हेतु नियमन के प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोिक भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख भी निदेशक मण्डल का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तिवक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तिवक मानी जाती है यदि इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का दमन शामिल हो सकते हैं।
- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।

V. Sankar Aiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai - 400 020

- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।
- (ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।
- (ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

FRN 109206N

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 जून 2020

कृते वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म का पंजीकरण नं. 109208डब्ल्यू

> जिस्सिक्टर जी शंकर भागीदार

सदस्यता सं.46050 युडीआईएन:



निक्षेप बीमा (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी (विनियम 18 -

31 मार्च 2020 को कारोबार की समाप्ति I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला	 वर्ष			ानदाप <u>षाम</u> चालू		(3(14)
निक्षेप बीमा ऋण गारंटी निधि निधि		 देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
राशि	राशि			 राशि		
5,75,560.00		1. निधि (बीमांकिक मूल्यांकन के		12,08,730.00		
		अनुसार वर्ष के अंत में शेष)				
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:				
76,06,425.76	45,994.44	वर्ष के प्रारंभ में शेष	87,99,521.56		48,323.92	
11,93,095.80	2,329.48	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	10,30,188.32		2,663.02	
87,99,521.56	48,323.92	वर्ष के अंत में शेष		98,29,709.88		50,986.94
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00		0.00	
0.00	0.00	जोड़ें :राजस्व खाते से अंतरित	0.00		0.00	
0.00	0.00	वर्ष के अंत में शेष		0.00		0.00
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
3,96,197.66	2,957.77	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,48,729.65		3,060.66	
52,531.99	102.89	राजस्व खाते से अंतरित	1,28,683.03		401.50	
4,48,729.65	3,060.66	वर्ष के अंत में शेष		5,77,412.68		3,462.16
5,678.37		4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे		5,786.58		
0.00		5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से		0.00		
		संबन्धित अनुमानित देयताएं				
0.00		 विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ 	Ť	0.00		
9,046.26		7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ		7,342.37		
		8. अन्य देयताएं				
106.10		(i) फुटकर लेनदार	157.16			
13,07,719.32	2,492.05	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	16,97,478.72		3,522.72	
28,397.67		(iii) रिवर्स रेपो खाते के	89,920.86			
		अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ				
171.56		(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	171.56			
41.05		(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी,	0.87			
		एसजीएसटी और आईजीएसटी				
13,36,435.70	2,492.05			17,87,729.17		3,522.72
1,11,74,971.54	53,876.63	कुल		1,34,16,710.68		57,971.82

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार


कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू




जी. शंकर भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई 3 29 जून 2020



डॉ. एम डी पात्र

अध्यक्ष

वी जी वी चलपती मुख्य महाप्रबंधक



पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक

डी के नालबंद उप महाप्रबंधक



और प्रत्यय गारंटी निगम निगम अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित) फार्म 'क') की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(र लाख में)

पिछला	वर्ष		चालू वर्ष				
निक्षेप बीमा	ऋण गारंटी	- आस्तियां	निक्षेप बीमा		ऋण गारंटी		
निधि	निधि		f	नेधि	नि	धि	
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि	
13,898.73	0.67	1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि		18,039.88		424.95	
		2. मार्गस्थ नकदी					
		3.केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)					
		खजाना बिल	19,416.52				
95,92,839.96	50,452.41	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	1,11,02,428.15		52,970.54		
95,92,839.96	50,452.41	•		1,11,21,844.67		52,970.54	
93,94,794.90	49,526.90	अंकित मूल्य	1,07,86,904.45		52,079.00		
97,31,957.50	51,719.90	बाज़ार मूल्य	1,19,39,509.56		57,612.94		
1,75,059.10	700.83	4. निवेशों पर उपचित ब्याज		2,07,628.01		730.85	
		5. अन्य आस्तियां					
13,14,018.25	2,722.72	(i) अग्रिम आयकर	18,67,464.90		3,845.48		
28,413.33		(ii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	90,020.00				
28,397.67		(iii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतिय	89,920.86				
2,888.00		(iv) वापसी योग्य सेवाकर	2,888.00				
615.74		(v) प्राप्य सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	63.60				
18,840.76		(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	18,840.76				
13,93,173.75	2,722.72			20,69,198.12		3,845.48	
1,11,74,971.54	53,876.63	कुल		1,34,16,710.68		57,971.82	

व्यक्ति सम्मेना

डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक



निक्षेप बीमा (फार्म 31 मार्च 2020 को I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला '	वर्ष			चालू वर	र्भ
निक्षेप	ऋण	- व्यय		र बीमा	ऋण गारंटी
बीमा निधि	गारंटी <u>निधि</u>		ि	ोधि	निधि
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि
		1. दावे:			
3,699.27		(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		7,085.40	
(8,275.29)		(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		108.20	
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से			
		संबन्धित अनुमानित देयताएं			
0.00		वर्ष के अंत में	0.00		
(427.95)		घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00		
		(घ) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ			
0.00		वर्ष के अंत में	0.00		
0.00		घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00		
(10,189.94)		(ड.) घटाएँ पता न लगाए जाने योग्य जमकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन		(1,794.38)	
(15,193.92)		निवल दावे		5,399.23	
5,75,560.00		2. वर्ष के अंत में निधि शेष		12,08,730.00	
		(बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)			
19,14,684.79	3,738.89	नीचे लाया गया निवल अधिशेष		15,48,630.73	4,095.20
24,75,050.87	3,738.89	 कुल		27,62,759.96	4,095.20
		कराधान के लिए प्रावधान			
6,69,067.45	1,306.52	चाल् वर्ष		3,89,759.38	1,030.68
(10.45)	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00	0.00
0.00	0.00	आस्थगित कर		0.00	0.00
52,531.99	102.89	निवेश उच्चावचन रिजर्व (आईएफआर)		1,28,683.03	401.50
11,93,095.80	2,329.48	अधिशेष खाते में ले जाया गया शेष		10,30,188.32	2,663.02
19,14,684.79	3,738.89			15,48,630.73	4,095.20

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू



जी. शंकर

भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई , 29 जून 2020



विजयकुमार पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक





और प्रत्यय गारंटी निगम 'ख')

समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(र लाख में)

पिछला	वर्ष		चालू व	र्ष
निक्षेप बीमा <u>निधि</u>	ऋण गारंटी <u>निधि</u>	आय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
5,36,724.00		1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा	5,75,560.00	
12,04,308.29		2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)	13,23,351.23	
9,537.29	2.59	 भुगतान/निपटान किए गए दावों के संबंध में वसूलियों द्वारा (अतिदेय पुनर्भुगतान पर ब्याज सहित) 	10,684.93	0.74
		4. निवेशों पर आय द्वारा		
7,35,436.10	3,736.30	(क) निवेशों पर ब्याज	8,12,457.57	4,094.46
(15,187.18)	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	33,875.52	0.00
4,232.37	0.00	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	6,830.71	0.00
7,24,481.29	3,736.30		8,53,163.80	4,094.46
		5.अन्य आय		
0.00	0.00	प्रतिलेखित निवेश का मूल्यहास	0.00	0.00
24,75,050.87	3,738.89	कुल	27,62,759.96	4,095.20
19,14,684.79	3,738.89	नीचे लाये गए निवल अधिशेष के द्वारा	15,48,630.73	4,095.20
			, ,	
19,14,684.79	3,738.89		15,48,630.73	4,095.20

द्रा शशांक सक्सेना निदेशक



निक्षेप बीमा (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी (विनियम 18 -31 मार्च 2020 को कारोबार की

॥. सामान्य

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू व	र्ष
राशि	दयताए	 राशि	राशि
5,000.00	1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार		5,000
	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत		
	(भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)		
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
54,266.92	वर्ष के प्रारंभ में शेष	54,908.20	
641.27	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	101.39	
54,908.19			55,009
	ख) निवेश रिज़र्व		
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	
0.00	राजस्व खाते से अंतरित	0.00	
0.00			0
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
3,668.17	वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,668.49	
0.31	राजस्व अधिशोष से अंतरित	361.57	
3,668.48			4,030
	3. चालू देयताएं और प्रावधान		
670.32	बकाया व्यय	846.68	
84.83	फुटकर लेनदार	24.67	
1,340.90	आयकर के लिए प्रावधान	1,493.20	
1.24	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	0.00	
2,097.29			2,364
65,673.96	कुल		66,404

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू

जिस्किर

जी. शंकर

भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई , 29 जून 2020



पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक हो के सम्बद्ध

डी के नालबंद उप महाप्रबंधक



और प्रत्यय गारंटी निगम निगम अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित) फार्म 'क')

समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	•	चालृ	्वर्ष
राशि	आस्तियां		
	1. नकद		
	(i) हाथ में		
78.88	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	120.37	
78.88			120.3
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	खजाना बिल	0.00	
51,071.13	दिनांकित प्रतिभूतियां	17,295.83	
9,330.19	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य 45716.00)	43,674.15	
60,401.32			60,969.98
62,256.50	अंकित मूल्य :	63057.35	
61,580.50	बाजार मूल्य :	66188.50	
1,067.58	3. निवेशों पर उपचित ब्याज		975.95
	4. अन्य आस्तियां		
1,561.61	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	772.02	
33.33	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यहास काटकर)	26.20	
0.87	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.89	
191.12	स्टाफ अग्रिम	144.98	
40.26	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	57.65	
110.90	फुटकर देनदार	134.54	
1,020.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	1,530.00	
1,059.03	अग्रिम आय कर/ टीडीएस	1,489.61	
109.06	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	182.01	
4,126.18			4,337.90
65,673.96	कु ल		66,404.20

व्यक्तिक सक्त्रीना

डॉ. शशांक सक्सेना

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (फार्म 'ख')

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(र लाख में)

· ·	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		• *		र लाख में)		
पिछला वर्ष	व्यय -	चाल्	्वष	पिछला वर्ष	- आय		ू वर्ष
राशि		रा	शि 	राशि		स	शि
1,220.80	स्टाफ को भुगतान/प्रतिपूर्ति की लागत		1,282.70		निवेशों से आय		
	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क		0.00	4,625.88	(क) निवेशों पर ब्याज	4,496.82	
0.01	निदेशकों और समिति के सदस्यों का यात्रा		0.00	3.35	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	0.00	
	और अन्य व्यय			4,629.23	_	-	4,496.82
256.01	किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि		454.21	0.00	प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास		0.00
454.61	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते		475.00				
14.91	मुद्रण, लेखन सामग्री और कम्प्युटर उपभोग्य		18.32		विविध प्राप्तियाँ		
	सामग्री			13.53	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	14.43	
59.83	डाक, तार और टेलीफोन		76.13	0.29	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (निवल)	0.00	
16.66	लेखापरीक्षकों का शुल्क		30.78	13.82	_		14.43
49.55	विधि प्रभार		34.26				
62.55	विज्ञापन		6.11				
0.00	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर		0.00				
	मूल्यहास के लिए प्रावधान						
	विविध व्यय						
5.83	व्यावसायिक प्रभार	10.50					
585.89	सेवा करार / अनुरक्षण	468.75					
4.16	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	5.26					
5.95	पुस्तक अनुदान	4.51					
	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.26					
63.65	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल [ँ]	142.01					
75.28	अन्य	93.36					
741.67			724.65				
4.71	मूल्यहास		9.74				
	आईएएस पर मूल्यहास		780.69				
	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक		618.66				
	आय के शेष को नीचे लाया गया						
4,643.05	 कुल		4,511.25	4,643.05	कुल		4,511.25
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे			981.05	वर्ष में व्यय की तुलना में अधिक		618.66
	लाया गया आयकर के लिए प्रावधान				आय को नीचे लाया गया		
339.46	चालू वर्ष		155.70				
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00				
0.31	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)		361.57				
641.28	सामान्य रिज़र्व खाता		101.39				
981.05	 कुल		618.66	981.05	कुल		618.66

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू



जी. शंकर

भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई , 29 जून 2020



डॉ. एम डी पात्र

वी जी वी चलपती मुख्य महाप्रबंधक

विजयकुमार् पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक

उप महाप्रबंधक

अवस्ति सक्रीना डॉ. शशांक सक्सेना

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 1. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

पिछला	वर्ष			चाल	ू वर्ष
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	- विवरण		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंट निधि
राशि	राशि			राशि	राशि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
19,14,684.79	3,738.90	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	15,48,630.73	4,095.20
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में			
		अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(7,39,668.47)	(3,736.30)	निवेशों पर ब्याज		(8,19,288.28)	(4,094.46)
15,187.18	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(33,875.52)	0.00
38,836.00		निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		6,33,170.00	0.00
0.00		निवेश रिज़र्व में अंतरण		0.00	0.00
		प्राप्त धनवापसी पर ब्याज		0.00	0.00
		कर		0.00	0.00
(6,85,645.28)	(3,736.30)		(ख)	(2,19,993.79)	(4,094.46)
, , ,	,	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :	,	() , ,	,
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(6,75,001.78)	(1,608.63)	—— र च्या अग्रिम आयकर/स्रोत पर कर कटौती में वृद्धि		(5,53,446.65)	(1,122.77)
0.00	(,,	फुटकर देनदार		0.00	0.00
0.00		प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी		552.14	0.00
(40,721.60)		अन्य आस्तियां		(1,23,129.86)	0.00
0.00		विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता		0.00	0.00
(7,15,723.38)	(1,608.63)		(ग)	(6,76,024.37)	(1,122.77)
(7,10,720,00)	(1,000.05)	देयताएं :	()	(0,70,021137)	(1,122,77)
		(कमी) वद्धि			
(8,703.30)				108.20	
(9,933.50)		अदावी जमाराशियाँ		(1,703.89)	
(162.00)		फुटकर लेनदार		51.07	
0.00		फुटकर जमा खाता		0.00	
21,044.80		रवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभृतियाँ		61,523.19	
0.00		भुगतान योग्य स्वच्छ भारत		0.00	
41.10		भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(40.18)	
2,287.10		नुनतान कार्य ताकार्याटा, रतकार्याटा जार आइकार्याटा	(ঘ)	59,938.40	
5,15,603.23	(1,606.03)	परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)	(ब) (<u>क</u>)	7,12,550.98	(1,122.03)
3,13,003.23	(1,000.03)	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(<u>41</u>)	7,12,330.76	(1,122.03)
7,24,009.50	3,923.90	प्राप्त निवेशों पर ब्याज		7,86,719.37	4,064.44
(15,187.20)	3,723.70	प्रतिभृतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/(हानि)		33,875.52	0.00
(13,167.20)		त्रातन्त्राया यमायम् सार्यास लामा(शाम) कमी (वृद्धि)		33,673.32	0.00
12,23,675.90)	(2.221.20)	कना (पृख्स) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(15.20.004.71)	(2.519.12)
	(2,321.30) 1,602.60	कद्र सरकार का प्रातमातवा म ।नवश म वृद्धि निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(1ਰ)	(15,29,004.71)	(2,518.13)
(5,14,853.60)		ानवंशात्मक कार्यकलापां से ानवल नकदा प्रवाह वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(<u>ख</u>)	(7,08,409.83)	1,546.31
0.00	0.00		(<u>ग</u>)	0.00	0.00
749.63	(3.43)	नकदी में निवल वृद्धि / कमी	(<u>क</u> + <u>ख</u> +ग)	4,141.15	424.29
13,149.10	4.10	वर्ष के प्रारंभ में नकदी शेष वर्ष के अंत में नकदी शेष		13,898.73	0.67
13,898.73	0.67	वष के अत म नकदा शष लग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया		18,039.88	424.95

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी सँनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू



जी. शंकर भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई , 29 जून 2020



H T Y 11 डॉ. एम डी पात्र

वी जी वी चलपती मुख्य महाप्रबंधक

विजयकुमार् पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक

डी के नालबंद उप महाप्रबंधक अवस्ति सक्सेना डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम II. सामान्य निधि

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	Comm		चालू व
राशि	विवरण	_	राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
981.05	व्यय की तुलना में अधिक आय	(ক)	6
701.0 5	शुद्ध नकदी के परिचालन से आय से अधिक व्यय का सामंजस्य करने के लिए समायोजन	(11)	·
4.71			
4.71	मूल्यहास		_
780.69	ञाईगुएसएस पर मूल्यहास "		7
(4,625.88)	निवेशों पर ब्याज		(4,49
(3.35)	प्रतिभृतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		
0.00	निवेश रिज़र्व को अंतरण		
(13.53)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(1
	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ ∕ (हानि)		(,
(0.29)	जेड्वस्तु का बिक्रा स लाम / (हानि)		
0.00	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		
(3,857.64)		(ख)	(3,72
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
(0.00)	47-1 (gray)		
(0.90)	लेखन सामग्री/ अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		(
(38.20)	पूर्वदत्त व्यय/ प्राप्य सेवा कर		(7
14.79	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		
188.78	अग्रिम आयकर		(43
(520.00)	सीसीआईएल के पास उपांत जमा		(51
	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		
(0.50)			(1
(50.70)	फुटकर देनदार		(2
453.80	पॅरियोजना लागत		7
47.07		(刊)	(21
	देयताएं :		`
	वृद्धि (कमी)		
	भारतीय रिजर्व बैंक में		
(221.80)	बकाया व्यय		1
15.20	फुटकर लेनदार		(6
5.30	अन्य जमा / स्रोत पर कर कटौती		(
	भुगतान करने योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		(
(201.30)	3 Mile and a granting and treatmen	(T I)	1
	- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	(घ)	
(3030.82)	परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(<u>क</u>)	(3,20
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
4,585.50	निवेशों से प्राप्त ब्याज		4.5
3.40	प्रतिभृतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		1,5
13.50	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		
	डीआईएफ से प्राप्त निधि		
	अन्य		
	कमी (वृद्धि)		
(800.60)	अचल आस्तियाँ		(78
(000.00)	केंद्र गाउनम् की मुख्यिकों में निकेश.		(/6
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
	खुजाना बिल		
3,345.90	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		33,7
(4,118.70)	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभृतियाँ		(34,34
3,029.00	निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(<u>ख</u>)	3,2
5,025100		(<u>sc</u>)	
0.00	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	<u>(1</u>)	
(1.82)	नकदी में निवल वृद्धि	(<u>क+ख</u> + <u>ग</u>)	•
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
0.00	हाथ में		
80.70	भारिबें के पास		
78.88	वर्ष के अंत में नकद शेष		1

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208 डब्ल्यू

जी. शंकर

भागीदार (एम सं. 046050) मुंबई , 29 जून 2020



डॉ. एम डी पात्र

वी जी वी चलपती मुख्य महाप्रबंधक

- विजयनुनार पी विजय कुमार कार्यपालक निदेशक

उप महाप्रबंधक

विक्रांक सक्सेना

डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखांकन पद्धित (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखांकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धित और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में लेखांकन अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

- (क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।
- (ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान

में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

- (क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- (ख) बीमाकृत जमा की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बीमाकृत बैंक के रूप में विपंजीकरण पर तैयार किया जाता है।
- (ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के संदर्भ में दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा (ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को उलट दिया है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।
- (घ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या

परिसमापन के बाद 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या - 1060100) खाताशीर्षों को रिवर्स किया गया और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) वापस लिखी गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पृष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली/समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

- (iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- (v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख़ को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिक्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना

बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

- (ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन),यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।
- (iii) प्रतिभूतियों के मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।
- (iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले हास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष/सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।
- (v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है।

(vi) रेपो/रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन अनुषंगिक / उधार कार्य विधि जैसे कि पुन: खरीद के करार, के अनुसार किया जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। इसके साथ ही, जैसा कि मामला हो, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

- (i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यहास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी स्रोतजन्य लागत शामिल है।
- (ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यहास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफटवेयर आदि	33.33%
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20%

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यहास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यहास उपलब्ध नहीं है। (iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियाँ (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टबल इलैक्टॉनिक आस्तियां जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोडकर) पर आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभार लगाया जाएगा।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ/लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्त अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आयपरकराधान

चालू कर तथा आस्थिगत कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आंकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर-योग्य आय में तथा एक ही समयाविध में शुरू लेखा आय/ व्यय में अंतर होने के कारण आस्थिगत कर एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में पलटने में सक्षम हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थिगत करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति से वसूल की जाने वाली राशि इसकी रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) से कम है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है।आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

- 10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ
 - i) लेखा मानक 29 आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

- ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।
- iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।
- iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।
- v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया:

क. सेवा कर:

(र करोड़ में)

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा कर	175.51	175.51

स्पष्टीकरण टिप्पणी

 1. 1 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़)

निक्षेप बीमा निगम की गतिविधियों को "सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में ₹5,367.42 करोड़ की मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है और निगम की गतिविधि को ''सामान्य बीमा कारोबार" की श्रेणी के अंर्तगत रखा है और निगम 20 सितंबर, 2011 से पहले की अवधि के लिए सेवा कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। निगम ने गतिविधि के " सामान्य बीमा कारोबार" की श्रेणी के अंर्तगत वर्गीकरण की पृष्टि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष 9 सितंबर 2015 को अपील दायर की है। विभाग ने सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकारने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को संपर्क किया है। निगम ने 20 जुलाई, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी शपथ-पत्र भी दर्ज किया है। मामले की सुनवाई अभी बाकी है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 की अवधि के लिए दंड संहिता की धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के अनुसार निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। [धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

II. 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013(₹118.64 करोड़ धन विलंब हेतु ब्याज ₹56.87 करोड़):

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अविध के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर रहित" मानते हुए "अतिरिक्त कर देयता" के रूप में निगम से ₹118.64 करोड़ की मांग की है। निगम ने उक्त अविध में प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर सहित" माना है। निगम ने "आपित्त के अधीन" 8 जनवरी 2015 को ₹88.44 करोड़ तथा 30 जून 2015 को ₹30.2 करोड़ का भुगतान किया है। सेवा कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 31 मार्च और 6 अक्टूबर के स्थान पर प्रीमियम प्राप्त होने पर (अर्थात क्रमशः मई और नवंबर) अगले महीने की 6 तारीख (क्रमशः जून 6 और दिसंबर 6) को सेवा कर के भुगतान की तिथि मानते हुए निगम ने ₹39.6 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान किया है। आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार

है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। विभाग ने तदनुसार आयुक्त सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी आयुक्त (अपील) के फैसले के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

विभाग ने ₹17.4 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था (डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹39.6 करोड़ के भुगतान को छोड़कर)। किमश्नर ने 16 अगस्त, 2018 को दिए गए आदेश द्वारा मांग की पृष्टि की है। निगम ने 26 नवंबर, 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की है।

ख. दावे (₹करोड़ में)

निम्नलिखित से संबन्धित दावे	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ए) विपंजीकृत बैंक	653.54 (12)*	906.7 (22)*
बी) लापता जमाकर्ता	119.84	101.9
सी) अज्ञात जमाकर्ता	87.10	86.3

^{*} बैंकों की संख्या दर्शाता है

2. निवेश अस्थिरता रिज़र्व:

निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2020 को ₹5,849 करोड़ आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2019 को यह ₹4,555 करोड़ था)।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक दिवसीय चलिनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई आरटीजीएस के अंतर्गत एक दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

4. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार) अंकित मूल्य के अनुसार

(र करोड में)

प्रकटीकरण :	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	Ť			
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई	<u>.</u> प्रतिभूतियाँ			
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1	8,607	1,214	924
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



3. आयकर:

चालू वित्त वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) से निगम ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश की धारा 115बीएए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया है।

6. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

श्रीमती मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 28 फरवरी 2020 तक निगम के कारोबार की प्रभारी रहीं। श्री पिम्म विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 05 मार्च, 2020 से कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके लिए दोनों ने अपना वेतन और अनुलाभ भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया है।

7. खण्ड वार रिपोर्ट

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

8. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

58th Annual Report of the Board of Directors Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2020

MISSION

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

VISION

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

CONTENTS

1	Letters of Transmittal	i-ii
2	Board of Directors	iii
3	Organisation Structure	iv
4	Contact information of the Corporation	V
5	Principal Officers of the Corporation	vi
6	Abbreviations	vii
7	Highlights	viii-xi
8	An Overview of DICGC	1-5
9	Management Discussion and Analysis	6-16
10	Directors' Report	17-25
11	Appendix Tables	26-54
12	Auditors' Report	55-57
13	Balance Sheet and Accounts	58-71



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

DICGC/SD/135/ 01.01.016/ 2020-21

June 30, 2020

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary Secretary's Department Reserve Bank of India Central Office Central Office Building Shahid Bhagat Singh Road Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2020

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2020 together with the Auditors' Report, and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2020.
- 2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
- 3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah) Secretary

Encl: As above

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंजील, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008.





निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

DICGC /SD/136/ 01.01.016 /2020-21

June 30, 2020

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services Jeevan Deep Building Parliament Street New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2020

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2020 together with the Auditors' Report, and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2020.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

- 2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.
- 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah) Secretary

Encl: as above

प्रधान कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंजील, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008. **HEAD OFFICE**: Reserve Bank of India Building, Second Floor, (opp. Mumbai Central Station) Byculla, Mumbai - 400 008.

Phone: (022) 2301 9792 Fax: (022) 2302 1131 E-mail: dicgc@rbi.org.in



CHAIRMAN

Shri B. P. Kanungo Deputy Governor, Reserve Bank of India

Dr. M. D. Patra Deputy Governor, Reserve Bank of India

DIRECTORS

Smt. Malvika Sinha Executive Director, Reserve Bank of India

Shri Pammi Vijaya Kumar Executive Director, Reserve Bank of India

Dr. Shashank Saksena Adviser Ministry of Finance Department of Economic Affairs Government of India

Dr. Harsh Kumar Bhanwala Chairman National Bank for Agriculture and Rural Development

Shri Govinda Rajulu Chintala Chairman National Bank for Agriculture and Rural Development Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 08.12.2017 to 30.03.2020)

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 31.03.2020)

Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.06.2018 to 28.02.2020)


Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.03.2020)

Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)

Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 08.03.2019 to 17.06.2020)

Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 13.07.2020)

ORGANISATION STRUCTURE



CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. 022 - 2301 5662 022 - 2301 8165

Tel. Nos.

022-2308 4121 General
022-2306 2161 Premium
022-2302 1624 Claims
022-2306 2162 RMC
022-2301 1991 RTI

022-2301 9570 Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India Building, 2nd Floor, opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai - 400 008. INDIA

(i) Executive Director	pvijaykumar@rbi.org.in	022-2261 1080
(ii) Chief General Manager	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(iii) Director	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(iv) Deputy General Manager	dknalband@rbi.org.in	022-2302 8205
(v) Deputy General Manager	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204
(vi) Deputy General Manager	shoda@rbi.org.in	022-2302 8201
(vii) Deputy General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 1146

Email: dicgc@rbi.org.in Website: www.dicgc.org.in



PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Pammi Vijaya Kumar

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri V. G. V. Chalapathy

SECRETARY & DIRECTOR

Shri M. Ramaiah

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri M. Ramaiah

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri D. K. Nalband Shri Deepak Narang Shri Shariq Hoda Smt Pawanjeet Kaur Rishi

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s. V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants 2-C, Court Chambers, 35, New Marine Lines, Mumbai 400 020, India

ABBREVIATIONS

AS : Accounting Standards

BCBS : Basel Committee on Banking

Supervision

BoE : Bank of England

BRRD : Bank Recovery and Resolution

Directive

CA : Chartered Accountant

CDIC Canada Deposit Insurance Corporation

CESTAT: Customs, Excise and Service tax

Appellate Tribunal

CFO: Chief Financial Officer

CGCI : Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

CGF : Credit Guarantee Fund

CGTMSE: Credit Guarantee Fund Trust for Micro

and Small Enterprises

CGS : Credit Guarantee Scheme

CPs : Core Principles

CPPY : Corresponding Position in Previous

Year

DFA : Dodd-Frank Act

DIA : Deposit Insurance Agency

DIC : Deposit Insurance Corporation

DICGC: Deposit Insurance and Credit

Guarantee Corporation

DIF : Deposit Insurance Fund

ECGP : Emergency Credit Guarantee Program

ED : Executive Director
EU : European Union

FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation

FIMMDA: Fixed Income Money Market and

Derivatives Association

FSB : Financial Stability Board

FSC : Financial Services Commission

FSI : Financial Stability Institute

GAAP : Generally Accepted Accounting

Principles

GDP : Gross Domestic Product

GF : General Fund

GFC : Global Financial Crisis

Gol : Government of India

GST : Goods and Services Tax

IADI : International Association of Deposit

Insurers

IASS : Integrated Application Software

Solution

ICAI : Institute of Chartered Accountants of

India

IFR : Investment Fluctuation Reserve

IMF : International Monetary Fund

KA : Key Attributes

KDIC : Korea Deposit Insurance Corporation

KODIT : Korea Credit Guarantee Fund

LABs : Local Area Banks

MFI : Micro Finance Institution

NABARD: National Bank for Agriculture and Rural

Development

NBFC : Non-Banking Financial Company

NCGTC: National Credit Guarantee Trustee

Company Ltd.

OECD : Organisation for Economic Cooperation

and Development

P&A : Purchase and Assumption

PBs : Payment Banks

RBI : Reserve Bank of India

RCS : Registrar of Co-operative Societies

RO : Regional Office RR : Reserve Ratio

RRBs : Regional Rural Banks

RTGS : Real Time Gross Settlement

RTI : Right to Information SFBs : Small Finance Banks

SCGP Standard Credit Guarantee Program

SLGS : Small Loan Guarantee Scheme

SME : Small and Medium (Micro) Enterprises

SRB : Single Resolution Board

TAFCUB: Task Force on Cooperative Urban

Banks

UTs : Union Territories

HIGHLIGHTS - I: DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end ^{\$}	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE									
(I) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	701.5	814.3	937.5	1,103.8
(ii) Insured Banks (Nos. in actual)	276	476	1,683	1931	2,547	2,125	2,109	2,098	2,067
(iii) Assessable Deposits [®]	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,03,531	1,12,020	1,20,051	1,34,889
(iv) Insured Deposits [®]	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	30,509	32,753	33,700	36,961 (68,715)
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	649.5	1,884.8	1,940.9	2,174	2,350
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6	32.8	158.1	339.5	619.5	1,737.2	1,775	2,000	2,161 (2,310)
(vii) Claims paid since inception	-	0.01	0.03	1.8	14.9	50.3	50.8	51.2	52.0

^{*} Under General Fund of the Corporation.

^{**} Consists of actuarial fund and fund surplus.

[@] Data are as per new reporting format since 2009-10.

^{\$} As at end March from 1992 - 93 onwards.

[#] Figures in parentheses relate to ₹5 lakh deposit insurance cover estimated at ₹68.7 trillion.


OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II: DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)


PARTICULARS	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
REVENUE STATEMENTS							
Premium Income	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29	73.12
Investment Income	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32	33.90
Net Claims	0.54^	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)	(0.93)
Revenue Surplus Before Tax	154.86	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89	91.52
Revenue Surplus After Tax	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96	60.72
BALANCE SHEET							
Fund Balance (Actuarial)	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07	50.68
Fund Surplus	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46	355.49
Outstanding Liability for Claims	Nil	Nil	0.04	2.22	2.52	3.14	3.92
PERFORMANCE METRICS							
Average No. of days between receipt of a claim at DICGC and claim settlement@	11	11	12	23	28	25	15
Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@\$	508	1,425	2,075*	634	269	4,856	678
Operating Costs as percentage of total premium income	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24	0.22
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12	0.12

- @ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.
- ^ Comprises ₹0.71 billion on account of claims settled and ₹0.17 billion on account of reversal of provisions.
- * Sharp increase was due to a bank deregistered in 2003, whose claim was settled in 2017.
- \$ The date of court order/appellate authority (MoF) order is considered for computation of number of days during 2019-20. The delay in receipt of claim is mainly due to appeal before MoF/Legal cases.

HIGHLIGHTS - III




HIGHLIGHTS - IV



HIGHLIGHTS - V

CHART III: EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS (MARCH 31, 2020)



Notes: 1. Data as per new reporting format.

2. Figures relate to ₹5 lakh deposit insurance cover estimated at ₹68.7 trillion

AN OVERVIEW OF DICGC

(1) INTRODUCTION

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks and the Corporation was required to register "eligible cooperative banks" [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, viz. the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) INSTITUTIONAL COVERAGE

- (i) All commercial banks including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks and Payment Banks are covered under the Deposit Insurance Scheme.
- (ii) All eligible co-operative banks as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories (UTs), which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Cooperative Societies of the respective States/UTs to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all cooperative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli do not have any Co-operative Bank.

(4) REGISTRATION OF BANKS

- (i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.
- (ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.
- (iii) In terms of section 13A of DICGC Act 1961, the Corporation shall register a primary credit society becoming a primary co-operative bank after such commencement within three months of its having made an application for a licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more cooperative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a cooperative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it. In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, viz., the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, etc.

(5) INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit
February 4, 2020	₹5,00,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5,000/-
January 1, 1962	₹1,500/-

The cover increased to ₹5 lakh is applicable for those banks whose licenses are cancelled/de-registered with effect from February 4, 2020.

(6) TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, etc. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/ State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of the Reserve Bank.

(7) INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

PREMIUM RATES PER DEPOSIT OF ₹100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2020	0.12
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a cooperative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it was transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a cooperative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible cooperative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

In terms of Section 35 of DICGC Act 1961, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

(10) SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held

by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (i.e., the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

- (ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].
- (iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).
- (iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the

- concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].
- (v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.
- (vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the Liquidator/Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred.

(12) FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz.*, (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is

₹500 million which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter- Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation

are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation was also subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax w.e.f. July 1, 2017.




Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

- 1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
- 2. The RCS appoints a liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
- 3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.
- 4. The DICGC appoints a Chartered Accountant (CA) for verification of claim list and compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank. DICGC conducts a familiarisation session for CA for onsite verification of claim list and books of records of the bank.
- 5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/KYC non-compliant) and submits the list to DICGC in hard and soft form (under Integrated Application Software Solution) for payment to the depositors.
- 6. The CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental in preparation of the claim list.
- 7. The Part-A of main claim is processed and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
- The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of liquidator account maintained with agency bank.
- 9. The designated bank releases the payment to the depositors through NEFT/DD.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

RESOLUTION OF BANKS

INTRODUCTION

In the aftermath of the global financial crisis (GFC), resolution of systemic - too big to fail - interconnected financial institutions through publicly funded bailouts brought policy attention to bear on the need for a dedicated and empowered resolution authority¹. Against this backdrop, two tools of resolution of systemic institutions (banks) that are available in India *viz.*, deposit insurance and bank resolution and credit guarantee schemes have been selected as themes for "Management Discussion and Analysis".

I Evolution of Global Norms / Best Practices for Deposit Insurance and Bank Resolution

The public policy objective of deposit insurance is to protect depositors, promote public confidence and ensure financial stability. Bank failures cause loss of depositors' hard earned money; rescue/resolution involves a great deal of negotiation and uncertainty, adding up substantial costs and delays. It is in this context that Deposit Insurance Agencies (DIAs) have undergone a silent but dramatic transformation. Several countries² have amended legislation to empower their DIAs to prevent bank runs, maintain financial stability and perform resolution functions, apart from other measures like increasing the scope and limit of deposit insurance cover, backstopped by guarantees/borrowings from governments and ex-post funding by stake holders. In addition to country-specific initiatives, the International Association of Deposit Insurers (IADI), in collaboration with the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), developed Core Principles (CPs) for Effective Deposit Insurance Systems in 2009, which were updated in November 2014.

- 3 A deposit insurance fund for bank resolution (subject to safeguards) could be used at the preliquidation stage, when the bank is weak with depleted liquidity, for revival/reconstruction and not just for paying depositors in liquidation³. The closely aligned roles of deposit insurance and resolution in preserving financial stability and reducing the risk of deposit runs suggest that funds collected and available for deposit insurance pay outs in bank liquidations should also be available to bank resolution, thereby obviating the need for liquidation.
- 4 New global standards in terms of the FSB's Key Attributes (KAs) for effective resolution of financial institutions⁴ have been established under the direction of G-20 after the global financial crisis in 2011, with revision in 2014.
- 5 As per the IADI's Core Principle 9 (essential criterion 8), a DIA may use its funds for the resolution or liquidation of member institutions as an alternative to payout, provided that conditions aimed at governance, accountability and protection of DIA resources against excessive depletion are in place. Contributions should be limited to the cost the DIA would otherwise have incurred in a payout in the liquidation of the failed bank, net of expected recoveries. The "least cost" option should be chosen. The FSB's Key Attributes (KA 6) also recognises DIA as a possible source of funding for resolution (Annexure 1).

Country Practices on Resolution Framework

6 In consonance with these initiatives, several countries either set up a dedicated resolution authority or strengthened the powers of existing resolution authorities/deposit insurance agencies. A suite of resolutions tools are in place in many jurisdictions.

- 1 See DICGC Annual Report (2017-18), 'Resolution tools in Select Countries', for an overview.
- 2 Canada Deposit Insurance Corporation, Central Deposit Insurance Corporation (Chinese Taipei), Federal Deposit Insurance Corporation (US), Korea Deposit Insurance Corporation and Malaysian Deposit Insurance Corporation.
- 3 Oana Croitoru, Marc Dobler and John Molin (2018), Resolution Funding: Who Pays When Financial Institutions Fail?, Technical Notes and Manuals, International Monetary Fund, June.
- 4 Financial Stability Board (2014), Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, October.

United States

The Dodd - Frank Act (DFA) was enacted in 2010 to promote financial stability and improve accountability and transparency in the financial system. It further strengthened the power of the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) to resolve stressed entities, especially systemically important financial institutions (SIFIs) in a least disruptive and loss minimising manner. All failed insured depository institutions (including banks and savings and thrift institutions) are resolved under the Federal Deposit Insurance (FDI) Act. The Orderly Liquidation Authority (OLA), also known as Title II of DFA, provides the authorities with a robust framework for facilitating the resolution of most financial institutions that have the potential to cause severe systemic disruption and or expose tax payers to losses in the event of their failure⁵. The legal framework defines the scope of application of the resolution regime for systemic financial companies and the circumstances in which it applies under Title II of the DFA. It applies to financial companies, including bank holding companies, insurance companies, brokers and dealers but not to insured depository institutions which continue to be resolved under the FDI Act. Title II provides a process to quickly and efficiently liquidate a large, complex financial company that is close to failing as an alternative to bankruptcy in which the FDIC is appointed as a receiver to carry out the liquidation and winding-up of the company. The FDIC is given certain powers as receiver and a three to five year time-frame to finish the liquidation process. The primary goals of the resolution process are to provide depositors with timely access to their insured funds and resolve the failing institution with various tools in the least costly manner⁶. Two basic methods are available for resolving failing financial institutions *viz.*, 'Purchase & Assumption (P&A)⁷ and 'Deposit Payoffs⁸.

Canada

8 The Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) is the federal deposit insurer and resolution authority for its member institutions. The CDIC has a number of resolution tools *viz.*, purchase and assumption; forced sale; bridge bank; bail-in and liquidation. These tools can be used to manage the potential failure of a member institution, including a systemically important bank.

United Kingdom

- The Resolution Authority (RA) was set up within the Bank of England (BoE) through the Banking Act of 2009. The resolution provisions are applicable to banks, building societies and certain investment firms, and their financial holding companies that are incorporated in the United Kingdom while insurance companies are excluded. Its scope was further extended to cover central counterparties (CCPs) in 2014. The resolution regime was further strengthened through the implementation of the European Union (EU) Bank Recovery and Resolution Directive in 2014, which is now consistent with the FSB's KAs. It identifies the ways in which the BoE (as resolution authority), the micro-prudential regulators [Prudential Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA)], Her Majesty's Treasury (HMT) and other stakeholders [such as the Financial Services Compensation Scheme (FSCS) and foreign resolution authorities] interact with each other9.
- 10 The RA stipulates two conditions that must be met before a bank is placed into resolution. First, the bank must be deemed failing or likely to fail to meet
- 5 International Monetary Fund (2015), Financial Sector Assessment Program of United Sates Review of the Key Attributes of Effective Resolution regimes for the Banking and Insurance Sectors Technical Note, July.
- 6 Federal Deposit Insurance Corporation (2014), Resolution Handbook, December.
- 7 Under P&A, a healthy institution purchases some or all of the assets of a failing institution and assumes some of the liabilities, including all insured deposits.
- 8 FDIC pays all of the insured depositors of failed financial institutions.
- 9 Bank of England (2017), The Bank of England's Approach to Resolution, October and BoE (2018), Evaluation of the Bank of England's Resolution Arrangements Banks, Building Societies and Major Investment Firms, Independent Evaluation Office, June.

threshold conditions: adequate resources to satisfy applicable capital and liquidity requirements; appropriate resources to measure, monitor and manage risk; and fit and proper management (as per regulatory criteria) that conducts business prudently. The second condition is that it must not be reasonably likely that an action taken outside resolution will result in the bank not failing or not likely to fail. The main resolution tools are: bail-in; transfer to a private purchaser; transfer to a bridge bank; and transfer to an asset management vehicle.

European Union

11 Within the euro area, a new Banking Union was created with responsibilities for the centralised oversight and resolution of banks under a set of fully harmonised laws, regulations and practices. The Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 2014 was developed as a common framework for bank resolution across all EU Member States. The key elements of BRRD are: preparation and prevention of resolution via recovery and resolution planning; enhanced set of early intervention measures by the supervisor; strong set of resolution tools and powers; and cooperation and coordination between national authorities. Bank resolution is managed by the Single Resolution Board (SRB), which decides on the application of resolution tools and the use of Single Resolution Fund financed by the banking industry and owned by the SRB. The Single Resolution Mechanism (SRM) regulation is complementary to the BRRD, and not a replacement or substitute. The five resolution tools provided for under the BRRD are: bail-in; sale of business; asset separation; bridge institution; and as a last resort, government stabilisation¹⁰.

South Korea

12 The legal framework for the resolution of financial

institutions is established in two legislations: the Act on the Structural Improvement of Financial Industry (ASIFI) introduced in 1991, and the Depositor Protection Act (DPA) enacted in 1995. Under these two Acts, powers are conferred on two authorities with responsibility for resolution in Korea: the Financial Services Commission (FSC) and Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)¹¹. Together, the two Acts create an administrative resolution regime for financial sector entities distinct from the ordinary insolvency regime. The FSC acts as the lead resolution authority. In this capacity, it is responsible for determining if the conditions for entry into resolution have been met and for deciding the resolution strategy. The FSC is also responsible for supervisory policies and early intervention, including the imposition of corrective measures. The KDIC is Korea's integrated deposit insurer and is responsible for implementing the resolution actions determined by the FSC. The FSC is the supervisory authority for financial institutions. The KDIC may provide financial assistance directly to a failed financial institution or to a third party acquirer or bridge institution. Funding can be provided according to the resolution tool that has been selected by the authorities. The provision of funding is subject to compliance with the least cost principle established under the DPA.

India

13 The resolution of financial sector entities in India is scattered among multiple regulators. Efforts are under way to establish a full-fledged resolution authority covering the entire financial sector to address the gaps in the resolution framework for financial institutions, in terms of the FSB's KAs. The primacy of the insolvency framework, enhanced role of deposit insurance, least-cost methods for resolution of banks and a road map for financial sector resolution framework are being accorded due

10 World Bank (2017), Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A Guide Book to the BRRD, April.

11 Financial Stability Board (2017), Peer Review of Korea, December.



recognition¹². Besides deposit insurance, the addition of resolution tools, liquidation powers and oversight functions, and resolution plans will broadly conform to the FSB's KAs and CPs that play a major role in maintaining financial stability. While the DICGC acts as a 'Pay Box¹³' with a restricted mandate, the DICGC Act 1961 allows a limited participation in schemes approved by regulators in India¹⁴.

14 The DICGC Act provides a limited resolution function in terms of financial support in the case of merger of a weak bank with a strong bank after the approval of the merger scheme by the regulator. The DICGC provided financial assistance in such mergers in respect of 36 banks since inception (25 commercial banks: ₹294 crore and 11 cooperative banks: ₹74 crore) amounting to ₹368 crore. The first such scheme was in 1963 in which the Bank of Alagapuri Ltd. was merged with Indian Bank. Taking the experience of international best practices in resolving financial entities, there is a need for a strong resolution authority in India and the DICGC Act may need strengthening by an amendment.

Resolution Measures of Deposit Insurers

15 As per the 2016 IADI survey, for which responses were received from 41 members, 17 deposit insurers in 15 jurisdictions had resolved one or more failed institutions using the P&A. While FDIC acts independently to resolve a bank, other insurers like CDIC and Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) act on behalf of the Government in resolving banks including large entities. A separate resolution mechanism for smaller banks, including cooperatives through an umbrella mechanism supported by the Deposit Insurer, is available in countries like Canada and Europe. On the basis of the

survey's results, out of a total of 10,856 failed financial institutions as at end-2015, 38.8 per cent were reported to have been resolved through P&A transactions. The preference for the P&A method is particularly strong in the US: the FDIC handled 1,911 out of 4,089 (46.7 per cent) failed institutions by P&A; the corresponding figure for the National Credit Union Administration (NCUA) is 1,837 (50.8 per cent) out of a total of 3,615.

16 In terms of overall P&A usage, the United States is followed by Japan, Korea, Chinese Taipei and Poland. The increased focus on the use of the P&A method, which is a loss minimiser tool for DI, could be attributed to a set of factors viz., reduced resolution costs; least disruption to the local economy; flexibility in the choice of resolution options; prompt transfer of insured deposits; and continuation of depositor services. However, completing a P&A transaction also has its limitations such as: difficulty in pricing assets and identifying potential buyers for the assets in a constrained time frame due to weak market conditions; lack of interested buyers; the increased costs associated with the use of a bridge bank tool; and difficulties with least-cost estimations¹⁵.

17 Of the 32 deposit insurance agencies surveyed ¹⁶ by the FSI and the IADI which use funds for purposes other than depositors' pay outs, the majority of them provide funds to support the transfer of activities to a solvent bank through P&A transactions. Twenty-six DIAs support some form of P&A transaction involving, at a minimum, the transfer of deposits. Sixteen DIAs also provide capital to members, either as a measure to prevent insolvency or within resolution, or both. The KDIC resolved a set of loss making public sector banks, which were subsequently hived off into private

- 12 D. Subba Rao (2011), Role of Deposit Insurance in Resolution Framework Lessons from the Financial Crisis, November.
- 13 The mandates of deposit insurance agencies can be broadly classified into four categories: (i) "Pay box" deposit insurer is responsible only for the reimbursement of insured deposits; (ii) "Pay box plus" deposit insurer has additional responsibilities such as certain resolution functions (e.g., financial support); (iii) "Loss minimiser" insurer actively engages in a selection of least-cost resolution strategies; and (iv) "Risk minimiser" insurer has comprehensive risk minimisation functions that include risk assessment/management, a full suite of early intervention and resolution powers and in some cases prudential oversight responsibilities.
- 14 Thirty Six merger/amalgamations were supported by DICGC out of its funds.
- 15 IADI (2019), Purchase and Assumption, Research Paper, November.
- 16 Patrizia Baudino, Ryan Defina, José María Fernández Real, Kumudini Hajra and Ruth Walters (2019), Bank Failure Management the Role of Deposit Insurance, FSI Insights on Policy Implementation No.17, August.

entities through various tools, including purchase of shares. Of the 16 DIAs that can contribute capital, five provide capital support to member banks both prior to insolvency and in resolution, and can also provide liquidity (in some circumstances). Six other DIAs provide capital to banks that are not yet insolvent, and five only provide capital to banks in resolution. Twenty DIAs can provide liquidity assistance, either as a measure to prevent insolvency or within resolution, or both. Of 20 DIAs that can provide liquidity to member banks, five can do so both prior to insolvency and in resolution, and each of those can also provide capital support in at least some circumstances. Five DIAs can only provide liquidity to pre-insolvent banks. Four DIAs can also provide capital support in resolution, while the others can provide liquidity. However, not all DIAs that are able to provide liquidity support have actually done so, or do so regularly which is one of the tools or measures.

II Credit Guarantee Schemes

18 Credit guarantee schemes (CGSs) are primarily a policy intervention by the Government to minimise the financing constraints faced by the small and medium (Micro) enterprises (SMEs), small borrowers and small farmers around the world. Private quarantees of credit are also in place in various countries. These CGSs have a smoothening effect on the business risk of banks and enhance credit dispensation. When supported with a liquidity window, they also reduce the interest cost to borrowers. These schemes provide guarantees to groups that do not have access to credit by covering a share of the default risk of the loan. In the case of default, the lender recovers the value of the guarantee. Guarantees could partially/fully cover the credit, subject to a margin. The CGSs also play an important counter cyclical role in providing support to SMEs.

Global Principles and Norms

19 The global experience suggests that CGSs are largely operated through support from government, financial institutions and contributions from member

business firms and their functions are outside the deposit insurance agencies or resolution authorities. A task force set up by World Bank for the Design, Implementation and Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for Small and Medium Enterprises laid down the principles for public CGSs supporting SMEs (Annexure 1). While laying emphasis on an appropriate legal and regulatory structure, it laid down the principle that the CGS's guarantee delivery approach should appropriately reflect a trade-off between outreach, additionality and financial sustainability, taking into account the level of financial sector development of the country. The principles cover four key dimensions deemed critical for the success of CGSs: (i) legal and regulatory frameworks; (ii) corporate governance and risk management; (iii) operational framework; and (iv) monitoring evaluation. Guarantees issued by the CGS should be partial, providing the right incentives for SME borrowers and lenders, and designed to ensure compliance with the relevant prudential requirement for lenders. The pricing of such loans ought to be risk-based and the entity guaranteeing such schemes should be subject to enterprise-wide risk assessment and appropriate governing standards.

In order to lessen the financing constraints faced by SMEs, governments, Non-Government Organisations (NGOs) and the private sector have developed initiatives for such CGSs. G-20 / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have developed High Level Principles on SME financing in September 2015: (i) identify SME financing needs and gaps and improve the evidence base; (ii) strengthen SMEs' access to traditional bank financing; (iii) enable SMEs' access to diverse non-traditional bank financing instruments and channels; (iv) promote financial inclusion for SMEs -including informal firms- and ease access to formal financial services; (v) design regulation that supports a range of financing instruments for SMEs, while ensuring financial stability and investor



protection; (vi) improve transparency in SME finance markets; (vii) enhance SME financial skills and strategic vision; (viii) adopt principles of risk sharing for publicly supported SME finance instruments; (ix) encourage timely payments in commercial transactions and public procurement; (x) design public programmes for SME finance which ensure additionality, cost effectiveness and user-friendliness; and (xi) monitor and evaluate public programmes to enhance SME finance.

Country Practices

21 In Korea, the Korea Credit Guarantee Fund (KODIT), established as a public financial institution on June 1, 1976 under the provisions of the Korea Credit Guarantee Fund Act, is an important institution in financing of SMEs. The sources of funds are mainly government and banks. The objective of KODIT is to lead the balanced development of the national economy by extending credit guarantees for the liabilities of promising SMEs and enterprises, which lack tangible collateral; and stimulating sound credit transactions through the efficient management and use of the credit information. The CGS is the most effective and market friendly government intervention in SME financing in Korea. Seoul Guarantee Insurance Company (SGI) is owned by the Korean Deposit Insurance Corporation (93.85 per cent), apart from other insurers. It is a comprehensive credit quarantee provider and underwrites commercial and financial credit quarantees. KDIC has a fairly advanced resolution mechanism for banks and financial entities in Korea. The CGS is well established with outstanding guarantees constituting 3.3 per cent of Gross Domestic Product (GDP) in 2014.

22 In Japan, the Credit Guarantee Corporation was established way back in 1937. A credit insurance system for SMEs was implemented in 1950. A risk-related guarantee-fee scheme was introduced in 2006. Under the scheme, rates for fees were determined on the basis of the financial position of the

borrowers. Financial institutions did not have enough incentives to screen for good borrowers, monitor the borrowers, and support troubled borrowers to revitalise their business plans. They would not incur any losses even when guaranteed borrowers failed to pay back as all losses were absorbed by the credit guarantee corporations. In order to overcome the limitations, the responsibility-sharing system was introduced in 2007. There are nine different guarantee fee rates from 0.45 per cent to 1.90 per cent of the value of loan for the responsibility sharing system and from 0.50 per cent to 2.20 per cent for the nonresponsibility-sharing system. Under the new system, financial institutions share some portion of the loss when borrowers default. In response to the financial crisis, the Japanese government introduced various measures to minimise the impact on the economy. The Emergency Credit Guarantee Program (ECGP) was introduced by the Japanese government in 2008. This program is one of the largest single credit guarantee programs among the OECD countries. As compared to the Standard Credit Guarantee Program (SCGP), the ECGP has new features viz., (i) CGCs assume all risks (i.e. 100 per cent guarantees); and banks that extend ECG loans bear no credit risks; (ii) the maximum duration of an ECG loan is 10 years, whereas that of a standard credit guaranteed loan is seven years; and (iii) the premium varies from 0.45 per cent to 1.90 per cent under SCGP whereas the premium for ECGP loans is a fixed percentage (0.75 per cent - 0.80 per cent)¹⁷. The ECGP is, however, inconsistent with the reform policy that the Japan government had pursued before the crisis in two respects: the ECGP offers 100 per cent guarantees to banks, and it charges firms fixed fee rates that are not dependent on the riskiness of the firms.

23 In Western Europe, the key multinational credit guarantee provider for SMEs and mid-caps is the European Investment Fund (EIF). In addition, the European Investment Bank is increasingly deploying new "risk sharing" products. Country-level credit

¹⁷ Nobuyoshi Yamori (2015), Japanese SMEs and the Credit Guarantee System after the Global Financial Crisis, Cogent Economics and Finance, Volume 3.

quarantees play a key role in supporting SMEs' access to finance. CGSs are particularly wide-spread in Italy and Portugal, where the outstanding volume of SME credit guarantees stands around two per cent of GDP. Although the national frameworks of CGSs show a large country-by-country heterogeneity, in most of the countries CGSs are publicly owned, and are active only in their home country¹⁸. A survey of credit quarantee schemes around the world found that most of credit guarantee schemes in developing countries are public schemes, while most of credit guarantee schemes in developed countries are mutual guarantee associations (MGA) formed by members of small business firms¹⁹. The role of the Government is important in partial credit guarantee schemes but mostly limited to funding and management and much less in credit risk assessment and recovery.

24 More than three-quarters of surveyed CGSs in 52 countries reported that the Ministry of Finance is the most common form of ownership entity, with 31 per cent, followed by the Ministry of Economy with 18 per cent. Ownership entities include the central bank, various government agencies and development finance institutions²⁰. CGSs have become an increasingly important policy tool through which governments around the world seek to address the issue of limited access to lending by SMEs. Unlike other types of interventions, such as state-owned banks or directed lending arrangements, CGSs typically combine a subsidy element with market-based credit allocation mechanisms. Therefore, they may generate fewer distortions in the credit market and may lead to better credit allocation outcomes. CGSs should ensure that they achieve outreach, additionality and financial sustainability.

Credit Guarantee Schemes in India

25 The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960 and three more schemes in 1971 viz., (i) The Small Loans Guarantee Scheme (1971) (small borrowers); (ii) Small Loans Guarantee Scheme (Loans Guaranteed by Sate Finance Corporations); and (iii) Service Cooperative Societies Guarantee Scheme, 1971 (Grant of credit facilities). The RBI was entrusted with the administration of the Scheme for guaranteeing advances by banks and other credit institutions to small scale industries, small farmers and small loans to borrowers. The RBI promoted a Credit Guarantee Corporation of India Ltd (CGCI) in 1971 for meeting the credit requirements of needy borrowers under priority sector lending. The credit guarantee functions of CGCI and deposit insurance functions were integrated and the DICGC was established in July 1978 and Government of India schemes were subsumed thereunder. Subsequently, the DICGC formulated new schemes in 1981 after discontinuing the three schemes of Government of India, viz., (i) Small Loan (Small Scale Industries) Guarantee Scheme April 1981; (ii) Small Loans (Cooperative Credit Societies Guarantee scheme 1982; and (iii) Small Loans (Cooperative Banks) Guarantee Scheme, July 1984. The schemes covering small scale industries was more popular. However, banks gradually opted out of the schemes of the DICGC in late 1990s²¹.

26 Accordingly, the Government of India promoted

¹⁸ Moustafa Chatzouz, Aron Gereben Frank Long and Wouter Torfs (2017), Credit Guarantee Schemes for SME Lending in Western Europe, European Investment Fund and European Investment Bank, Working Paper No.42.

¹⁹ Thortsten Beck, Leora F. Klapper and Juan Carlos Mendoza (2008), The Typology of Partial Credit Guarantee Funds Around the World, World Bank, Policy Research Working Paper, 4771.

²⁰ Pietro Calice (2016), Assessing the Implementation of the Principles for Public Credit Guarantees for SMEs: A Global Survey, Policy Research Working Paper No.7753.

²¹ Certain changes were made in the terms and conditions of the credit guarantee schemes based on Rai Committee (1995). These changes had made the norms, for preferring claims with the Corporation, more stringent. The Corporation is at present not operating any of the credit guarantee schemes nor has any liabilities to be paid (still has the mandate) and deposit insurance remains the primary function of the Corporation from April 2003.

guarantee schemes for micro and small enterprises in August 2000, for housing to low income groups in urban areas in June 2012, and for provision of educational loans, skill development, factoring, stand up India scheme and micro units in March 2014.

27 Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): The Board of Trustees of CGTMSE, framed the Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises for the purpose of providing guarantees in respect of credit facilities extended by lending institutions to Micro and Small Enterprises (MSEs) borrowers. Subsequent to the enactment of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act - 2006, the Trust was renamed as Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. The CGTMSE covers credit facilities (Fund based and/or Non fund based) extended by member lending institution(s) to a single eligible borrower in the MSE sector not exceeding: (i) ₹50 lakh in case of Regional Rural Banks/Financial Institutions; (ii) ₹200 lakh in case of Scheduled Commercial Banks, select Financial Institutions and Non Banking Financial Companies (NBFCs); (iii) ₹50 lakh in case of Small Finance Banks (SFBs) by way of term loan and/or working capital facilities on or after entering into an agreement with the Trust, without any collateral security and/or third party guarantees or such amount as may be decided by the Trust from time to time. The funds to MSMEs are contributed by the Government of India and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in the ratio of 4:1.

28 Credit Risk Guarantee Fund Trust for low income housing: The scheme was formulated by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA). The objective of the scheme is to provide credit guarantee support to collateral free/third-party guarantee free housing loans up to ₹5 lakh extended by eligible lending institutions for low income housing in urban areas. The National Housing Bank has been mandated to manage the Fund Trust under the scheme. 29 National Credit Guarantee Trustee Company

Ltd. (NCGTC) is a private limited company incorporated under the Companies Act 1956 on March 28, 2014, established by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, as a wholly owned company of the Government of India, to act as a common trustee company for multiple credit guarantee funds. Credit guarantee programs are designed to share the lending risk of the lenders and in turn, facilitate access to finance for the prospective borrowers. The common architecture of NCGTC has been designed to handle multiple quarantee programs generally under a single umbrella organisation, with a view to achieving operational efficiencies and economies of scale, as part of a larger financial inclusion programmes of the government covering different cross-sections and segments of the economy like students, micro entrepreneurs, women entrepreneurs, SMEs, skill and vocational training needs, etc. At present, there are five dedicated credit guarantee Trusts under the Management of NCGTC, and the features of their schemes are:

- (i) Credit Guarantee Fund Scheme for Educational Loans (CGFEL) by the member banks of Indian Banks Association (IBA) up to ₹7.5 lakh extended without collateral or third-party guarantee;
- (ii) Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSD) ranging from ₹5,000 to ₹1.5 lakh extended without collateral or third-party guarantee;
- (iii) Credit Guarantee Fund Scheme for Factoring (CGFF) confined to domestic factoring of receivables of MSMEs. The exposure limit for a purchaser is up to 10 per cent [relaxable up to 20 per cent in case of AAA rated purchasers] of the corpus of the Credit Guarantee Corpus Fund for Factoring as per the last audited figures for factoring 'without recourse' only;
- (iv) Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) for loans up to the specified limit (currently ₹10 lakh) sanctioned by Banks / NBFCs / Micro Finance Institutions (MFIs) / other financial intermediaries engaged in providing credit facilities to

eligible micro units. Further, overdraft loan amount of ₹5,000/- sanctioned under Prime Minister *Jan Dhan Yojana* accounts is also eligible to be covered under this scheme; and

- (v) Credit Guarantee Fund for Stand Up India (CGFSI) for credit facilities of over ₹ 10 lakh and up to ₹100 lakh sanctioned by the eligible lending institutions, under the Stand Up India Scheme.
- 30 Measures under Atma Nirbhar Bharat: The Union Finance Minister, in her presentation as part of Atma Nirbhar Bharat stimulus measures, announced during May 13 -17, 2020 a slew of credit guarantee measures viz., (i) ₹3 lakh crore collateral free automatic loan to businesses including MSME- 100 per cent credit guarantee cover to banks and NBFCs on principal and interest; (ii) ₹20,000 crore subordinated debt for stressed MSMEs - Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) will provide partial credit guarantee support to banks. On May 17, 2020 a partial credit guarantee scheme for liabilities of NBFCs/MFIs was also announced. The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) provides 100 per cent guarantee coverage for additional working capital term loans up to 20 per cent of their entire outstanding credit up to ₹50 crore i.e., up to ₹10 crore, as on February 29, 2020, subject to the account being less than or equal to 60 days past due as on that date. A

new scheme has been introduced by National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD to partially guarantee pooled loans to small and medium size MFIs to ensure credit flow to rural areas affected by COVID-19.

Conclusion

31 Credit guarantee schemes around the world have become an important policy tool for improving the access to finance by underserved small and medium enterprises having large potential growth and employment. In view of the risks involved in design, implementation, the World Bank and 'G-20 and OECD' have developed principles for assessing the performance in terms of outreach, financial and economic additionality and financial sustainability for improving the effectiveness of these schemes. CGSs played vital role in financing of SMEs in Japan and South Korea. At present, the credit guarantee function is performed by multiple agencies in India. The Government of India also announced partial credit guarantee measures in order to mitigate the impact of COVID-19 on SMEs as part of Atma Nirbhar Bharat. Going forward, it may be apt to bring the credit guarantee function under one entity to improve the economies of scale and scope and also to assess the effectiveness of performance of various schemes in terms of set objectives.

Annexure 1: Global Principles and Norms for Resolution of Financial Institutions and Deposit Insurance

- The KAs of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions set out the core elements that are necessary for an effective resolution regime. Their implementation should allow authorities to resolve financial institutions in an orderly manner without taxpayer exposure to loss from solvency support, while maintaining continuity of their vital economic functions. As per the FSB's KAs, an effective resolution regime should: (i) ensure continuity of systemically important financial services, and payment, clearing and settlement functions; (ii) protect, where applicable and in coordination with the relevant insurance schemes and arrangements such depositors, insurance policy holders and investors as are covered by such schemes and arrangements, and ensure the rapid return of segregated client assets; (iii) allocate losses to firm owners (shareholders) and unsecured and uninsured creditors in a manner that respects the hierarchy of claims; (iv) not rely on public solvency support and not create an expectation that such support will be available; (v) avoid unnecessary destruction of value, and therefore seek to minimise the overall costs of resolution in home and host jurisdictions and, where consistent with the other objectives, losses for creditors; (vi) provide for speed and transparency and as much predictability as possible through legal and procedural clarity and advanced planning for orderly resolution; (vii) provide a mandate in law for cooperation, information exchange and coordination domestically and with relevant foreign resolution authorities before and during the resolution; (viii) ensure that non-viable firms can exit the market in an orderly way; and (ix) be credible, and thereby enhance market discipline and provide incentives for market-based solutions.
- 2 The resolution regime should include: (i) stabilisation options that achieve continuity of systemically important functions by way of a sale or transfer of the shares in the firm or of all or parts of the firm's business to a third party, either directly or through a bridge institution, and/or an officially mandated creditor-financed recapitalisation of the entity that continues providing the critical functions;

- and (ii) liquidation options that provide for the orderly closure and wind-down of all or parts of the firm's business in a manner that protects insured depositors, insurance policy holders and other retail customers. In order to facilitate the coordinated resolution of firms active in multiple countries, jurisdictions should seek convergence of their resolution regimes through the legislative changes needed to incorporate the tools and powers set out in these KAs into their national regimes.
- 3 The KAs set out twelve essential features that should be part of the resolution regimes: (i) scope; (ii) resolution authority; (iii) resolution powers; (iv) set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets; (v) safeguards; (vi) funding of firms in resolution; (vii) legal framework conditions for cross-border cooperation; (viii) crisis management groups (CMGs); (ix) institution-specific cross-border cooperation agreements; (x) resolvability assessments; (xi) Recovery and resolution planning; and (xii) access to information and information sharing.
- The IADI and the BCBS issued the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems in June 2009, revised in November 2014²². A Compliance Assessment Methodology for the Core Principles was completed in December 2010. A Handbook for the Assessment of Compliance with the CPs for Effective DIS was released by IADI in March 2016. The Core Principles and their compliance assessment methodology are used by jurisdictions as a benchmark for assessing the quality of their deposit insurance systems and for identifying gaps in their deposit insurance practices and measures to address them. The Core Principles are also used by the IMF and the World Bank, in the context of the Financial Sector Assessment Program (FSAP), to assess the effectiveness of jurisdictions' deposit insurance systems and practices. The CPs are intended as a framework supporting effective deposit insurance practices. National authorities are free to put in place supplementary measures that they deem necessary to achieve effective deposit insurance in their jurisdictions.

22 IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. November 2014.

Annexure 2: Principles for the Design, Implementation and Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for Small and Medium Enterprises²³

Principle 1: The CGS should be established as an independent legal entity on the basis of a sound and clearly defined legal and regulatory framework to support the effective implementation of the CGS's operations and the achievement of its policy objectives.

Principle 2: The CGS should have adequate funding to achieve its policy objectives, and the sources of funding, including any reliance on explicit and implicit subsidies, should be transparent and publicly disclosed.

Principle 3: The legal and regulatory framework should promote mixed ownership of the CGS, ensuring equitable treatment of minority shareholders.

Principle 4: The CGS should be independently and effectively supervised on the basis of risk-proportionate regulation scaled by the products and services offered.

Principle 5: The CGS should have a clearly defined mandate supported by strategies and operational goals consistent with policy objectives.

Principle 6: The CGS should have a sound corporate governance structure with an independent and competent board of directors appointed according to clearly defined criteria.

Principle 7: The CGS should have a sound internal control framework to safeguard the integrity and efficiency of its governance and operations.

Principle 8: The CGS should have an effective and comprehensive enterprise risk management framework that identifies, assesses, and manages the risks related to CGS operations.

Principle 9: The CGS should adopt clearly defined and transparent eligibility and qualification criteria for SMEs, lenders, and credit instruments.

Principle 10: The CGS's guarantee delivery approach should appropriately reflect a trade-off between outreach, additionality, and financial sustainability, taking into account the level of financial sector development of the country.

Principle 11: The guarantees issued by the CGS should be partial, thus providing the right incentives for SME borrowers and lenders, and should be designed to ensure compliance with the relevant prudential requirements for lenders, in particular with capital requirements for credit risk.

Principle 12: The CGS should adopt a transparent and consistent risk-based pricing policy to ensure that the guarantee program is financially sustainable and attractive for both SMEs and lenders.

Principle 13: The claim management process should be efficient, clearly documented, and transparent, providing incentives for loan loss recovery, and should align with the home country's legal and regulatory framework.

Principle 14: The CGS should be subject to rigorous financial reporting requirements and should have its financial statements audited externally.

Principle 15: The CGS should periodically and publicly disclose nonfinancial information related to its operations.

Principle 16: The performance of the CGS - in particular its outreach, additionality, and financial sustainability - should be systematically and periodically evaluated, and the findings from the evaluation publicly disclosed.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

Deposit insurance is one of the important pillars of financial safety net, safeguarding financial stability as a public good. Deposit insurance agencies played their due role in the protection of depositors in the aftermath of the global crisis. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) contributes to financial stability and public confidence through the provision of deposit insurance. In a landmark move to enhance protection to depositors, the Corporation increased the deposit insurance cover to ₹5 lakh in February 2020 with the approval of Government of India. With the hike in deposit insurance cover, 51 per cent of deposits came under insurance protection as compared with 30 per cent under ₹1 lakh insurance cover. In order to mitigate the impact of the hike in insurance cover on the deposit insurance fund (DIF), the flat rate premium was also increased to 12 paise per ₹100 of assessable deposits from April 1, 2020 from the earlier level of 10 paise per ₹100. In order to address the problem of moral hazard inherent in flat rate premiums irrespective of risk profile, the Corporation is examining the recommendations of an internal committee on riskbased premium. The major operational parameters of the working of the Corporation along with the essence of the financial accounts are presented in the Directors' Report.

The number of registered insured banks stood at 2,067 as on March 31, 2020 comprising 144 commercial banks [including 6 payment banks (PBs), 10 small finance banks (SFBs), 45 regional rural banks (RRBs), 3 local area banks (LABs)] and 1,923 co-operative banks. Since the inception of the deposit insurance scheme in 1962, the number of registered banks rose to a peak of 2,728 in 2000-01 which

declined post Madhavpura Mercantile Bank failure (failure of co-operative banks and merger / amalgamation of commercial banks), before moderating to a little over 2,100 over the period 2015-20 (Appendix Table 1). The predominant category all through has been co-operative banks (Appendix Table 2). During the year 2019-20, one commercial bank and five RRBs were registered as insured banks while 11 RRBs, 18 co-operative banks and 8 commercial banks were deregistered (Appendix Table 3).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME - STYLISED FACTS

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all States and Union Territories (UTs).

I.1.1 INSURED DEPOSITS

By March 2020, more than 90 per cent of the total number of accounts were insurance protected up to ₹ 1 lakh which also increased to over 98 per cent under insurance coverage of ₹5 lakh with effect from February 4, 2020. The amount of insured deposits covered was close to 30 per cent (at ₹1 lakh), which also exceeds 50 per cent under ₹5 lakh insurance cover (Table 1).


With the increase in insurance deposit cover, effective protection of coverage increased steeply in 2019-20 (Appendix Table 4, Appendix Table 5 and Chart 1). The insured deposits of up to ₹5 lakh insurance cover is an estimate based on deposit insurance returns for end- September 2019.

Table 1: Insured Deposits

	Dankiasslassa	As at the end of				
	Particulars	March 31, 2020¹	March 31, 2019 ¹			
1	Total No. of Accounts (in million)	2,349.7	2174.0			
2	Fully Protected Accounts ² (in million)	2,161.1 (2,310.0) ³	2000.0			
3	Percentage of 2 to 1	92.0 (98.3)	92.0			
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	1,34,889	1,20,051			
5	Insured Deposits (₹ in billion)	36,961 (68,715) ³	33,700			
6	Percentage of 5 to 4	27.4 (50.9)	28.1			

¹ Based on deposit base of September 2019 and September 2018 i.e. six months prior to the reference date.

³ Accounts covered by deposit insurancee upto ₹1 lakh. Figures in parentheses relate to ₹5 lakh deposit insurance cover estimated at ₹68.7 trillion.



I.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

Commercial banks contributed the bulk of premium collected by the Corporation (Table 2).

(₹ billion)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2019-20	123.1	9.2	132.3
2018-19	111.9	8.5	120.4

I.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961, any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation interest for the period of such default at a rate not

exceeding eight per cent over and above the Bank rate, as may be prescribed. During 2019-20, the penal rate of interest was revised five times as a result of revision in the Bank rate during the year (**Table 3**).

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(Per cent)

From	То	Bank Rate	Penal Interest Rate	Interest Rate payable by Defaulting Banks
01.04.2019	03.04.2019	6.50	8.00	14.50
04.04.2019	05.06.2019	6.25	8.00	14.25
06.06.2019	06.08.2019	6.00	8.00	14.00
07.08.2019	03.10.2019	5.65	8.00	13.65
04.10.2019	26.03.2020	5.40	8.00	13.40
27.03.2020	31.03.2020	4.65	8.00	12.65


I.2 DEPOSITINSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities. There is also an inflow of small amount out of the recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The DIF, is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹1,103.8 billion as

² Refers to accounts covered by deposit insurance.




on March 31, 2020 as against ₹937.5 billion as on March 31, 2019 yielding a Reserve Ratio (RR) (ratio of DIF to Insured Deposits) of 1.61 per cent (Chart 2).



I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year under review, the Corporation settled aggregate claims⁴ for ₹708.5 million in respect of 8 co-operative banks as detailed in **Appendix Table 6**. In respect of two banks, main claims were settled amounting to ₹98 million under the expeditious settlement policy. There was no claim from commercial banks. The claimed amount was primarily for banks in UP, Rajasthan and West Bengal **(Chart 3)**.



The Corporation continued to take up pending issues in respect of claims with the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS) and the Regional Offices (ROs) of the Reserve Bank of India


(RBI) for expeditious settlement. In addition, a provision of ₹734.2 million is held for the amount refunded by liquidators for untraceable depositors against any future claims in this category. Provision has also been made for an amount of ₹578.7 million for unidentifiable depositors. There were 12 banks where the contingent liability was created but claims had not yet been crystallised (Appendix Table 7).

The average period for settlement of main claims after receipt from liquidators stood at 11⁵ days, same as during 2018-19 and has remained within 2 months - the period stipulated in the DICGC Act, 1961.

I.4 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)


Up to March 31, 2020, a cumulative amount of ₹2,959 million was paid towards claims in respect of 27 commercial banks. Cumulative recoveries received from liquidators/transferee of commercial banks aggregated to ₹1,512 million.

The cumulative amount of claims paid/provided for in respect of 357 co-operative banks amounted to ₹49,030 million, including ₹708.5 million paid during the year under review and ₹98 million settled under the expeditious settlement policy (Chart 4 and Appendix Table 8). In the case of co-operative banks, cumulative recoveries from the liquidators / transferee banks aggregated to ₹28,666 million, including ₹1,068.5 million received during the year.




- 4 Adjusted for ₹98 million on account of claims sanctioned in respect of two banks under expeditious claims settlement policy to make it consistent with balance sheet data, data provided in Appendix Table 6 refers to total claims sanctioned during the year without adjustment.
- In respect of two banks claims were settled under the expeditious settlement policy and have been excluded from calculation of number of days for main claims.
- 6 Inclusive of ₹210 million reported under liquid fund adjustment (LFA). The amount of funds available with the liquidators from realisation of assets used to settle the claims and to that extent it is treated as repayment to DICGC under the provisions of its Act.

Both claims settled and the number of liquidated banks peaked in 2009-10 due to 31 co-operative banks mainly of Maharashtra and Gujarat failing and getting liquidated (**Chart 5**).



I.5 COURT CASES

As on March 31, 2020, the number of cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various Courts and other fora stood at 44, up from 32 a year ago (Chart 6). During the year, 5 cases were closed, while 17 new cases were filed. Out of the 44 pending cases, 5 cases were filed by the Corporation, while 39 cases were filed against the Corporation.



I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) aggregated to ₹0.07 million during 2019-20 as against ₹0.24 million

received during the previous year. The recoveries under the SLGS, 1981 were Nil as against ₹0.01 million received during the previous year. Further recoveries from both the schemes have become negligible and further chances of recoverability has got fully eroded from these old loan accounts covered. As on March 31, 2020, the number of pending court cases relating to credit guarantee activity was NIL.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

During the year under review, workshops were conducted on claim submission procedure under computerised Integrated Application Software Solution (IASS) module to liquidators, bank officials, RCS officials and Chartered Accountants (CAs) of a few deregistered banks. The Corporation also provided faculty support for workshops for liquidators about the IASS module arranged by ROs of the RBI. The IASS guidelines were issued to liquidated banks. The Corporation took up the matter of pending appeals with the Government of India with respect to liquidators of seven banks resulting in delayed settlement of claims. The position has been reduced to two as on March 31, 2020.

II.1 WORKSHOPS AND MEETINGS WITH LIQUIDATORS ON RECOVERY MANAGEMENT

As part of the drive to share information and awareness among the RCS officials / liquidators:

- ROs of RBI conducted 17 meetings of the Sub-Committee of TAFCUB during the year out of which 6 meetings were attended by officials from the Corporation;
- Workshops were conducted for all liquidators and RCS officials of Maharashtra on April 9, 2019 and August 31, 2019, June 7, 2019 in Gujarat and on July 30, 2019 at the office of RCS Bengaluru to discuss the challenges faced in repayment of dues of the Corporation and to provide hands-on training to them on the IASS portal; and

 Hands-on training on the IASS portal was provided to all liquidators of Odisha, Rajasthan and Telangana.

In addition to workshops and trainings, CGM visited the office of the RCS, Maharashtra on July 9, 2019 and January 30, 2020 to discuss issues related to non-submission of main claims and other repayment related issues. The following initiatives were also undertaken to enhance the recoveries:

- A circular was issued on October 23, 2019 to all the RCS regarding implementation of IASS for online submission of quarterly statements by liquidators from June 2019.
- Purchase of government securities for an amount of ₹247 million through Value Free Transfer was completed for 3 banks under liquidation.
- New guidelines on recovery policy for liquidated banks were issued in December 2019.
- Amendments to Sec 21 and Regulation 22 was proposed to Government of India with the consent of the Board in order to strengthen the recovery rights of the Corporation upon settlement of claims as upheld in Supreme Court Judgment in 2015 (Right of Subrogation).

II.2 DEPOSIT INSURANCE COVER

In a landmark move, the Corporation raised the limit of insurance cover for depositors in insured banks from ₹1 lakh to ₹5 lakh per depositor with effect from February 4, 2020 with the approval of Government of India with a view to providing a greater measure of protection to depositors in banks.

II.2.1 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

In order to maintain an adequate level of the DIF for settlement of claims in case of failure of banks following the increased deposit insurance coverage, the Corporation with the approval of the RBI, increased the deposit insurance premium payable by insured

banks from 10 paise to 12 paise per ₹100 of assessable deposits per annum as per Section 15(1) of the DICGC Act 1961. The revised premium was made effective from the half-year beginning April 1, 2020.

II.2.2 INTERNAL COMMITTEE ON RISK BASED PREMIUM

An internal committee comprising of officials of the Corporation, Departments of Supervision and Regulation of the RBI and the CRISIL (formerly Credit Rating and Information Services of India Ltd.) was formed under the chairmanship of Shri V. G. V. Chalapathy, CGM, DICGC, to recommend a suitable model of risk assessment and a roadmap for implementation of risk based premium. The Committee's recommendations are under examination.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The Financial Statements of Corporation comprising Balance Sheet, Revenue Account, and Cash Flow statement for the year and main operations for the year ended March 31, 2020 have been prepared in the form mentioned in Sec 28 of the DICGC Act for each of the three funds *viz.*, Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of the Sec 29 of the Act has been audited by the Statutory Auditors and approved by the Board and the same are appended separately.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

- (a) During 2019-20, an amount of ₹708.5 million (₹369.9 million)⁷ was paid towards insurance claims.
- (b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) of the Corporation as estimated by the actuary stood at ₹120,873 million (₹57,556 million) at the end of the year registering an increase of 110 per cent over the corresponding period of the previous year.

⁷ The figures in bracket adjacent to current year data indicate the corresponding position in previous year except those given in per cent.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

- (a) The surplus in the DIF was ₹154,863.1 million (₹191,468.4 million) registering a decrease of ₹36,605.4 million (19.1 per cent) on year-on-year basis on account of increase in net claims (by ₹2,059.3 million) and actuarial liability (by ₹63,317 million). This was partly set off by increase in the premium income (by ₹11,904.3 million) and income from investments (by ₹12,868.5 million).
- (b) Surplus in the CGF was ₹409.5 million (₹373.9 million a year ago), attributed to increase in income from investments by ₹35.6 million.
- (c) Surplus in the General Fund (GF) stood at ₹61.9 million (₹98.1 million) on account of decrease in income from investment by ₹12.9 million (on account of decrease in deployment of surplus funds) and increase in expenditure by ₹13.2 million primarily on rent, provision on account of expected wage revision and Clearing Corporation of India Ltd (CCIL) transaction charges.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2020, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹983.0 billion (₹879.9 billion), ₹5.1 billion (₹4.8 billion) and ₹5.5 billion (₹5.5 billion), respectively.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, viz., DIF, CGF and GF stood at ₹1,112.2 billion (₹959.3 billion), ₹5.3 billion (₹5.0 billion) and ₹6.1 billion (₹6.0 billion), respectively, at the end of 2019-20. All the funds are in appreciation at the yearend and market value of investments in all the three funds viz. DIF, CGF and GF stood at ₹1,194.0 billion, ₹5.8 billion and ₹6.6 billion, respectively.

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2020, the accumulated balance in Advance Income Tax (AIT) account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹186.7 billion (₹131.4 billion), ₹384.5 million (₹272.3 million) and ₹148.9 million (₹105.9 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation in the DIF, CGF and GF stood at ₹169.7 billion (₹130.8 billion), ₹352.3 million (₹249.2 million) and ₹149.3 million (₹134.1 million), respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks and has discharged GST liability in compliance thereof of the order ₹21.8 billion during the year.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

IV.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in Central Government securities. The overall size of its investment portfolio stood at ₹1,123.6 billion as on March 31, 2020, representing an increase of 15.8 per cent over the previous year. The market value of the portfolio stood at ₹1,206.3 billion up from ₹984.5 billion as on March 31, 2019, an increase of 22.5 per cent and 1.07 times of book value *vis-à-vis* 1.01 times as on March 31, 2019. The portfolio return⁸ during the year was 14.6 per cent as compared with 8.9 per cent in 2018-2019.

IV.2 Central Government securities are valued at prices published by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of the accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised, but net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2020, net appreciation accrued to all funds. The Corporation also maintains an Investment

⁸ Portfolio return is calculated using the Dietz Method, *viz.* TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)], where MVE/B = Market value at End/Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.

⁹ The 10-year benchmark security changed from 7.26 GS 2029 to 6.45 GS 2029 during the year.

Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2020 IFR of ₹58.3 billion calculated by the Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹45.4 billion as on March 31, 2019.

IV.3 Yields on the securities declined during the year (the 10-year bench mark yields was 6.14% as on March 31, 2020 *vis-à-vis* 7.35% on March 31, 2019), tracking the easing of monetary and liquidity conditions during the year in response initially to the growth expanded to mitigate slowdown and the outbreak of COVID-19 towards the end of the year.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Four meetings of the Board were held during the year ended March 31, 2020.

V.1.1 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Smt. Malvika Sinha, Executive Director, appointed under section 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 ceased to be a Director on the Board of the Corporation with effect from February 28, 2020 on account of superannuation. Shri Pammi Vijaya Kumar, has been nominated by the RBI under 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 as the Executive Director of the Corporation with effect from March 5, 2020.

Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD, has been re-nominated as Director on the

Board under Section 6 (1) (d) read with Section 6 (2) (ii) of the DICGC Act, 1961 up to June 17, 2020 and held charge up to May 27, 2020.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2020, the Audit Committee of Board was as under:

- 1. Dr. Harsh Kumar Bhanwala Chairperson
- 2. Dr. Shashank Saksena GOI nominee Director
- 3. Shri Pammi Vijaya Kumar Director

Four meetings of the Audit Committee of the Board were held during the year ended March 31, 2020.

V.2.1 IT COMMITTEE

A Committee to guide the Corporation on information technology (IT) adoption and development was constituted in December 2011. During the last IT committee meeting held on April 24, 2019, it was decided to dissolve the committee due to the completion of the assigned task *i.e.* overseeing launching of IASS.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds viz., DIF, CGF and GF through quarterly reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, viz., liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of WIPRO (IASS module); legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments and is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure / receipt based on the position as at the end of half year is placed before the Board.

V.3.1 CONCURRENT AUDIT

M/s M M Chitale & Co. were appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for a period of 3 years from 2018-19. The major findings of audit were placed before the Audit Committee of the Board and no major observations were made during the current year under review.

V.3.2 CONTROL & SELF-ASSESSMENT AUDIT

Under Control and Self-Assessment Audit, a system has been in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas on a half yearly basis, with which they are not functionally associated. Report for corrective actions, if any, are submitted by them.

V.3.3 RISK BASED INTERNAL AUDIT

During the year, the RBI conducted Risk Based Internal Audits (RBIA) of the Corporation in October 2019. The report contained medium risk and low risk observations. The Corporation is taking corrective action after submitting compliance for all paras and final compliance is nearing completion.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade the skills. These programmes are conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other Foreign Deposit Insurance Institutions. During 2019-20, 67 employees comprising 45 officers, 20 class III and 2 Class IV staff members were deputed. Apart from these, 7 nominations were made for participating in 5 programmes in trainings/ conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions.

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation, except the Chief Financial Officer (who was recruited on contract basis), are on deputation from the RBI. The staff

strength of the Corporation stood at 56 as on March 31, 2020 (Table 4).

Table 4 : Category wise position of staff as on March 31, 2020

Category	Number	Of w	hich	Percentage (%)		
		SC ST		sc	ST	
1	2	3	4	5	6	
Class I	37*	4	1	11	3	
Class III	15	2	0	13	0	
Class IV	4	0	0	0	0	
Total	56	6	1	11	2	

SC: Scheduled Castes

ST: Scheduled Tribes.

*Excluding ED & CFO

Of the total staff strength, 66 per cent were in Class I, 27 per cent in Class III and the remaining 7 per cent in Class IV. Of the total staff, 11 per cent belonged to Scheduled Castes and 2 per cent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2020.

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right to Information Act (RTI). During 2019-20, a total of 80 RTI requests and 1 appeal were received and replied by the Corporation. They pertained to the Corporation's role in protecting depositors, queries relating to guarantees given on deposits of failed banks, information on failed banks and amount disbursed, information on premium received and claims settled, guarantee for deposits of post office savings/ public provident fund/ senior citizen savings schemes and eligible cover for deposits held under different right and different capacity.

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Languages Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee met on a quarterly basis to monitor and promote the

use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 97.7 per cent total in 2019-20. The Corporation also organises 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held in September 2019.

V.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation. The Customer Service Cell is under the charge of the Senior Officer in charge of Claims Settlement. The disposal of complaints was made by coordinating with the liquidators, RCS and ROs of Department of Supervision/Department of Regulation, RBI. The issues relating to complaints were also taken up in Sub Committee of TAFCUB in specific cases for disposal.

V.9 PUBLIC AWARENESS

The Corporation disseminates information about deposit insurance to the public through insured banks, its website, brochures and booklets. Printed materials on deposit insurance is provided to ROs of the RBI for circulation in their jurisdictions. ROs are also advised to distribute the same to the public in literacy camps. In compliance with Principle 10 of the Core Principles for Effective Deposit Insurance systems, the Corporation sends letters to depositors whose claims were settled. During the year, stickers were sent to RBI Regional Offices in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh regarding the availability of Deposit Insurance cover.

The DICGC website is updated regularly of its all features relating to the details of claims settled, information on appointment of liquidators, FAQs on claims settlement process, and the list of insured banks for the information of public.

V.10 ROLE IN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS

The Corporation provided secretarial support for India's engagement in the Member Relations Council

Committee and Technical Assistance Committee during the 58th Executive Council (EXCO) meeting of the International Association of Deposit Insurers (IADI) held in Basel from May 20-24, 2019. One senior officer from the Corporation attended the 5th IADI Biennial Research Conference held in Basel during May 23-24, 2019. The Corporation also provided inputs for the Working Group on New Funding Options of the IADI regarding future fee structure options to meet the strategic goals set for five years (2016-17 to 2020-21) by the EXCO. The Corporation also participated in the 17th Asia Pacific Regional Committee Annual Meeting held during 25-28 June 2019 in St. Petersburg, Russia and was represented by the ED and a senior officer.

Two officers from the Corporation attended the IADI 2019 Annual Conference on "Realising Reforms: What has changed in Deposit Insurance Systems since the Crisis?" held during October 10-11, 2019 at Istanbul, Turkey. Information on key parameters of the working of the DICGC was provided as part of the IADI Annual Survey, 2019. The Corporation also participated in surveys conducted by other deposit insurance agencies under the aegis of the IADI.

V.10 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s V. Sankar Aiyar & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2019-20 with the approval of the Reserve Bank.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

(M. D Patra) Chairman

Urhanlthbaltalalala

Dated: June 29, 2020

APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE - PROGRESS SINCE INCEPTION

Year/Period	At the beginning	Registered during the	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period
	of the period	period	was attracted	was not attracted	Total (4+5)	(2+3-6)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

^{*} Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS - CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks					
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total	
2019-20	96	45	3	1,923	2,067	
2018-19	103	51	3	1,941	2,098	
2017-18	101	56	3	1,949	2,109	
2016-17	100	56	3	1,966	2,125	

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS - STATE-WISE (as at end March 2020)

Sr. No.	State	Apex	Central	Primary	Total				
1.	Andhra Pradesh	1	21	46	68				
2.	Assam	1	0	8	9				
3.	Arunachal Pradesh	1	0	0	1				
4.	Bihar	1	22	4	27				
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19				
6.	Goa	1	0	6	7				
7.	Gujarat	1	18	218	237				
8.	Haryana	1	19	7	27				
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8				
10.	Jharkhand	1	1	1	3				
11.	Karnataka	1	21	262	284				
12.	Kerala	1	1	60	62				
13.	Madhya Pradesh	1	38	49	88				
14.	Maharashtra	1	31	494	526				
15.	Manipur	1	0	3	4				
16.	Meghalaya	1	0	3	4				
17.	Mizoram	1	0	1	2				
18.	Nagaland	1	0	0	1				
19.	Orissa	1	17	9	27				
20.	Punjab	1	20	4	25				
21.	Rajasthan	1	29	35	65				
22.	Sikkim	1	0	1	2				
23.	Tamil Nadu	1	24	129	154				
24.	Telangana	1	1	51	53				
25.	Tripura	1	0	1	2				
26.	Uttar Pradesh	1	50	62	113				
27.	Uttarakhand	1	10	5	16				
28.	West Bengal	1	17	43	61				
	Union Territories								
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1				
2.	Chandigarh	1	0	0	1				
3.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8				
4.	NCT Delhi	1	0	15	16				
5.	Puducherry	1	0	1	2				
	TOTAL	33	352	1,538	1,923				

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2019-20

A. REGISTERED (6)

Bank Type	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Banks (1)	1.	Bank of China Ltd.
	1.	Tamil Nadu Grama Bank
	2.	Madhya Pradesh Gramin Bank
Regional Rural Banks (5)	3.	Jharkhand Rajya Gramin Bank
	4.	Aryavart Bank
	5.	Prathama UP Gramin Bank

B. DE-REGISTERED (37)

Bank Type	Category/State	Sr. No.	Name of the Bank
	Foreign Bank	1.	National Australia Bank
	Payment Bank	1.	Aditya Birla Payment Bank Ltd.
		1.	Oriental Bank of Commerce
			(merged with Punjab National Bank)
Commercial Banks (8)		2.	United Bank of India
Commercial Banks (0)	Nationalised		(merged with Punjab National Bank)
	Banks	3.	Syndicate Bank (merged with Canara Bank)
		4.	Andhra Bank (merged with Union Bank of India)
		5.	Corporation Bank (merged with Union Bank of India)
		6.	Allahabad Bank (merged with Indian Bank)
		1.	Narmada Jhabua Gramin Bank
	Madhya		(Amalgamated with Madhya Pradesh Gramin Bank)
	Pradesh	2.	Central Madhya Pradesh Gramin Bank
			(Amalgamated with Madhya Pradesh Gramin Bank)
		1.	Allahabad UP Gramin Bank (Amalgamated with Aryavart Bank)
		2.	Gramin Bank Aryavart (Amalgamated with Aryavart Bank)
	Uttar Pradesh	3.	Prathama Bank
	Ottai i iauesii		(Amalgamated with Prathama UP Gramin Bank)
		4.	Sarva UP Gramin Bank
Regional Rural Banks (11)			(Amalgamated with Prathama UP Gramin Bank)
(11)		1.	Vanachal Gramin Bank
	Jharkhand		(Amalgamated with Jharkhand Rajya Gramin Bank)
	Jilaikilallu	2.	Jharkhand Gramin Bank
			(Amalgamated with Jharkhand Rajya Gramin Bank)
		1.	Pandyan Gramin Bank
	Tamil Nadu		(Amalgamated with Tamil Nadu Grama Bank)
	Tarriii 14aaa	2.	Pallavan Gramin Bank
			(Amalgamated with Tamil Nadu Grama Bank)
	Assam	1.	Langpi Dehangi Gramin Bank
	7.000111		(Amalgamated with Assam Gramin Vikash Bank)

Bank Type	Category/State	Sr. No.	Name of the Bank
	Gujarat	1.	Siddhi Co-op Bank Ltd.
	Gujarat		(Merged with Kalupur Commercial Co-op Bank Ltd.)
		1.	The Janata Commercial Co-op Bank Ltd.
	Maharashtra		(Merged with Chikhali Urban Co-op Bank Ltd.)
Co-operative Banks	Manarashira	2.	R.S.Co-op Bank
(UCBs) (5)			(Merged with Mehsana Urban Co-op Bank Ltd.)
	Andhra Pradesh	1.	Bhimavaram Cooperative Bank Ltd.
	Andria Pradesii		(Merged with Gayatri Co-op Bank ltd.)
	Karnataka	1.	Tumkur Pattana Sahkari Bank Niyamita
	Namataka		(Converted into Tumkur Pattana Credit Co-operative Society Ltd.)
		1.	The Thiruvananthapuram District Co-operative Bank Ltd.
		2.	The Kollam District Co-operative Bank Ltd.
		3.	The Pathanamthitta District Co-operative Bank Ltd.
		4.	The Alappuzha District Co-operative Bank Ltd.
		5.	The Kottayam District Co-operative Bank Ltd.
		6.	The Idukki District Co-operative Bank Ltd.
Co-operative Banks		7.	The Ernakulam District Co-operative Bank Ltd.
(DCCBs) (13)	Kerala	8.	The Thrissur District Co-operative Bank Ltd.
		9.	The Palakkad District Co-operative Bank Ltd.
		10.	The Kozhikode District Co-operative Bank Ltd.
		11.	The Wayanad District Co-operative Bank Ltd.
		12.	The Kannur District Co-operative Bank Ltd.
		13.	The Kasaragod District Co-operative Bank Ltd.
			Note: Deregistration of above 13 DCCBs was due to merger with Kerala State Co-op Bank, the Apex Bank.

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

Year	Fully Protected Accounts (number in million)*	Total Accounts (number in million)	% of Fully Protected Accounts to Total	Accounts Insured Deposits* (₹ billion)	Assessable Deposits (Total ₹ billion)	% of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	2,161 (2,310)	2,350	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	2,000	2,174	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	1,775	1,941	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	1,737	1,885	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	1,553	1,681	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6		78.5	4	17	23.1

^{*} Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from Feb 4, 2020 onwards. The figures in parentheses are estimated based on ₹5,00,000 insurance coverage as the deposit insurance returns data pertains to September 2019 did not have granular information above ₹3,00,000 deposits.

Note: Data from 2009-10 as per new reporting format.

APPENDIX TABLE 5: BANK WISE CATEGORY - INSURED DEPOSITS

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹billion)	Assessable Deposits (₹ billion)	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2019-20*	I. Commercial Banks (i to vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) SBI	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) Public Sector	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) Foreign banks	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) Private banks	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) Payment Bank	6	16 (16)	16	100.0 (100.0)
	vi) Small Fin Bank	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) Local Area banks	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. RRBs	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. Co-operative banks	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	Total (I+II+III)	2,067	36,961 (68,715)	134,889	27.4 (50.9)
2018-19	I. Commercial Banks (i to vii)				
	i) SBI	1	8130	25074	32.4
	ii) Public Sector	18	14114	46937	30.1
	iii) Foreign banks	46	166	5586	3.0
	iv) Private banks	21	5209	29888	17.4
	v) Payment Bank	7	9	9	100.0
	vi) Small Fin Bank	10	42	275	15.2
	vii) Local Area banks	3	4	7	57.1
	II. RRBs	51	2251	3783	59.5
	III. Co-operative banks	1941	3775	8492	44.5
	Total (I+II+III)	2,098	33,700	120,051	28.1
2017-18	I. Commercial Banks (i to v)				
	i) SBI	1	7,267	23,140	31.4
	ii) Public Sector	20	14,792	46,987	31.4
	iii) Foreign banks	45	146	4,661	3.1
	iv) Private banks	35	4,686	25,806	18.1
	v) Local Area banks	3	3	6	50.0
	II. RRBs	56	2,112	3,440	61.4
	III. Co-operative banks	1,949	3,747	7,980	46.9
	Total (I+II+III)	2,109	32,753	112,020	29.2

Note: Figures in parentheses are estimated for ₹5 lakh deposit insurance coverage as the hike in deposit insurance cover was effected from February 4, 2020.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2019-20

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Maharashtra (1)			
1	Shri Shivaji SBL	Supplementary (1)	18	120.3
	Total (Maharashtra)	Supplementary (1)	18	120.3
	West Bengal (2)			
1	Baranagar Co-op Bank Ltd	Supplementary (3)	5	118.2
2	Kasundia Co-op Bank Ltd.	Supplementary (1)	664	20,949.6
	Total (West Bengal)	Supplementary (4)	669	21,067.8
	Uttar Pradesh (3)			
1	UCC Bank ltd (Main claim)	Main	24,684	247,534.6
2	Mercantile CBL Meerut	Main	19,087	27,434.8
3	Mahamedha UCBL	Main	33,004	301,398.8
	Total (Uttar Pradesh)	Main (3)	76,775	576,368.2
	Rajasthan(1)			
1	Alwar UCBL	Main	4,216	1,01,184.5
	Total (Rajasthan)	Main (1)	4,216	101,184.5
	Gujarat (1)			
1	Gujrat Industrial CBL	Supplementary (1)	409	9,798.8
	Total (Gujarat)	Supplementary (1)	409	9,798.8
	Telangana [#] (1)			
1	Gokul UCBL*	Main		13,579.0
	Total (Telangana)			13,579.0
	Madhya Pradesh(1)			
1	Bhopal Nagarik SBL.*	Main		84,394.7
	Total (Madhya Pradesh)			84,394.7
	Total (All States)	Main (6), Supplementary (6)	82,087	806,513.2

^{*}Claims settled under expeditious settlement policy.

APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY (As on March 31, 2020)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (₹ million)
Α	> 10 years old		·
1	August 16, 2000	Federal CBL	13.7
2	May 3, 2002	Madhepura Urban Development Co-op Bank	0.5
3	April 10, 2007	Rahuta Union CBL	145.7
	Total (A)	(3 Banks)	159.9
В	Between 5 and 10 years old		
1	November 15, 2012	Ghaziabad UCBL	198.2
2	June 17, 2010	Ramkrishnapur CBL	750.2
3	February 9, 2012	February 9, 2012 Pen Co-op Urban Bank	
	Total (B)	(3 Banks)	4,539.9
С	Between 1 and 5 years old		
1	December 28, 2016	Shri Sai Urban Co-op Bank	20.9
2	October 16, 2014	Baripada UCBL	471.7
3	August 30, 2017	Hardoi UCBL	67.8
4	October 4, 2018	Navodaya Urban CBL	531.0
5	August 23, 2018	Bhilwara Mahila Urban CBL	409.7
6	July 3, 2018	Brahmawart Commercial CBL	334.6
	Total (C)	(6 Banks)	1,835.6
	Grand Total (A+B+C)	(12 Banks)	6,535.4

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2020

Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
2	3	4	5	6
COMMERCIAL BANKS				
) Full repayment received (A)				
1 Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
B Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd.,		11.51	11.51	-
Bijapur (1965)*				
5 Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
6 Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
7 Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		370,000.00	370,000.00	-
TOTAL 'A'		391,139.79	391,139.79	-
i) Repayment received in part and balance due wri	tten off (B)			
3 Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.79	-
			(115.58)	
Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07	_
			(9.53)	
10 Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32	-
			(76.76)	
11 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55	_
			(438.53)	
12 Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93	_
			(361.35)	
13 Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00	-
			(47.40)	
National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12	-
			(11.13)	
15 Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55	-
			(3.74)	
16 Parur Central Bank Ltd., North Parur,		26,021.36	23,191.65	-
Maharashtra (1990)*			(2,829.71)	
17 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
			(317,519.13)	
FOTAL 'B"		380,018.32	58,605.49	-
			(321,412.86)	
готи	AL 'B"	AL 'B"	AL 'B" 380,018.32	AL 'B" 380,018.32 58,605.49

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	iii) F	Part repayment received (C)				
	18	National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	19	Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	20	Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	21	Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22	Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23	Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24	Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25	Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26	Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27	Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	TO	TAL 'C'		2,187,371.62	1,062,725.62	1,124,646.00
	TO	TAL (A+B+C)		2,958,529.74	1,512,470.90	1,124,646.00
					(321,412.86)	
II	СО	-OPERATIVE BANKS				
	i) Fı	ull repayment received (D)				
	1	Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd.,		573.33	573.33	-
		Mumbai (1976)				
	2	Malvan Co-op. Bank Ltd.,		184.00	184.00	-
		Malvan (1977)				
	3	Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd.,		1,072.00	1,072.00	-
		Mumbai (1978)				
	4	Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd.,		218.99	218.99	-
		Ramdurg (1981)				
	5	Dadhich Sahakari Bank Ltd.,		1,837.46	1,837.46	-
		Mumbai (1984)				
	6	Metropolitan Co-op. Bank Ltd.,		12,500.00	12,500.00	-
		Mumbai (1992)				
	7	Hindupur Co-operative Town Bank Ltd.,		121.97	121.97	-
		A.P. (1996)				
	8	Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd.,		30,697.47	30,697.47	-
		Maharashtra (2005)				
	9	Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,		629.80	629.80	-
		A.P. (2005)				
	TO	TAL 'D'		47,835.02	47,835.02	-

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	ii) R	epayment received in part and balance due wri	tten off (E)			
	10	Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd.,		276.50	-	-
		Mumbai (1977)			(276.50)	
	11	Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd,		60.31	-	-
		Mumbai (1978)			(60.31)	
	12	Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd.,		4,642.36	1,256.95	-
		Ratnagiri, Maharashtra (1978)*			(3,385.41)	
	13	Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd.,		26.10	-	-
		Bhadravati (1994)			(26.10)	
	14	Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	-
					(180.80)	
	15	The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd.,		2,114.71	549.18	-
		A.P. (2005)			(1,565.53)	
	TO	TAL 'E'		7,828.42	2,333.76	-
					(5,494.65)	
	iii) F	Part repayment received (F)				
	16	Vishwakarma Co-operative Bank Ltd.,		1,156.70	604.14	552.56
		Mumbai, Maharashtra (1979)*				
	17	Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd.,		701.51	412.14	289.37
		Mumbai, Maharashtra (1979)*				
	18	Kalavihar Co-operative Bank Ltd.,		1,317.25	335.53	981.72
		Mumbai, Maharashtra (1979)*				
	19	Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore,		9,130.83	1,294.66	7,836.17
		Karnataka (1982)*				
	20	Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur,		1,395.93	707.86	688.08
		A.P. (1985)				
	21	Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore,		274.30	65.50	208.80
		Karnataka (1985)				
	22	Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank		484.89	400.91	83.99
		Ltd., Maharashtra (1986)*				
	23	Gadag Urban Co-op. Bank Ltd.,		2,285.04	1,341.05	943.99
		Karnataka (1986)				
	24	Manihal Urban Co-operative Bank Ltd.,		961.85	227.60	734.25
		Karnataka (1987)				
	25	Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,		1,095.23	-	1,095.23
		Lucknow, U.P. (1988)				

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	26	Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48
	27	Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	28	Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.59
	29	Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative		1,744.13	1,139.44	604.69
	30	Urban Bank Ltd., Karnataka (1991) Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	31	Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	32	Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
	33	Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	34	Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	35	Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	36	Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	37	Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	38	Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	39	Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^		915.79	915.79	0.00
	40	Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	41	Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	42	Trimoorti Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	43	Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	44	Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd.,		62,293.89	260.58	62,033.31
		Mumbai, Maharashtra (2000)				
	45	Gudur Co-op. Urban Bank Ltd.,		6,736.99	964.46	5,772.53
		A.P. (2000)				
	46	Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd.,		2,447.07	137.15	2,309.92
		A.P. (2000)				
	47	Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai,		157,012.94	59,783.98	97,228.95
		Maharashtra (2000)				
	48	Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd.,		2,242.01	-	2,242.01
		Maharashtra (2000)				
	49	Siddharth Sahakari Bank Ltd.,		5,398.65	1,100.00	4,298.65
		Jalgaon, Maharashtra (2000)				
	50	Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd,		27,494.76	16,100.00	11,394.76
		Maharashtra (2000)				
	51	The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd.,		2,017.30	-	2,017.30
		Gujarat (2000)				
	52	Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari,		1,696.09	0.24	1,695.85
		Kalamnuri, Maharashtra (2001)				
	53	Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar.,		7,013.59	1,000.00	6,013.59
		M.P. (2001)				
	54	Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad,		21,862.77	465.72	21,397.05
		Maharashtra (2001)				
	55	Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,		26,135.83	15,704.50	10,431.33
		Bilaspur, M.P. (2001)				
	56	Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari		5,068.09	3,358.92	1,709.18
		Bank Ltd., Maharashtra (2001)			0.707.00	140 70
	57	Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)	1	3,946.61	3,797.83	148.78
	58	Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd.,	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	(0.00)
	=0	Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)		000 400 00	70.440.00	45004000
	59	Krushi Co-operative Urban Bank Ltd.,		232,429.22	73,116.30	159,312.92
	00	Secunderabad, A.P. (2001)		20.402.00	40 705 40	47.400.00
	60	Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad,		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	64	Gujarat (2002)		10 400 40	15 074 00	4 444 50
	61	Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd),		19,486.49	15,071.90	4,414.59
		M.P. (2002)				

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	62	Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad,		140,667.57	39,446.41	101,221.16
		Gujarat (2002)				
	63	Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd.,		37,959.73	0.01	37,959.73
		Mumbai, Maharashtra (2002)				
	64	Latur Peoples Co-operative Bank Ltd.,		3,048.95	302.00	2,746.95
		(Dergd), Maharashtra (2002)				
	65	Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	5,538.62	2,282.62
	66	Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai,		48,456.66	147.03	48,309.63
		Maharashtra (2002)		,		,
	67	Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd.		9,697.12	9,363.62	333.50
		Drgd, A.P. (2002)				
	68	Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd),		7,032.61	3.32	7,029.29
		Orissa (2002)				
	69	The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd.,		26,553.64	23,896.41	2,657.23
		(Degrd), Gujarat (2002)				
	70	Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank		25,866.18	8,400.00	17,466.18
		(Dergd), Gujarat (2002)				
	71	Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	72	Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad,		14,779.44	427.30	14,352.14
		Gujarat (2002)				
	73	Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd),		22,448.41	4.16	22,444.25
		Maharashtra (2003)				
	74	Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai,		47,507.25	342.72	47,164.53
		Maharashtra (2003)		40.000.04	4 000 04	45,000,50
	75	Khed Urban Co-operative Bank Ltd.,		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	70	Maharashtra (2003)		74 744 74	68,141.14	2 600 57
	76	Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	00,141.14	3,600.57
	77	Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd.,		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	′ ′	A.P. (2003)		11,209.00	10,038.32	1,231.34
	78	The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	79	Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd.,		10,101.00	1 1,57 5.10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		A.P. (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	80	Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd.,		,	,	
		Hariyana (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	81	Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	82	Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		1,432,344.30	941,695.05	490,649.26
	83	Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
	84	Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	29,200.33	4,833.14
	85	Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
	86	The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	87	Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
	88	Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	29,185.35	4,144.00
	89	Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	29,206.98	3,970.96
	90	The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		141,139.81	140,798.15	341.65
	91	Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	92	Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	93	Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	23,594.30	13,749.58
	94	The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	95	The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	35,874.52	5,407.10
	96	Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	97	Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	98	Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	99	Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,697.97	(0.00)
	100			42,971.17	40,729.41	2,241.76

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	101	Santram Co-operative Bank Ltd.,		115,872.42	23,818.21	92,054.22
		Gujarat (2003)				
	102	Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	103	Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd.,		25,531.20	-	25,531.20
		Gujarat (2004)				
	104	General Co-operative Bank Ltd.,		715,200.69	425,756.90	289,443.79
		Gujarat (2004)				
	105	Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai,		44,086.21	82.94	44,003.27
		Maharashtra (2004)				
	106	Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
		Gujarat (2004)				
	107	Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon,		34,192.33	24,748.87	9,443.46
		Maharashtra (2004)				
	108	Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,		3,846,162.46	739,836.93	3,106,325.53
		Gujarat (2004)				
	109	Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd.,		1,794.45	164.60	1,629.85
		A.P. (2004)				
	110	Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd.,		9,799.51	-	9,799.51
		Orissa (2004)		40.470.40	0.470.40	
	111	The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112	The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113	Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114	,		25,441.21	3,018.11	22,423.10
	445	Karnataka (2005)		40.004.74	44.004.04	200 70
		Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	116	Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117	Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd.,		4,787.55	4,787.55	-
	110	Rajasthan (2005)^		2 744 04	4 74	2 726 27
	118	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3,741.01	4.74	3,736.27
	110	A.P. (2005)		41 000 65	204.01	41 604 74
	119	Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
	120	Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	120	Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		15,551.57	4,312.33	0,039.02
	121	Partur People's Co-operative Bank Ltd.,		15,836.61	519.61	15,317.00
	121	Maharashtra (2005)		15,050.01	313.01	15,517.00
		iviariai asiilia (2003)				

41

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	122	Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	123	Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,048.60	384,291.83	199,756.77
	124	The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	125	Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	59,727.40	26,803.13
	126	Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	4,774.86	951.00
	127	Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	225,158.00	93,767.24
	128	Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93
	129	Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^		606,403.31	606,403.31	-
	130	Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	62,370.29	11,665.43
	131	Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		299,340.86	43,387.32	255,953.54
	132	Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	61,781.19	161,369.08
	133	Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	134	Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	135	Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	15,349.33	357.03
	136	Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
	137	Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	138	Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	139	Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	19,022.31	(22.47)

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	140	Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	141	Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	142	Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	40,363.69	539,533.26
		Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
	144	Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	24,088.97	652.51
	145	Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	103.13	120,556.72
	146	Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147	Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	148	Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	149	The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	150	Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		81,637.44	27,645.01	153,992.43
	151	Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
	152	Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,592.15	183,879.62	117,712.53
	153	Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	178,598.17	87,854.29
	154	Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		304,703.46	287,369.36	17,334.10
	155	Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		145,661.51	79,455.37	66,206.14
	156	Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	157	Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	158	Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,251.94	315,493.29	118,758.66
	159	Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	160	Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		552,716.70	165,459.84	387,256.86
	161	Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,686.51	4,299.11	116,387.40
	162	The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	163	Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	164	Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		257,956.99	257,956.99	-
	165	Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	5,982.56	23,775.09
	166	Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	128,086.25	243,500.52
	167	Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
	168	The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	3,767.09	7,847.81
	169	Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	5.79	4,840.91
	170	Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	9,598.01	3,227.47
	171	Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	84,683.34	81,213.04
	172			58,798.44	57,611.81	1,186.64
	173	Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	26,444.24	89,607.27
	174			755,959.06	755,959.06	-
	175			6,606.11	1,702.99	4,903.12

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	176	Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
	177	Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	178	Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179	Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	223,393.79	144,413.73
	180	Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181	Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182	The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183	Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184	Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	118,047.66	6,711.02
	185	Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
	186			27,287.76	579.65	26,708.11
	187	,		2,304.21	5.61	2,298.60
	188	Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
	189	Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
	190	Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	3,446.71	9,528.11
	191	Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	2,162.98	19,915.95
	192	• , ,		160,286.13	33,549.79	126,736.34
	193 194	Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007) Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd.,		2,476.52	78.08	2,398.43
	134	Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	195	The Vikas Co-operative Bank Ltd.,		10,262.36	1,877.84	8,384.52
		Ahmedabad, Gujarat (2007)				
	196	Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.,		11,238.00	6,097.16	5,140.84
		Gujarat (2007)				
	197	Anand Urban Co-operative Bank Ltd.,	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
		Gujarat (2008)				
	198	,	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
		Gujarat (2008)				
	199	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	678	666.32	-	666.32
		Maharashtra (2008)	40.004		0.04	
	200	Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd.,	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	204	Assam (2008)	4 447	0.004.00	4 042 55	7 077 77
	201	Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202	Burhanpur, M. P., (2008) Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani,	7,240	7,442.90	7,442.90	
	202	Maharashtra (2008) [^]	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203	Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd.,	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	203	Basaganj, Karnataka (2008)	1,707	2,075.15	102.42	2,490.71
	204	Indian Co-op. Development Bank Ltd.,	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
		Meerut, U.P. (2008)	, ,	,		,
	205	Talod Janata Sahakari Bank Ltd.,	5,718	24,522.91	2,059.37	22,463.53
		Gujarat (2008)	·		,	,
	206	Challakere Urban Co-op Bank Ltd.,	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
		Karnataka (2008)				
	207	Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.,	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
		Gujarat (2008)				
	208	Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.91
	209	Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli,	30,483	185,521.69	151,403.83	
		Karnataka (2008)				34,117.86
	210	Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur,	8,841	47,517.84	15,120.87	32,396.97
		Gujarat (2008)				
	211	Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai,	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
		Maharashtra (2008)				
	212	Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd.,	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
		Raipur, Chhattisgarh (2008)				

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	213	Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd.,	2,602	24,167.12	23,449.87	717.26
		Maharashtra (2008)				
	214	Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah.	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
		Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)				
	215	Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd.,	12,779	99,668.73	49,722.95	49,945.78
		Gujarat (2008)				
	216	Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur,	25,627	169,225.78	38,581.19	130,644.59
		Maharashtra (2008)				
	217	Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op.	16,723	268,254.02	229,271.10	38,982.92
		Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	40.40-			
	218	Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	219	Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd.,	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
		Karnataka (2009)				
	220	Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi,	2,613	25,242.02	5,395.14	19,846.88
		Karnataka (2009)				
	221	Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	12,933.28	55,313.28	57,620.00
	222	Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank Ltd.,	11,542	79,008.26	75,537.70	3,470.57
		Maharashtra (2009)				
	223	Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	15,201.67	10,086.82
	224	The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank	8,512	67,660.45	24,852.69	42,807.76
		Ltd., Karnataka (2009)				
	225	Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank	11,129	65,792.83	30,294.08	35,498.75
		Ltd., Latur, Maharashtra (2009)				
	226	Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara	679	3,625.81	501.20	3,124.61
		Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)				
	227	Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad,	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
		U.P. (2009)				
	228	Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
	229	Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd.,	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
		Gujarat (2009)				
	230	Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda,	21,603	128,916.02	55,376.93	73,539.09
		Gujarat (2009)				

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	231	Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	374,582.84	291,003.72	83,579.12
	232	Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	233	Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	234	Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	3,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	235	Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236	Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	30,359.23	22,768.76
	237	Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	55,841.14	314,833.31
	238	South Indian Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	359,787.81	82,683.99	277,103.82
	239	Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	238,318.86	184,821.36	53,497.50
	240	Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	125,836.14	167,141.88
	241	Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242	Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	17,030.61	120,314.83
	243	Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	566,073.61	35,756.03	530,317.58
	244	Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	287,228.98	13,686.68
	245	Deendayal Nagrik Sahakari Bank Ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246	Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247	Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	1,517,018.90	155,041.00
	248	The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.08

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	249	Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	420,307.60	329,698.93	90,608.67
	250	Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.44
	251	Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252	Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	91,584.87	33,853.39
	253	The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	144,067.26	73,944.96	70,122.30
	254	Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	436,184.64	104,422.59	331,762.05
	255	Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
	256	Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.27
	257	Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
	258	Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.13	287,336.37
	259	Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260	Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261	Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	5,040.87	10,588.15
	262	Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	263		14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264	Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	(0.00)
	265	Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
	266	Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	267	Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd.,	36,652	448,117.96	322,477.62	125,640.34
	268	Gujarat, (2010) Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
	269	Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	46,086.60	100,116.00
	270	Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	318,859.76	84,881.34
	271	Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	272	Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	15,063.13	10,782.66
	273	Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.39
	274	Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	275	Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
	276	Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	277	Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
	278	Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
	279	Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
	280	Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281	Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282	Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	69,338.26	14,703.72
	283	Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	133,960.02	72,799.93	61,160.09
	284	Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	-	179.27
	285	Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	591,664.24	284,181.07	307,483.17

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	286	Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	287	Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	44,388.02	23,005.36
	288	Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	289	The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	290	The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	403,178.78	189,358.37	213,820.41
	291	Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	422,834.49	44,267.79	378,566.70
	292	Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	293	Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	6,477.40	29,495.80
	294	Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	51,833.76	147,477.83
	295	Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	160,023.77	59,571.28	100,452.49
	296	Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	557,696.70	433,022.01	124,674.69
	297	Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298	Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299	Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	2,045.78	19,956.66
	300	Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	301	Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.57
	302	The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd.,	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	303	Gujarat (2012) Shri Balaji Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	304	Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune,	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
		Maharashtra (2012)				
	305	Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	306	Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	307	National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	308	Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	309	Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
	310	Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57
	311	Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	28,485.15	17,295.48
	312	Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313	Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	314	Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	12,203	101,677.80	77,052.13	24,625.67
	315	Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	459,890.08	249,890.08	210,000.00
	316	Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	19,989.70	52,229.68
	317	Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	0.00
	318	Abhinav Sahakari Bank Ltd. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
	319	Agrasen Co-op. Bank Ltd. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
	321	Arjun Urban Co-op.Bank Ltd. (2014)	3,530	61,654.61	28,301.30	33,353.31
	322	Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
	323	Veershaiva Co-op. Bank Ltd. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	(0.00)
	324	Silchar Urban Co-operative Bank Ltd. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325	Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd.(2014)	130,638	2,877,206.83	388,944.75	2,488,262.08

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	326	The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	327	Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	0.00
	328	The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd. (2015) &	28,759	301,759.34	301,759.34	(0.00)
	329	Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
	330	Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad (2015)&	29,343	156,382.66	156,382.66	(0.00)
	331	Vaishali Urban Co-operative Bank , Rajasthan (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
	332	Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,177	77,392.30	38,211.72	39,180.58
	333	Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,136	152,029.28	55,857.87	96,171.41
	334	Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
	335	The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00
	336	Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)\$		318,602.37	318,602.37	0.00
	337	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	20,783.40	15,279.94	5,503.46
	338	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,014	12,879.52	7,710.41	5,169.11
	339	Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	21,888.06	12,569.05	9,319.01
	340	Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
	341	Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	109,302.97	4,747.14	104,555.84
	342	Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	239,385.07	167,801.58	71,583.49
	343	Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	261.65	-	261.65

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.		Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1		2	3	4	5	6
	344	Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha	2,327	10,385.18	8,537.44	1,847.74
		(2017)				
	345	Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd.,	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
		Assam (2017)				
	346	Jamkhed Merchants CBL,	6,119	52,055.23	31,800.00	20,255.23
		Maharshtra (2018)				
	347	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd.,		2,946.90	-	2,946.90
		Maharashtra (2018)\$				
	348	Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)\$		27,601.00	-	27,601.00
	349	Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
		(2018)&				
	350	The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha	6,446	151,659.37	151,659.37	0.00
		(2018) &				
	351	Pioneer Urban CBL, Lucknow,	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
		Uttar Pradesh (2019)				
	352	Gokul UCBL Andra Pradesh/ Telangana		13,579.00	-	-
		(2019)\$				
	353	Bhopal Nagarik SBL, MP (2019)\$		84,394.67	-	-
	354	United Commercial Co-op Bank Itd,	24,684	247,534.55	150,172.24	97,362.31
		Kanpur UP (2019)				
	355	Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	27,434.83	7,956.74	19,478.09
	356	Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,216	101,184.47	20,038.00	81,146.47
	357	Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	301,398.79	20,375.49	281,023.29
	TOTA	AL 'F'		48,974,170.03	27,103,642.08	21,772,554.28
	TOT	AL (D+E+F)		49,029,833.47	27,153,810.87	21,772,554.28
					(5,494.65)	
	TOT	AL (A+B+C+D+E+F)		51,988,363.21	28,666,281.77	22,897,200.28
					(326,907.51)	

^{*}Scheme of Amalgmation/Merger

Notes: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

- 2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2020.
- 3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims
- 4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.
- 5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

[#] Scheme of Reconstruction.

[@] Claim settled on liquidation of the bank.

^{\$} Claims Settled under expeditious settlement scheme.

[&]amp; Claims settled under Liquid fund adjustment.

[^] Claims Settled under other mechanisms.

V. Sankar Aiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS 2-C, Court Chambers 35, New Marine Lines Mumbai - 400 020

Tel. : 2200 4465, 2206 7440 Fax : 91- 22-2200 0649 E-mail : mumbai@vsa.co.in Website : www.vsa.co.in

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation **Report on the Audit of the Financial Statements**

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2020 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2020, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Page 1 of 3

Delhi Office: 202-301, Satyam Cinema Complex, Ranjit Nagar Community Centre, New Delhi - 110 008 • Tel.: 2570 5233 / 2570 5232 • E-mail: newdelhi@vsa.co.in Chennai Office: 41, Circular Road, United India Colony, Kodambakkam, Chennai - 600 024 • Tel.: 044-2372 5720 & 044-2372 5730 • E-mail: chennai@vsa.co.in

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
 design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
 appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
 fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
 misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures
 that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible
 for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place
 and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.

V. Sankar Aiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Mumbai - 400 020

- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.
- (c) The Balance Sheet, the Revenue account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the preparation of the financial statements.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

FRN 10920EN PE

Place: Mumbai

Date: 29th June, 2020

For V. Sankar Aiyar & Co., Chartered Accountants Firm Reg No. 109208W

gsanhar

G.Sankar Partner

Membership No. 046050

UDIN:

Page 2 of 3



DEPOSIT INSURANCE AND (Established under the Deposit Insurance (Regulation 18 Balance Sheet as at the close I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous	Year		Current Year					
Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund			
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount		
5,75,560.00		Fund (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		12,08,730.00				
		2. Surplus as per Revenue Account:						
76,06,425.76	45,994.44	Balance at the begining of the year	87,99,521.56		48,323.92			
11,93,095.80	2,329.48	Add: Transferred from Revenue Account	10,30,188.32		2,663.02			
87,99,521.56	48,323.92	Balance at the end of the year		98,29,709.88		50,986.94		
		3. (a) Investment Reserve						
0.00	0.00	Balance at the begining of the year	0.00		0.00			
0.00	0.00	Add:Transferred from Revenue Account	0.00		0.00			
0.00	0.00	Balance at the end of the year		0.00		0.00		
		(b) Investment Fluctuation Reserve						
3,96,197.66	2,957.77	Balance at the begining of the year	4,48,729.65		3,060.66			
52,531.99	102.89	Transferred from Revenue Account	1,28,683.03		401.50			
4,48,729.65	3,060.66	Balance at the end of the year		5,77,412.68		3,462.16		
5,678.37		4.Claims Intimated and Admitted But Not paid		5,786.58				
0.00		5.Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		0.00				
0.00		6.Insured Deposits in respect of Banks De-registered		0.00				
9,046.26		7. Insured Deposits remaining unclaimed		7,342.37				
		8. Other Liabilities						
106.10		(i) Sundry Creditors	157.16					
13,07,719.32	2,492.05	(ii) Provision for Income Tax	16,97,478.72		3,522.72			
28,397.67		(iii) Securities deliverable under						
		Reverse Repo A/c Payable	89,920.86					
171.56		(iv) Amount refundable to Banks	171.56					
41.05		(v) CGST,SGST & IGST Payable	0.87					
13,36,435.70	2,492.05			17,87,729.17		3,522.72		
,11,74,971.54	53,876.63	Total		1,34,16,710.68		57,971.82		

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

glandiar

G . Sankar Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020



Chairman /~

V G V Chalapathy Chief General Manager P Vijaya Kumar Executive Director

D K Nalband Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 Form 'A') of business on March 31st, 2020 AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in lakh)

Previous Year			Current Year					
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	ASSETS	Deposit li Fu		Credit Gua Fund			
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount		
13,898.73	0.67	1. Balance with the Reserve Bank of India		18,039.88		424.9		
		2. Cash in Transit						
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)						
		Treasury Bills	19,416.52					
95,92,839.96	50,452.41	Dated Securities	1,11,02,428.15		52,970.54			
95,92,839.96	50,452.41			1,11,21,844.67		52,970.5		
93,94,794.90	49,526.90	Face Value	1,07,86,904.45		52,079.00			
97,31,957.50	51,719.90	Market Value	1,19,39,509.56		57,612.94			
1,75,059.10	700.83	4.Interest accrued on investments		2,07,628.01		730.8		
		5.Other Assets						
13,14,018.25	2,722.72	(i) Advance Income Tax	18,67,464.90		3,845.48			
28,413.33		(ii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	90,020.00					
28,397.67		(iii) Securities purchased under Reverse Repo	89,920.86					
2,888.00		(iv) Service Tax Refundable	2,888.00					
615.74		(v) CGST/SGST/IGST receivable	63.60					
18,840.76		(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	18,840.76					
13,93,173.75	2,722.72			20,69,198.12		3,845.4		
1,11,74,971.54	53,876.63	Total		1,34,16,710.68		57,971.8		

Dr. Shashank Saksena Director



DEPOSIT INSURANCE AND (Form Revenue Account for the I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year			Current Year	
Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount Amoun	t Amount
		1. To Claims:		
3,699.27		(a) Paid during the year	7,085.40	
(8,275.29)		(b) Admitted but not paid	108.20	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		
0.00		At the end of the year	0.00	
(427.95)		Less: at the end of the previous year	0.00	
		(d) Insured Deposits in respect of banks banks de-registered		
0.00		At the end of the year	0.00	
0.00		Less: at the end of the previous year	0.00	
(10,189.94)		(e) Less provision in r/o untracebale depositers written back	(1,794.38)	
(15,193.92)		Net Claims	5,399.23	
5,75,560.00		2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)	12,08,730.00	
19,14,684.79	3,738.89	To Net Surplus Carried Down	15,48,630.73	4,095.20
24,75,050.87	3,738.89	TOTAL	27,62,759.96	4,095.20
, ,	·	To Provision for Taxation		·
6,69,067.45	1,306.52	Current Year	3,89,759.38	1,030.68
(10.45)	0.00	Earlier Years - Short (Excess)	0.00	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax	0.00	0.00
52,531.99	102.89	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)	1,28,683.03	401.50
11,93,095.80	2,329.48	To Balance Carried to Surplus Account	10,30,188.32	2,663.02
19,14,684.79	3,738.89		15,48,630.73	4,095.20

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

glantial

G . Sankar Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020



V G V Chalapathy Chief General Manager P Vijaya Kumar Executive Director

avulord

D K Nalband Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION 'B')

year ended 31st March 2020 AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in lakh)

Previous	Year	Curr	ent Year		
Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		INCOME	Deposit Insurance Fund	Guarantee	
Amount	Amount	Amount	Amount		
5,36,724.00		1. By Balance of Fund at the beginning of the year	5,75,560.00		
12,04,308.29		2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)	13,23,351.23		
9,537.29	2.59	By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)	10,684.93	0.74	
		4. By income from Investments			
7,35,436.10	3,736.30	(a) Interest on Investments	8,12,457.57	4,094.46	
(15,187.18)	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	33,875.52	0.00	
4,232.37	0.00	(c) By Reverse Repo interest income A/c	6,830.71	0.00	
7,24,481.29	3,736.30		8,53,163.80	4,094.46	
		5. Other Incomes			
0.00	0.00	Depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00	
24,75,050.87	3,738.89	TOTAL	27,62,759.96	4,095.20	
19,14,684.79	3,738.89	By Net Surplus Brought Down	15,48,630.73	4,095.20	
19,14,684.79	3,738.89		15,48,630.73	4,095.20	

Dr. Shashank Saksena Director



DEPOSIT INSURANCE AND (Established under the Deposit Insurance (Regulation 18 -Balance Sheet as at the close II. GENERAL

Previous Year		Curren	Year
Amount	LIABILITIES	Amount	Amount
5,000.00	Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4)		5,000.00
	of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI		
	2. Reserves		
	A) General Reserve		
54,266.92	Balance at the beginning of the year	54,908.20	
641.27	Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	101.39	
54,908.19			55,009.59
	B) Investment Reserve		
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	
0.00	Transferred from Revenue account	0.00	
0.00			0.00
	(C) Investment Fluctuation Reserve		
3,668.17	Balance at the beginning of the year	3,668.49	
0.31	Transferred from Revenue Surplus	361.57	
3,668.48			4,030.06
	3. Current Liabilities and Provisions		
670.32	Outstanding Expenses	846.68	
84.83	Sundry Creditors	24.67	
1,340.90	Provision for Income Tax	1,493.20	
1.24	CGST & SGST Payable	0.00	
2,097.29			2,364.55
65,673.96	Total		66,404.20

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

Sankar

G . Sankar Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020 Unhaulh albaliahi Dr. M D Patra Chairman

> V G V Chalapathy Chief General Manager

P Vijaya Kumar Executive Director

D K NalbandDeputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 Form 'A') of business on March 31st, 2020 FUND (GF)

(₹ in lakh)

Previous Year			Curre	nt Year
Amount		ASSETS	Amount	Amount
	1.	CASH		
		(i) In hand		
78.88		(ii) With Reserve Bank of India	120.37	
78.88				120.37
	2.	Investments in Central Government Securities (At Cost)		
0.00		Treasury Bills	0.00	
51,071.13		Dated Securities	17,295.83	
9,330.19		Dated Securities deposited with CCIL(Face Value 45716.00)	43,674.15	
60,401.32				60,969.98
62,256.50		Face Value :	63057.35	
61,580.50		Market Value :	66188.50	
1,067.58	3.	. Interest accrued on Investments		975.95
	4.	Other Assets		
1,561.61		Project IASS Capitalised	772.02	
33.33		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	26.20	
0.87		Stock of Stationery	0.89	
191.12		Staff Advances	144.98	
40.26		Interest Accrued on Staff Advances	57.65	
110.90		Sundry Debtors	134.54	
1,020.00		Margin Deposit with CCIL	1,530.00	
1,059.03		Advance Income Tax / TDS	1,489.61	
109.06		CGST, SGST & IGST receivable	182.01	
4,126.18				4,337.90
65,673.96		Total		66,404.20

Endowle Saleson

Dr. Shashank Saksena Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION (Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31st, 2020 II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakh)

Previous Yea	/ear EXPENDITURE -		nt Year	Previous Y	/ear INCOME	Currer	nt Year
Amount	EXPENDITURE	Amount	Amount	Amount	INCOME	Amount	Amount
1,220.80	To Payment / Reimbursement of staff cost		1,282.70		By Income from Investments		
0.00	To Directors' and Committee Memebrs' Fees		0.00	4,625.88	(a) Interest on Investments	4,496.82	
0.01	To Directors' / Committee Members'		0.00	3.35	(b) Profit (Loss) on sale/redemption of investmen	ts 0.00	
256.04	Travelling & other expenses		454.21	4,629.23			4,496.82
	To Rents, Taxes, Insurance, Lightings etc.		454.21	0.00	By depreciation on Investments written back		0.00
	To Establishment, Travelling & Halting Allowances		18.32				
	To Printing, Stationery & Computer Consumables		76.13		By Miscellaneous Receipt		
	To Postage, telegrams and Telephones To Auditors' Fees		30.78	13.53	Interest on advances to staff	14.43	
			34.26	0.29	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	0.00	
	To Legal Charges To Advertisements		6.11	13.82			14.43
	To Provision for diminution in the value		0.00				
0.00	of investments credited to Investment Reserve		0.00				
	To Miscellaneous Expenses						
5.83	Professional Charges	10.50					
585.89	Service Contract / Maintenance	468.75					
4.16	Books, News Papers, Periodicals	5.26					
5.95	Book Grants	4.51					
0.91	Repair of Office Property-Dead Stock	0.26					
63.65	Transaction Charges-CCIL	142.01					
75.28	Others	93.36					
741.67			724.65				
4.71	Depreciation		9.74				
780.69	Depreciation on IASS		780.69				
981.05	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down		618.66				
4,643.05	Total		4,511.25	4,643.05	Total		4,511.25
	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down			981.05	By balance being excess of income over		618.66
	To Provision for Income Tax				expenditure for the year - Carried Down		
339.46	Current Year		155.70				
0.00	Earlier Years - Short (Excess)		0.00				
0.31	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		361.57				
641.28	To General Reserve Account		101.39				
981.05	Total		618.66	981.05	Total		618.66

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

glantian.

G . Sankar Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020



Dr. M D Patra Chairman



V G V Chalapathy Chief General Manager



Executive Director



D K Nalband Deputy General Manager Edward Laborer

Dr. Shashank Saksena Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

Cash Flow Statement for the year ended March 31st, 2020

(₹ in lakh)

Previous Year Deposit Credit		_	Current Year		
Deposit Cree Insurance Guarant Fund Fu		Particulars		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount			Amount	Amount
		Cook Flow from Operation Activities			
19,14,684.79	3,738.90	Cash Flow from Operating Activities Excess of Income over Expenditure	(a)	15,48,630.73	4,095.20
, , ,	,	Adjustments to reconcile excess of Income over	(-7	., .,	,
		expenditure to net cash from operations :			
(7,39,668.47)	(3,736.30)	Interest on Investments		(8,19,288.28)	(4,094.46)
15,187.18	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(33,875.52)	0.00
38,836.00		Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		6,33,170.00	0.00
0.00	0.00	Transfer to Investment Reserve		0.00	0.00
0.00		Interest on Refund received		0.00	0.00
		Taxes		0.00	0.00
(6,85,645.28)	(3,736.30)		(b)	(2,19,993.79)	(4,094.46)
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS:			
		Decrease/(Increase) in		/	
(6,75,001.78)	(1,608.63)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(5,53,446.65)	(1,122.77)
0.00		Sundry Debtors		0.00	0.00
0.00		CGST, IGST & SGST receivable		552.14	0.00
(40,721.60)		Other Assets		(1,23,129.86)	0.00
0.00	(4 000 00)	Disputed Service Tax/Interest paid account	(-)	(0.70,004,07)	(4.400.77)
(7,15,723.38)	(1,608.63)	LIABILITIES .	(c)	(6,76,024.37)	(1,122.77)
		LIABILITIES:			
(0.700.00)		(Decrease)/Increase in		400.00	
(8,703.30)		Estimated Liability in respect of claims		108.20	
(0.000.50)		intimated but not admitted		(4.702.00)	
(9,933.50)		Unclaimed Deposits		(1,703.89)	
(162.00)		Sundry Creditors		51.07 0.00	
0.00 21,044.80		Sundry Deposit Accounts Securities deliverable under Reverse Repo A/C		61,523.19	
0.00		Swachh Bharat Payable		0.00	
41.10		CGST, SGST & IGST Payable		(40.18)	
2,287.10		CGG1, GGG1 & IGG1 Fayable	(d)	59,938.40	
5,15,603.23	(1,606.03)	Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)	(d) (A)	7,12,550.98	(1,122.03
3,13,003.23	(1,000.03)	Net Cash Flow from Operating Activities. (a.b.c.u)	(A)	7,12,330.30	(1,122.03)
		Cash Flow from Investing Activities			
7,24,009.50	3,923.90	Interest on Investments Received		7,86,719.37	4,064.44
(15,187.20)	3,323.30	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		33,875.52	0.00
(13,107.20)		Decrease/(Increase) in		33,073.32	0.00
12,23,675.90)	(2,321.30)	Increase in Investments in Central Government Se	curities	(15,29,004.71)	(2,518.13)
(5,14,853.60)	1,602.60	Net Cash Flow from Investing Activites	(B)	(7,08,409.83)	1,546.31
(0,14,000.00)		Not Guon Flow from invocating Activities	(2)	(1,00,400.00)	1,040.01
0.00	0.00	Cash Flow from Financing Activites	(C)	0.00	0.00
749.63	(3.43)	Net Increase/decrease in Cash	(A+B+C)	4,141.15	424.29
13,149.10	4.10	Cash Balance at beginning of year		13,898.73	0.67
13,898.73	0.67	Cash Balance at the end of year		18,039.88	424.95

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

G . Sankar

Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020



V G V Chalapathy Chief General Manager

P Vijaya Kumar **Executive Director**

D K Nalband Deputy General Manager

Sandrowl Goleson Dr. Shashank Saksena Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION II. GENERAL FUND (GF)

Cash Flow Statement for the Year ended March 31st, 2020

(₹ in lakh)

Previous Year	(a) rations:	Amount 618.66
Cash Flow from Operating Activities Excess of Income over Expenditure Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from oper 4.71 Depreciation 780.69 Depereciation on IASS (4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts	` '	618.66
981.05 Excess of Income over Expenditure Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from oper 4.71 Depreciation Depreciation on IASS (4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 (3,857.64) Others - Misc Receipts	` '	9.74
Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from oper 4.71 Depreciation 780.69 Depereciation on IASS (4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts	` '	9.74
4.71 Depreciation 780.69 Depereciation on IASS (4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts	rations:	
780.69 Depereciation on IASS (4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts		
(4,625.88) Interest on Investments (3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts		700.00
(3.35) Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities 0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts (3,857.64)		780.69
0.00 Transfer to Investment Reserve (13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts (3,857.64)		(4,496.82)
(13.53) Interest on Advances to Staff (0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		0.00
(0.29) Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock 0.00 Others - Misc Receipts (3,857.64)		0.00
		(14.43
(3,857.64)		0.0
		0.0
	(b)	(3,720.82
Changes in Operating Assets and Liabilities :		
ASSETS:		
Decrease (Increase) in		
(0.90) Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		(0.01
(38.20) Prepaid Expenses/Service Tax receivable		(72.95
14.79 Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		`46.1
188.78 Advance Income Tax		(430.58
(520.00) Margin Deposit with CCIL		(510.00
(0.50) Interest accured on Staff Advances		(17.39
(50.70) Sundry Debtors		(23.63
453.80 Project Cost		789.5
47.07	(c)	(218.84
LIABILITIES:	(0)	(210.0
Increase (Decrease) in		
With Reserve Bank of India		
(221.80) Outstanding Expenses		176.3
15.20 Sundry Creditors		(60.15
5.30 Other Deposits/ TDS		(3.4
CGST & SGST Payable		(1.23
(201.30)	(d)	111.5
	(d)	
(3,030.82) Net Cash Flow from Operating Activities	(A)	(3,209.43
Cash Flow from Investing Activities		
4,585.50 Interest on Investments Received		4,588.4
3.40 Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.0
13.50 Interest on Advances to Staff		14.4
Funds received from DIF		0.0
Others		0.0
Decrease (Increase) in		0.0
(800.60) Fixed assets		(783.30
Investments in Central Government Securities :		(100.00
Treasury Bills		0.0
3,345.90 Dated Securities		33,775.3
(4,118.70) Dated Securities deposited with CCIL		(34,343.96
3,029.00 Net Cash Flow from Investing Activities	(B)	3,250.9
0.00 Cash Flow from Financing Activities	(D)	0.0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(C) (A+B+C)	41.4
	(ATDTU)	41.4
Cash Balance at Beginning of Year		0.0
0.00 In Hand		0.0
80.70 With RBI		78.8
78.88 Cash Balance at the end of year		120.3
te: Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance		

As per our report of even date

For M/s V. Sankar Aiyar & Co. Chartered Accountants Regn. No. FRN. 109208W

G . Sankar

Partner (M No. 046050)

Mumbai June 29, 2020



Chairman

V G V Chalapathy Chief General Manager P Vijaya Kumar

Executive Director

D K Nalband Deputy General Manager

Encharly Colese Dr. Shashank Saksena Director

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium

- (a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.
- (b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view

- of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.
- (c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

- (a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.
- (b) Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on deregistration of bank as an insured bank.
- (c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into books of account of Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.
- (d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018 the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more than

10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/adjusted.

- (iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.
- (v) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. INVESTMENTS

- i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.
- Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.
- iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.
- iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of

portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

- v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.
- vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. FIXED ASSETS

- (i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.
- (ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹0.1 million and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation	
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%	
Motor vehicles, furniture, etc.	20%	

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year,

- otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.
- (iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. LEASES

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. EMPLOYEES' BENEFITS / COST

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. TAXATION ON INCOME

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, being difference in taxable income and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. IMPAIRMENT OF ASSETS

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances

warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognized and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

- (i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.
- (iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- (iv) Contingent Assets are not recognized.
- (v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES NOT PROVIDED

A. Service Tax:

(₹ in crore)

Nature of	Current	Previous
Contingent Liability	year	year
Service Tax	175.51	175.51

Explanatory Notes:

I. October 1, 2006 to September 30, 2011 (₹5,367.42 crore)

Service Tax Department (Department) vide order dated January 10, 2013 raised service tax demand of ₹5,367.42 crore for the period October 2006 to September 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance Corporation under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an Appeal on April 8, 2013 in the CESTAT challenging the order. CESTAT vide order dated March 11, 2015 while granting relief to the Corporation by setting aside demand of ₹5,367.42 cr, held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and Corp is not liable to Service Tax for the period prior to September 20, 2011. Corporation, therefore, filed an Appeal on September 9, 2015 before Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business". The Department has also approached the Hon'ble Supreme Court for admission of Appeal against CESTAT order. The Corporation has also filed counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016. Matter is yet to come up for hearing.

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Sec 78 for the period April 01, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 cr which was also dismissed vide order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favor of the Corporation on merit vide order dated March 11, 2015. [Sec 76 provides for levy of penalty

where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Sec 78 provides for levy of penalty when the Service Tax has not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court has tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 1, 2011 to March 31, 2013 (₹118.64 crore plus interest for delay ₹56.87 crore)

Service Tax Department based on Computer Aided Audit Programme (CAAP), vide letter dated. June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹118.64 crore as 'additional service tax liability' for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by Corporation as 'exclusive of Service Tax'. Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. Corporation paid ₹88.44 crore on January 8, 2015 and ₹30.2 cr on June 30, 2015 'under protest'. Corporation also paid interest of ₹39.6 crore considering the dates of Service tax payment as 6th of following month (June 6 and December 6, respectively) on receipt of premium (i.e. May and November, respectively) against March 31st and October 6th determined by Service Tax authorities. Commissioner (Appeals) vide order dated January 11, 2016 has held that treatment of premium by Corporation as 'inclusive of service tax' is as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. Corporation accordingly filed an Appeal before CESTAT against order on April 18, 2016. Department has also filed Appeal before CESTAT against order of Commissioner (Appeals).

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for interest payment of ₹17.40 crore (excluding ₹39.6 crore paid by DICGC). Commissioner vide order dated August 16, 2018 has confirmed the demand

raised. Corporation has filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018.

B. Claims

(₹ in crore)

Claims pertaining to	March 31, 2020	March 31, 2019
a) Deregistered Banks	653.54 (12)*	906.7 (22)*
b) Untraceable depositors	119.84	101.9
c) Unidentifiable depositors	87.10	86.3

^{*} Represents number of banks

2. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2020, IFR of ₹5,849 crore was maintained (₹4,555 crore as on March 31, 2019).

3. INTRA DAY LIQUIDITY ARRANGEMENT WITH RBI

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2500 crores earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

5. INCOME TAX

The Corporation has exercised the option of paying income tax at the rate of 22 per cent as provided in Sec 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 w.e.f. current financial year 2019-20 (A.Y. 2020-21).

6. RELATED PARTY DISCLOSURE

Key Management Personnel:

Smt. Malvika Sinha, Executive Director, Reserve Bank of India held the charge of the affairs of the Corporation up to February 28, 2020. Shri Pammi Vijayakumar, Executive Director, Reserve Bank of India, is holding charge from March 5, 2020. Both drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India.

7. SEGMENT REPORTING:

Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

8. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

4. REPO TRANSACTIONS (AS PER RBI PRESCRIBED FORMAT)

In Face Value Terms (₹ in crore)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2020			
I. Securities Sold under Repo							
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil			
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil			
II. Securities Purchased under Reverse Repo							
a) Government Securities	1	8,607	1,214	924			
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil			